ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT

साप्ताहिक समसामयिकी

जनवरी 2019

अंक 3

विषय सूची

जनवरी 2019
अंक–3

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01–17

- राजनीति में महिलाओं की भागीदारी
- नो डिटेंशन पॉलिसीः एक अबूझ पहेली
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षणः एक अवलोकन
- साहित्यिक स्वतंत्रता विधेयक, 2018ः एक परिचय
- भारतीय पुल प्रबंधन प्रणालीः सुरक्षित पुल की महत्वपूर्ण कड़ी
- जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, 2019
- कश्मीर में शांति बहाली का प्रयास

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 18–23

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें 24–30

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 31–39

सात महत्वपूर्ण तथ्य 40

सात महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र-II 41–44

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 45

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. राजनीति में महिलाओं की भागीदारी

चर्चा का कारण

हाल ही में यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स रिसर्च (UNU-WIDER) ने माना है कि महिलाओं का निर्वाचन क्षेत्रों में चुने जाने से अधिक आर्थिक विकास होता है। इस संगठन ने जिन मापदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया उनमें भ्रष्टाचार, दक्षता और कार्य करने की प्रेरणा प्रमुख थे।

विश्व आर्थिक मंच (WEF) के द्वारा किये गये एक अध्ययन में पाया गया है कि 149 देशों में सिर्फ 17 देश ऐसे हैं जिनकी राष्ट्र प्रमुख महिलाएँ है जबकि 18% मंत्री हैं और विश्व स्तर पर मात्र 24% सांसद ही महिलाएँ हैं।

परिचय

आज महिलाएँ हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित कर रही हैं परंतु इसके बावजूद, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है तो मतदाता के रूप में पुरुषों के समान अधिकार तो उन्हें 1935 में ही दे दिया गया था। इसके लिए उन्हें दुनिया के दूसरे देशों की तरह लम्बा संघर्ष नहीं करना पड़ा।

पश्चिमी देशों में मेरी वोल्स्टोनक्रॉफ्ट द्वारा 1792 में स्त्रियों के लिए मताधिकार की माँग सबसे पहले उठाई गयी थी, तब से इस अधिकार के लिए जो व्यापक संघर्ष शुरू हुआ, उसे 20वीं शताब्दी में सफलता हासिल हो सकी। कई देशों में तो आज भी महिलायें इस अधिकार से वंचित हैं।

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में महिलाओं की भागीदारी संसद के दोनों सदनों में कुल 12 फीसदी ही है। महिला अधिकार संगठनों के एक समूह "द नेशनल अलायंस फॉर द वुमन रिजर्वेशन बिल" के एक शोध के मुताबिक 2017 में जिन पांच राज्यों- पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा तथा मणिपुर में विधानसभा चुनाव हुए हैं। वहाँ महज 6 फीसदी महिला उम्मीदवारों को ही चुनाव लड़ने का मौका दिया गया।

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में अगर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी इसी तरह से कम रही तो लैंगिक असंतुलन को कम करने में पचास साल से अधिक समय लग सकता है।

महिलाओं की वर्तमान राजनीतिक स्थिति

भारत की संसदीय प्रणाली में महिलाओं की स्थिति कितनी कमजोर है, इसका पता दुनियाभर की संसदों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्ययन से पता चलता है। इस रिपोर्ट के अनुसार यूरोप, अमेरिका और अन्य विकसित देशों की संसदों में महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या तुलनात्मक रूप से भारत से कहीं ज्यादा है।

- विश्वभर की संसदों में महिलाओं की संख्या के आधार पर हुए सर्वे में भारत 103वाँ स्थान पर है, जबकि नेपाल 35वाँ, अफगानिस्तान 39वाँ, चीन 53वाँ, पाकिस्तान 64वाँ, इंग्लैंड 56वाँ, अमेरिका 72वाँ स्थान पर हैं।
- इस रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी हमसे कहीं आगे हैं।
- बांग्लादेश में हर पाँच में से एक सांसद महिला है। यहां तक कि सीरिया, रवांडा, नाइजीरिया और सोमालिया आदि की संसदों में भी महिलाओं की हिस्सेदारी भारत से अधिक है।
- वहीं नेपाल की संसद में कुल 176 सीट हैं और वहाँ हर तीसरी सीट पर महिला सांसद विराजमान है।
- अफ्रीका महाद्वीप के कुछ अति पिछड़े देशों की संसदों में भी महिलाओं की हिस्सेदारी भारत से ज्यादा है।

संसद और विधानमण्डलों में महिलाओं की उपस्थिति क्यों बढ़ाई जाय?

संसद और विधानमण्डलों में महिलाओं की भागीदारी न होने से उसका असर सिर्फ महिलाओं पर ही नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र पर पड़ता है। इसे निम्न बिन्दुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

- संसद और विधानमण्डलों में पर्याप्त संख्या में महिलाएँ होने पर राशन-पानी की कमी या दिन-प्रतिदिन शराब की बढ़ोतरी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा साधारण औरत में हिम्मत भी बढ़ेगी जिससे वह सांसद, विधायक, अफसर के यहाँ अपनी बात पहुँचा सकेगी।
- महिला प्रतिनिधि असमानता, लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा आदि मुद्दों को उठाकर स्थानीय शासन की प्रकृति व दिशा को परिवर्तित कर सकती हैं।
- हाल ही में हुए एक अध्ययन में पाया गया है कि निर्वाचित महिलाएँ विकास को लेकर ज्यादा समर्पित होती हैं।
- निर्वाचित महिलाओं ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में हर साल लगभग दो प्रतिशत की दर से आर्थिक सुधार किया है। इस प्रकार महिला प्रतिनिधि होने के कारण संबंधित क्षेत्र में औसत विकास दर 25 प्रतिशत है।
- इस रिसर्च के मुताबिक महिलाएँ, पुरुषों की तुलना में बुनियादी ढाँचे के निर्माण व आर्थिक विकास में बेहतर योगदान देती हैं।
- राजनीति में महिलाओं की भागीदारी से सामाजिक संरचना पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- महिला नेताओं के इलाकों में ज्यादा विकास होता है, क्योंकि वो पुरुषों की तुलना में कम भ्रष्ट होती हैं।
- विधानमण्डलों या संसद में महिलाओं की भागीदारी होने से महिला विषयक कानूनों को पारित कराने में देरी का सामना नहीं करना पड़ता।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की उपलब्धि

- आधुनिक भारत में महिलाएँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष तथा दोनों सदनों में (लोकसभा तथा राज्यसभा) नेता प्रतिपक्ष आदि जैसे शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं।
- इंदिरा गांधी जिन्होंने कुल मिलाकर पंद्रह वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी, दुनिया की सबसे लंबे समय तक सेवारत महिला प्रधानमंत्री थी।
- सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला और भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी।
- 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व, 15वीं लोकसभा के 10.86 प्रतिशत से बढकर 12.15 प्रतिशत हो गया है और पहली बार सरकार में 6 महिलायें महत्वपूर्ण मंत्रालय सम्भाल रही हैं।
- वर्तमान में सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, मायावती जैसी नेता भारतीय राजनीति के शिखर पर हैं।

भारतीय राजनीति में महिलाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ

भारत में लोकतंत्र की स्थापना अपने-आप में मील का पत्थर साबित हुई जिसको साकार करने में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रथम लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने संसद में 22 सीटें प्राप्त की थीं जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में 61 महिलाएँ ही चुनी गईं। हालाँकि इतने लंबे अंतराल के बाद भी यह वृद्धि 36 प्रतिशत हीं रही जो उत्साहवर्द्धक नहीं कही जा सकती।

जहाँ तक विधानमण्डलों के चुनाव में महिला भागीदारी की बात है तो वहाँ हालात और भी खराब हैं। 2017 में हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुल 4,823 उम्मीदवारों में महिलाओं की संख्या सिर्फ 445 थी अर्थात लगभग 9 प्रतिशत, जिसमें से सिर्फ 41 महिलाएँ ही चुनी गयीं, जो 403 सीटों की विधानसभा का लगभग 10 प्रतिशत है। वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में 36 महिलाओं को ही चुना गया।

ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं है बल्कि ऐसा पंजाब में भी है। पंजाब में 1,145 में से सिर्फ 81 यानी लगभग 7 प्रतिशत महिला उम्मीदवारों को ही टिकट मिला, जिसमें सिर्फ 6 महिलायें ही चुनाव जीत पाई, जो 117 सीटों की विधानसभा का लगभग 5 प्रतिशत है।

इसी तरह मणिपुर के विधानसभा चुनावों में महिलाओं की भागीदारी न के बराबर रही। वहां की महिलाएँ सम्पत्ति की मालिक है, बाजार चलाती हैं, आंदोलनरत रहीं हैं लेकिन चुनावी मैदान में 265 में से 11 अर्थात् लगभग 4 प्रतिशत महिलाओं ने ही चुनाव लड़ा तथा सिर्फ 2 महिलाएँ ही चुनी जा सकीं। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की निम्न भागीदारी क्यों है इस बात को हम निम्नलिखित बिन्दुओं के द्वारा समझ सकते हैं-

- पुरुष प्रधान संस्कृति एवं सामाजिक संरचनाएँ भारत में स्थानीय शासन में महिला सहभागिता को प्रभावित करती हैं।
- पारंपरिक विचारधाराओं वाले परिवार महिलाओं की स्वतंत्रता को उचित नहीं समझते। उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं कुछ अन्य राज्यों में अब भी महिला प्रतिनिधियों के पति ही उनका काम संभालते हैं।
- महिलाओं में अशिक्षा, उत्पादन कार्यों का भार, वित्तीय आत्मनिर्भरता एवं सांस्कृतिक प्रतिबंध उनकी राजनीतिक सहभागिता एवं सशक्तिकरण को प्रभावित करती हैं।
- अधिकतर महिलाएँ असुरक्षित एवं हिंसक वातावरण के कारण राजनीतिक संस्थाओं की ओर आकर्षित नहीं हो पाती।
- उच्च एवं संपन्न वर्ग की महिलाएँ निम्न एवं वंचित वर्ग की महिलाओं के अधीन कार्य करने की इच्छा नहीं रखती हैं। अगर राजनीतिक पद पर इन कमजोर वर्गों की महिलाएँ आरक्षण के कारण चुन ली जाती हैं तो कई समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं।
- राजनीतिक दलों की यह मान्यता है कि महिलाओं में जीतने व संघर्ष करने की क्षमता कम होती है।
- जिन महिलाओं को टिकट मिलता है, वे भी अधिकतर राजनीतिक परिवारों से संबद्ध होती हैं, उनके पीछे पिता या पति का हाथ होता है।
- यह भी एक कड़वा सच है कि वे महिलाएँ ही राज्य में मुख्यमंत्री बन पाई हैं, जिनकी पार्टी उनके खुद के संगठन या उनके दारोमदार पर चलती है।
- महिलाओं में संकोच, खर्चीली चुनाव प्रणाली आदि महिलाओं के राजनीतिक विकास में बाधक होती है।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए किए गए प्रावधान

भारतीय राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए तत्कालीन यूनाइटेड फ्रंट के प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व वाली सरकार ने इस दिशा में कार्य करते हुए महिला आरक्षण बिल को 4 सितम्बर, 1996 को लोकसभा में पेश किया है लेकिन कई साल बाद भी यह अमल में नहीं लाया जा सका है। हालाँकि मार्च 2010 में राज्यसभा ने इस बिल को पारित भी कर दिया लेकिन पार्टियों की अंदरूनी राजनीति की वजह से इसे लोकसभा में अभी भी नहीं रखा जा सका है।

- सरकार द्वारा 1993 में 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के बाद महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त हुई हैं।
- रचनात्मक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी बढ़ी है।
- 73वें संविधान संशोधन के पश्चात महिलाओं को ज्यादा फायदा मिल रहा है, क्योंकि पंचायत चुनावों में उनकी भागीदारी ज्यादा देखने को मिल रही है।

आगे की राह

समग्र अध्ययन से स्पष्ट है कि जनसंख्या का बड़ा भाग अब भी समाज की मुख्यधारा से वंचित है यहाँ तक की कुछ महिलाओं को तो महिला सशक्तिकरण का अर्थ तक नहीं पता है। महिलाओं की वर्तमान स्थिति को देखते हुए निम्नलिखित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ायी सके-

- निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं एवं पुरुषों की संतुलित भागीदारी के लिए आम राय बनाने हेतु जन-अभियान चलाया जाना चाहिए।
- राजनीतिक सशक्तिकरण हेतु महिलाओं का प्रतिनिधित्व आवश्यक है। वह स्वयं उन नीतियों व योजनाओं के निर्माण में सहभागी हों, जो उनके लिए बनाई जा रही हैं। यह तभी संभव हो सकता है जब वे स्वयं भी उस राजनीतिक व्यवस्था का अंग हों जो नीति-निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। इसके लिए आवश्यक है कि 9 मार्च, 2010 को राज्य सभा द्वारा पारित महिला आरक्षण बिल को लोकसभा से भी पारित करवाया जाय।
- सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, प्रभावी चुनावी व्यवस्था, संवेदनशील एवं उत्तरदायी जनता आदि मिलकर महिलाओं की राजनीतिक गतिशीलता एवं सहभागिता को बढ़ावा दे सकते हैं। इन सभी के संयुक्त प्रयासों से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।

- महिला प्रतिनिधियों को एकत्रित होकर राजनीतिक संस्थाओं में काम करना चाहिए। उन्हें लैंगिक भेदभाव, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा एवं बाल अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहिए।
- राजनीतिक दलों को भी महिला सहभागिता को बढ़ावा देना चाहिए। अपने संगठनों में उन्हें महिलाओं को अधिक से अधिक स्थान देना चाहिए।
- केवल महिला आरक्षण ही महिला सशक्तिकरण को संभव नहीं बना सकता। महिला प्रतिनिधि शिक्षा, सूचना एवं ज्ञान के माध्यम से ही अपने कार्यों एवं दायित्वों को संभाल सकती हैं। इस संदर्भ में मीडिया को भी अहम भूमिका निभाना चाहिए।
- पंचायती चुनावों में महिलाओं की भागीदारी अधिक-से-अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे कि उनकी राष्ट्रीय राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित की जा सकें।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार।

■

2. नो डिटेंशन पॉलिसीः एक अबूझ पहेली

चर्चा का कारण

हाल ही में संसद ने बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा विधेयक, 2019 को पारित कर दिया है। इसका उद्देश्य स्कूलों में 'फेल न करने की नीति' (नो डिटेंशन पॉलिसी) को समाप्त करना है।

विदित हो कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017 लोकसभा में पिछले साल ही पारित हो गया था। सरकार ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए इसे जरूरी बताया था।

सरकार के अनुसार 25 राज्य इस पर सहमत हैं। सिर्फ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और तमिलनाडु इसका विरोध कर रहे हैं। इसे देखते हुए विधेयक में केंद्र सरकार ने इस नीति को लागू करने का फैसला राज्यों पर ही छोड़ दिया है। संशोधित विधेयक 1.4 मिलियन प्राथमिक विद्यालयों के 180 मिलियन से अधिक छात्रों को प्रभावित करेगा।

नो डिटेंशन पॉलिसी (No Detention Policy) क्या है?

'नो डिटेंशन पॉलिसी', शिक्षा के अधिकार अधिनियम (2009) का अहम हिस्सा है। इस नीति के तहत 1 से 8 कक्षा तक किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाता है।

इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्रों की सफलता का मूल्यांकन केवल उनके द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर न किया जाए बल्कि इसमें उनके सर्वांगीण विकास को भी ध्यान में रखा जाए।

पृष्ठभूमि

निशुःल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आरटीई) एक्ट, 2009 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों को अपने पड़ोस के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1-8) प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।

आरटीई एक्ट के अन्य प्रावधानों में, प्राथमिक शिक्षा समाप्त होने तक किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में न रोकने का प्रावधान किया गया था। अगली कक्षा में इस ऑटोमैटिक प्रमोशन से यह माना जाता था कि पहले की कक्षा में बच्चे को न रोकने के परिणामस्वरूप वह स्कूल नहीं छोड़ते हैं। गौरतलब है कि आरटीई एक्ट के लागू होने से पहले राज्यों को नो डिटेंशन (बच्चे को पिछली कक्षा में न रोकने) नीति के संबंध में राहत भी मिली हुई थी। उदाहरण के लिए गोवा में कक्षा 3, तमिलनाडु में कक्षा 5 और असम में कक्षा 7 तक के बच्चे को पिछली कक्षा में नहीं रोका जाता था।

लेकिन हाल के वर्षों में दो विशेषज्ञ कमिटियों ने आरटीई एक्ट के नो डिटेंशन प्रावधान की समीक्षा की और यह सुझाव दिया कि इसे हटा दिया जाए या चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में 22 राज्यों ने भी इस पॉलिसी के कारण शिक्षा का स्तर गिरने की बात कहते हुए इसे समाप्त करने की माँग केंद्र सरकार से की थी। इसके बाद संशोधन का फैसला लिया गया।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, 2009

- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, 2009 भारतीय संसद द्वारा पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है।
- इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है।
- संविधान के अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। इसको ध्यान में रखते हुए नीति निर्माताओं ने 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21क में प्राथमिक शिक्षा को सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार बना दिया।
- यह विधेयक 1 अप्रैल 2010 को जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू हुआ।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 की मुख्य विशेषताएँ

- बाल शिक्षा अधिकार एक्ट, 2009 प्राथमिक शिक्षा, यानी कक्षा आठ पूरी होने तक बच्चों को पिछली कक्षा में रोकने (डिटेंशन) को प्रतिबंधित करता था। यह बिल इस प्रावधान को संशोधित करता है।
- आरटीई संशोधन विधेयक के अनुसार, छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के दो मौके दिये जाएँगे और अगर वे दोनों प्रयासों में विफल हो जाते हैं तो उन्हें फेल घोषित कर दोबारा उसी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।
- छात्रों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा लेकिन अगर वे सीखने के स्तर तक पहुँचने में नाकाम रहते हैं तो स्कूल के शिक्षकों के पास छात्रों को उसी कक्षा में प्रवेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।
- हालाँकि बिल में राज्यों को स्कूल, जिला या राज्य स्तर पर परीक्षाओं का चयन या संचालन करने के लिये नो डिटेंशन पॉलिसी जारी रखने की अनुमति देने का प्रावधान है।
- नये कानून में किसी को विद्यालय से बाहर करने का प्रावधान नहीं है बल्कि इसमें बच्चों

में प्रतिस्पर्धा बढ़ने तथा बेहतर परिणाम पर बल दिया गया है।

- संशोधित बिल में मदरसा, वैदिक स्कूल जैसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को जहाँ आरटीई के दायरे से बाहर रखने की बात कही गई है वहीं हर तरह की विकलांगता से ग्रस्त बच्चों को इसके दायरे में लाया गया है।
- आरटीई में संशोधन के द्वारा हर तरह के विकलांग बच्चों को स्कूल में सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया है।
- हाल के वर्षों में शिक्षा के बजट में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है और यह 82 हजार करोड़ से बढ़कर 1 लाख 15 हजार करोड़ रुपया हो गया है।

इस विधेयक के पास होने से प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद की गई है। इसके बावजूद एक धरा ऐसा भी है जो 'नो डिटेंशन पॉलिसी' के समाप्त किए जाने से चिंतित है। इस प्रकार समाज में 'नो डिटेंशन पॉलिसी' (No Detention Policy) को लेकर भिन्न-भिन्न मत उजागर हो रहे हैं, जिनके सामने प्रमुख प्रश्न यह है कि क्या प्राथमिक स्कूल में बच्चों को परीक्षा में फेल होने पर पिछली कक्षा में रोका जाना चाहिए या नहीं। इस संदर्भ में किसी निर्णय पर पहुँचने से पहले जरूरी है कि हम इसके पक्ष और विपक्ष के तर्कों को निष्पक्षता के साथ समझते हुए तार्किक विश्लेषण करें।

पक्ष में तर्क

- बच्चों को उसी कक्षा में रोकने के परिणामस्वरूप बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं (ड्रॉप आउट)। चूँकि जब किसी बच्चे को उसकी उम्र से कम उम्र के बच्चों के समूह में बैठना पड़ता है, तो वह परेशान होता है तथा दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक, 2014-2015 में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर लगभग 4% थी और बच्चों को परीक्षाओं के आधार पर फेल करने से स्कूल छोड़ने की दर में वृद्धि होगी।
- विशेषज्ञों के अनुसार, परीक्षा में फेल होने के बाद कक्षा दोहराने पर यह माना जाता है कि सारी गलती बच्चे की है और शिक्षण परिणामों को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों को नकार दिया जाता है।
- आर्थिक रूप से वंचित समूहों के पास इतना धन नहीं होता कि वे अपने बच्चों को निजी ट्यूशन दिला सकें। पॉलिसी में बदलाव के चलते फेल होने वाले बच्चों को आगे की कक्षाओं में प्रोन्नति नहीं मिलेगी। ऐसे में उनके माता-पिता बच्चों को आगे पढ़ाने के बजाय कहीं काम पर लगा देगें जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे नतीजतन ऐसे बच्चों का पढ़ाई से सरोकार टूटने की अधिक सम्भावना है।
- बच्चे गुणवत्तायुक्त शिक्षा से वंचित रहते हैं तो इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे पेशेवर योग्य शिक्षकों की कमी, शिक्षकों का अनुपस्थित होना, सीमित आधारभूत संरचना) और शिक्षा एवं आकलन की सतत तथा व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) प्रणाली को पूरी तरह से लागू न करना।
- उल्लेखनीय है कि अगस्त, 2017 में आरटीई (संशोधन) एक्ट, 2017 को पारित किया गया ताकि आरटीई एक्ट के अंतर्गत शिक्षकों की जो न्यूनतम योग्यता निर्दिष्ट की गई है, उसे हासिल करने की समय सीमा को चार वर्षों तक बढ़ाया जा सके। यह अतिरिक्त समय सीमा इसलिए दी गई थी क्योंकि राज्यों ने सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण पूरा नहीं किया था।
- लड़कियों के लिये तो यह बदलाव और भी गंभीर साबित हो सकता है। दरअसल कम उम्र में लड़कियों का विवाह, स्कूल का घर से दूर होना और स्कूलों में शौचालयों का अभाव आदि ऐसे कारण हैं, जिनकी वजह से लड़कियाँ माध्यमिक स्तर तक आते-आते स्कूल छोड़ देती हैं। ऐसे में 'नो डिटेंशन पॉलिसी' में बदलाव उनके स्कूल छोड़ने का एक और कारण बन जायेगा।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (एनसीईआरटी) ने इस संदर्भ में सरकार को सलाह दी कि आठवीं कक्षा तक बच्चों को फेल न करने की नीति (नो डिटेंशन पॉलिसी) को समाप्त नहीं किया जाए।
- मौजूदा बिल में भी कई कमी है जैसे- बिल सभी स्कूलों में शैक्षणिक वर्ष के अंत में कक्षा 5 और कक्षा 8 में नियमित परीक्षा कराने के लिए आरटीई एक्ट में संशोधन करता है लेकिन बिल में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन परीक्षाओं को कौन कराएगा, यानी परीक्षाएँ केंद्र द्वारा संचालित की जाएगी अथवा राज्य या स्कूल द्वारा। उल्लेखनीय है कि एक्ट का जो प्रावधान प्राथमिक शिक्षा में बोर्ड की परीक्षाओं को प्रतिबंधित करता है, उसमें भी परिवर्तन नहीं किया गया है।

विपक्ष में तर्क

- स्वत: अगली कक्षा में प्रवेश देने से बच्चों में सीखने और शिक्षकों में सिखाने का भाव कम हो जाता है।
- केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE, 2014), राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (2012) और आर्थिक सर्वेक्षण (2016-17) से पता चला है कि आरटीई एक्ट के लागू होने के बाद भी प्राथमिक शिक्षा में शिक्षण स्तर गिरा है।
- गैर-लाभकारी संगठन 'प्रथम' द्वारा प्रकाशित ग्रामीण भारत के लिये शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति (ASER) के अनुसार, पाँचवीं कक्षा के सभी छात्रों का अनुपात जो कि कक्षा दो के स्तर की पाठ्य पुस्तक पढ़ सकते थे, 2014 में 48.1% से गिरकर 2016 में 47.8% हो गया। अंकगणित और अंग्रेजी विषय में भी यही स्थिति देखी गई।
- इसी तरह 2016 के एक सर्वेक्षण में कक्षा 3 के 58% बच्चे कक्षा 1 के स्तर का पाठ पढ़ने में असमर्थ थे, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा 3 के 73% बच्चे अंकगणित के प्रश्न हल करने में असमर्थ थे।
- अधिकतर राज्यों ने जो सुझाव दिए थे, बिल के मूल्यांकन और डिटेंशन संबंधी प्रावधान उससे भिन्न थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक, चार या पाँच राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्य नो-डिटेंशन पॉलिसी खत्म करने के पक्ष में थे।
- कमजोर बच्चों में सुधार के लिए सीसीई सतत तथा व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था दी गई थी, लेकिन अधिकांश राज्यों में स्कूलों में इस दिशा में कोई काम ही नहीं हुआ। नतीजतन बड़ी संख्या में अक्षर ज्ञान तक नहीं होने के बावजूद बच्चों को आठवीं कक्षा तक प्रमोट कर दिया गया।

आगे की राह

उपरोक्त अध्ययन के पश्चात् यह कहा जा सकता है कि इस नीति के खत्म होते ही स्कूल छोडने वाले बच्चों की संख्या बढ़ सकती है। शिक्षा की

गुणवत्ता में सुधार के लिए हमें इस नीति को खत्म करने के बजाय शिक्षा के स्तर को प्रभावित करने वाले व्यवस्थागत कारकों में सुधार लाने की जरूरत है। इस संदर्भ में कुछ सुझावों को अमल में लाया जा सकता है-

- प्राथमिक शिक्षा की चुनौतियों के मद्देनजर शिक्षकों की भूमिका से संबंधित विभिन्न मुद्दों में सुधार किया जाना चहिए, जैसे-
  - शिक्षकों की जवाबदेही और मूल्यांकन तय करना साथ ही उनका मूल्यांकन करना।
  - शिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधी पाठ्यक्रम को गुणवत्तापूर्ण बनाना।
  - सेवारत शिक्षकों को सतत प्रशिक्षण देना।
  - गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों की तैनाती पर प्रतिबंध लगाना।
  - शिक्षकों के पदों की रिक्तियाँ पूरी करना।
- गौरतलब है कि केब (CABE 2014) ने सुझाव दिया था कि सभी शिक्षकों, स्कूल प्रबंधकों और विभाग के अधिकारियों की प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली शुरू की जानी चाहिए, जिसमें उन सभी के प्रदर्शन को इस बात से जोड़कर देखा जाए कि उनके विद्यार्थियों ने क्या सीखा। विदित हो कि स्कूल की जवाबदेही के ऐसे मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का 'नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट' के अंतर्गत स्कूल से यह अपेक्षा की जाती है कि कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के रीडिंग और मैथमैटिक्स की शिक्षा का वार्षिक मूल्यांकन किया जाए।
- अगर स्कूल न्यूनतम टेस्ट स्कोर हासिल करने में असफल रहता है तो ऐसे में उस स्कूल के प्रति कार्रवाई की जानी चाहिए। इस कार्रवाई के तहत निम्न दंड दिया जाता है जैसे शिक्षकों या हेडमास्टर को नौकरी से हटाना, स्कूल को रीस्ट्रक्चर या बंद करना या विद्यार्थियों को दूसरे स्कूल में ट्राँसफर करना आदि। भारत में भी इस तरह के एक्ट को लाने की जरूरत है।
- छात्रो को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और प्रशिक्षण का समय छात्रों के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए। इससे छात्र अन्य छात्रो के समान अपना प्रदर्शन बेहतर कर सकेगा और कक्षा में उसका एकीकरण सुनिश्चित होगा।
- आरटीई के अंतर्गत सतत तथा व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) प्राथमिक शिक्षा की मूल्यांकन प्रणाली है। मूल्यांकन प्रणाली को उचित तरीके से प्रयोग करने से सिखाने और सीखने की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है तथा उसमें नए प्रयोग भी किए जा सकते हैं।
- अनेक विशेषज्ञ निकायों, जैसे केब समिति (2014), नई शिक्षा नीति की विकास संबंधी समिति (2016), भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) (2017) इत्यादि ने यह स्पष्ट किया था कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली इतनी साधन संपन्न नहीं है कि आरटीई एक्ट को पूरी तरह से लागू किया जा सके। इसमें शिक्षकों, स्कूल की जिम्मेदारी, मूल्यांकन की प्रकृति और उम्र के हिसाब से शिक्षा से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। अतः इन सब में सुधार का प्रयास न सिर्फ सरकारी स्तर पर बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी किया जाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षणः एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय समिति ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है। सरकार ने इसे मूर्त रूप देने के लिए लोकसभा में 124वां संविधान संशोधन पेश किया, जिसे लोकसभा एवं राज्यसभा ने दो तिहाई बहुमत से पास कर दिया, बाद में राष्ट्रपति ने भी इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है।

क्या है मौजूदा आरक्षण व्यवस्था?

- वर्तमान समय में अनुसूचित जाति को 15 फीसदी आरक्षण प्राप्त है।
- अनुसूचित जनजाति को 7.5 फीसदी आरक्षण प्राप्त है तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण प्राप्त है।

विधेयक से संबंधित मुख्य बिंदु

इस विधेयक के अनुसार, ऐसे परिवार के लोग इस आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं-

- जिनकी सालाना आय आठ लाख रूपये या उससे कम हो।
- इसके अलावा जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि हो।
- साथ ही ऐसे परिवार जिनके पास एक हजार वर्ग फीट या उससे कम का फ्लैट हो।
- अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र अर्थात नगरीय क्षेत्र में 100 गज से कम का फ्लैट हो।
- गैर-अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में 200 गज या उससे कम का फ्लैट हो।

पृष्ठभूमि

आरक्षण का सामान्य अर्थ यह है कि अपनी जगह सुरक्षित करना। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा हर स्थान पर अपनी जगह सुनिश्चित करने या रखने की होती है चाहे वो रेल के डिब्बे में यात्रा करने के लिए हो या किसी अस्पताल में अपनी चिकित्सा कराने के लिए। साथ ही विधानसभा या लोक सभा का चुनाव लड़ने की बात हो या किसी सरकारी विभाग में नौकरी पाने की।

- भारत में आरक्षण की शुरूआत 1882 में हंटर आयोग के गठन के साथ हुई थी। उस समय विख्यात समाज सुधारक महात्मा ज्योति राव फूले ने सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की माँग की थी।
- 1901 में महाराष्ट्र के रियासत कोल्हापुर में शाहू महाराज द्वारा आरक्षण की शुरूआत की गई। यह अधिसूचना भारत में दलित वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी आदेश था।
- 1909 और 1919 में भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान किया गया।
- 1921 में मद्रास प्रेसीडेंसी ने जातिगत सरकारी आज्ञापत्र जारी किया जिसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई थी।

- 1930, 1931 और 1932 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दलित प्रतिनिधित्व की माँग गोल-मेज सम्मेलन में की।
- 1932 में महात्मा गाँधी और बी. आर. अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। पूना समझौते में दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किये गये।
- 1935 के भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान किया गया।
- 1937 में समाज के कमजोर तबकों के लिए सीटों के आरक्षण को 'गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट' में शामिल किया गया।
- भारतीय राज्यों में स्वशासन के अलावा संघीय ढाँचे को बनाने के लिए ब्रिटिश शासकों ने कानून बनाया। इस अधिनियम के साथ ही अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल शुरू किया गया।
- 1942 में भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों के उन्नति एवं समर्थन के लिए "अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ" की स्थापना की। उन्होंने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की माँग की।
- 1946 के कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में अन्य कई सिफारिशों के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव दिया गया।

26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करते हुए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए संविधान में विशेष अनुच्छेदों और धाराओं की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 10 सालों के लिए उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किये गये।

- 1953 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कालेलकर आयोग का गठन किया गया। 1956 में आई इस रिपोर्ट के मुताबिक अनुसूचियों में संशोधन किया गया।
- 1979 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए मण्डल आयोग का गठन किया गया था। 1980 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने मौजूदा आरक्षण कोटा में बदलाव करते हुए 22.5 प्रतिशत से 49.5 प्रतिशत वृद्धि करने की सिफारिश की।
- वर्ष 2005 में निजी शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों और एससी एवं एसटी वर्ग के आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए 93वां संविधान संशोधन लाया गया।

आरक्षण के लिए हाल के बड़े आन्दोलन

वर्ष 2015 में 'पाटीदार अनामट आंदोलन समिति' के बैनर तले गुजरात में बड़ा आंदोलन चला। पाटीदार समुदाय की माँग थी कि ओबीसी कोटे के तहत उन्हें भी आरक्षण मिले। पिछली सरकार ने चुनाव से ठीक पहले जाट समुदाय को ओबीसी श्रेणी में शामिल किया था, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।

राजस्थान में गुर्जर समुदाय भी आरक्षण को लेकर सड़कों पर उतरा था।

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की माँग को लेकर मराठा समुदाय के लोग कई बार सड़क पर उतरे। आरक्षण को लेकर आन्दोलनकारियों ने कई बार हिंसा भी की। हालाँकि बाद में सरकार ने विधान सभा में मराठा आरक्षण बिल पास कर दिया था। इस बिल के अनुसार राज्य में मराठाओं को 16 फीसदी आरक्षण मिलेगा। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मराठा समुदाय को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा करार दिया था।

आन्ध्र प्रदेश में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की माँग कर रहे कापू समुदाय ने वर्ष 2016 में पूर्वी गोदावरी में बड़ा आन्दोलन किया।

कापू आरक्षण की माँग भी काफी पुरानी है। कापू अर्थात् किसान इस समुदाय के लोग उत्तरी तेलंगाना और रायलसीमा में रहते हैं। इनकी गिनती अगड़ी जातियों में होती है। आंध्र प्रदेश में इनकी आबादी लगभग 16-20 फीसदी है।

देश में आरक्षण को लेकर अनेक जातियों ने आन्दोलन किए हैं। धनगर और कोर बंजारा जातियाँ खुद को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की माँग लंबे समय से कर रही हैं। इसके अलावा भी कई जातियाँ समय-समय पर आरक्षण की माँग करती रही हैं।

क्या है संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 15-सामाजिक समता का अधिकार

- अनुच्छेद 15 (1) के अनुसार राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 15 (2) के अनुसार कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर-

  क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या

  ख) पूर्णतः या आंशिक रूप से राज्य निधि से पोषित या सामान्य जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के सम्बन्ध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बन्धन या शर्त के अधीन नहीं होगा।
- अनुच्छेद 15 (1) और 15 (2) में दिए गए सामान्य नियम का प्रथम अपवाद अनुच्छेद 15 (3) में दिया गया है, जो इस प्रकार है-
- "इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों तथा बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।" अर्थात राज्य स्त्रियों तथा बालकों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध कर सकता है।
- इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खण्ड (1) के उपखण्ड (छ) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए, विधि द्वारा, कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, जहाँ तक ऐसे विशेष उपबंध, अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से भिन्न, शिक्षा संस्थाओं में, जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएँ भी हैं, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हों या नहीं, प्रवेश से सम्बन्धित हैं।

अनुच्छेद 16 - लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता

- अनुच्छेद 16 (1) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।
- अनुच्छेद 16 (2) राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा।
- अनुच्छेद 16 (3) इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो (किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के या उसमें किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति

से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है)।

- अनुच्छेद 16 (4) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।
- अनुच्छेद 16 (4क) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में (किसी वर्ग के अनुवर्ती वरिष्ठता के साथ प्रोन्नति के मामलों में) आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

कुछ महत्वपूर्ण वाद

मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपकम 1951: 1921 में मद्रास प्रेसीडेंसी ने एक जातिगत सरकारी आज्ञापत्र जारी किया, जिसमें गैर-ब्राह्मणों के लिए 44 प्रतिशत, ब्राह्मणों के लिए 16 प्रतिशत, मुसलमानों के लिए 16 प्रतिशत, भारतीय-एंग्लो/ईसाइयों के लिए 16 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों के लिए आठ प्रतिशत आरक्षण दिया गया था, जिसे 1951 में मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपकम के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय के अनुसार जाति आधारित आरक्षण अनुच्छेद 15 (1) का उल्लंघन है। इस निर्णय के परिणामस्वरुप संविधान की धारा 15(4) में संशोधन किया गया, जिससे राज्य को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वह सामाजिक अथवा शैक्षिक दृष्टि से दो पिछड़े हुए वर्गों के नागरिकों के लिए अथवा अनुसूचित जातियों और जनजातियों की उन्नति के लिए कोई विशेष व्यवस्था कर सकता है।

एमआर बालाजी व अन्य बनाम मैसूर राज्य 1963: एम. आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य 1963 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पिछड़े वर्ग में वर्गीकरण असंवैधानिक है, कोई विशेष वर्ग पिछड़ा वर्ग है या नहीं। इसके निर्धारण के लिए व्यक्ति की जाति ही एकमात्र कसौटी नहीं हो सकती है। इसके निर्धारण के लिए आर्थिक दशा, निर्धनता, पेशा, निवास स्थान आदि पर भी ध्यान देना चाहिए। बालाजी बनाम मैसूर राज्य के मामले में सरकार के एक आदेश, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 68 फीसदी सीटें आरक्षित की गई थीं, जिसे जरूरत से ज्यादा मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया और यह माना कि कुल आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि आरक्षण के लिए जाति अपने आप में कोई आधार नहीं बन सकती। उसमें दिखाना होगा कि पूरी जाति ही शैक्षणिक और सामाजिक रूप से दूसरी जातियों से पिछड़ी है।

इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992: 1992 में पहली बार इंदिरा साहनी केस में कहा गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण अनुमान्य नहीं है। संसद ने इस पर विचार किया और 77वां संविधान संशोधन आया। उस संशोधन में कहा गया कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को यह अधिकार है कि वह प्रमोशन में भी आरक्षण दे सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आरक्षण तो दे सकते हैं, लेकिन वरिष्ठता नहीं मिलेगी। उसके बाद 85वां संविधान संशोधन संसद से पास हुआ। इन्दिरा साहनी प्रकरण में उच्चतम न्यायालय की 9 जजों वाली संवैधानिक पीठ ने 1992 में संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राजकीय सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण को सही नहीं माना तथा यह आदेश दिया कि इन वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण केवल अगले 5 वर्ष तक ही यथावत रखा जाएगा।

एम. नागराज और अन्य बनाम भारत संघ 2006: उच्चतम न्यायालय के समक्ष 77वें व 85वें संविधान संशोधनों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा चुनौती दी गयी। उच्चतम न्यायालय ने 2006 को एम. नागराज प्रकरण के नाम से अपना निर्णय दिया, जिसमें इन संवैधानिक संशोधनों को तो सही माना किन्तु कहा कि सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति के वर्गों के कर्मियों को पदोन्नति में आरक्षण देना चाहती है तो इस हेतु उसे इन वर्गों के पिछड़ेपन, राजकीय सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व एवं सरकार के काम की दक्षता पर प्रभाव के संबंध में आँकड़े एकत्रित कर आधार तैयार करना होगा।

एम. नागराज केस में कहा गया कि 77वां संविधान संशोधन और 85वां संविधान संशोधन, दोनों संवैधानिक हैं, लेकिन किसी भी राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को अगर प्रमोशन में आरक्षण देना है, तो तीन बातें अवश्य ध्यान देनी होगी और उनका अध्ययन करना होगा। एक, इन वर्ग के लोगों में आज भी पिछड़ापन है या नहीं? दूसरा, इस वर्ग के लोगों का सेवाओं में सक्रिय प्रतिनिधित्व है या नहीं? तीसरा, अगर अनुसूचित जाति, जनजाति के अधिकारी और कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाता है, तो यह भी अध्ययन करना होगा कि क्या प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा?

मंडल आयोग और आरक्षण

वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद सदस्य बी. पी. मंडल की अध्यक्षता में किया था। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 340 के तहत संविधान पिछड़े वर्गों के लोगों की शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जाँच करते हुए उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की। आयोग ने 3743 जातियों की पहचान की, जो सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी थी। अपनी सिफारिश में आयोग ने अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी। मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की। 9 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने 16 दिसम्बर, 1992 को कोर्ट में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के फैसले को उचित ठहराया।

पक्ष में तर्क

वर्तमान में लाया गया विधेयक न सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर बल्कि आर्थिक स्थिति के आधार पर भी आरक्षण देने का प्रावधान करता है, जो संविधान की प्रस्तावना में भी उल्लिखित है-

- यह विधेयक देश में समान नागरिक और समान आरक्षण की अवधारणा को मजबूत करेगा।
- इससे जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था पर रोक लगेगी तथा सभी को आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण मिलेगा।
- अगर आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाता है तो इससे सामाजिक वैमनस्यता में कमी आएगी।
- इससे आर्थिक आधार पर सभी कमजोर वर्गों को आगे बढ़ने का समान अवसर प्राप्त होगा।
- इससे संविधान निर्माताओं के सपने साकार होंगे।

- सामान्य वर्ग के आर्थिक तबकों के पिछड़े लोगों को दिया जाने वाला आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग को मिल रहे आरक्षण की मौजूदा 50 फीसदी सीमा से अलग होगा।

विपक्ष में तर्क

- वर्तमान विधेयक में आरक्षण दिये जाने की कोई समय सीमा तय नही किये जाने से लोग आरक्षण प्राप्त करने के आदी हो जाएंगे।
- वर्तमान समय में निर्धारित 10% का आरक्षण देने के लिए सरकार के पास आँकड़े मौजूद नहीं हैं। ज्ञातव्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि सरकारी नौकरियों के प्रमोशन में आरक्षण किस आधार पर दिया जाए इसका स्पष्ट आँकड़ा भी होना चाहिए।
- आर्थिक आधार जुड़ने से आरक्षण की माँग लगभग सभी वर्गों के लोग करने लगेगें।
- विपक्षी दलों की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो 10% आरक्षण दिया जा रहा है अगर इसके दायरे में ही बड़ी आबादी आ जाएगी तो फिर आरक्षण का फायदा ही क्या होगा।
- यह विधेयक जल्दबाजी में लाया गया है, जबकि इस तरह के प्रस्ताव को लाने से पहले पर्याप्त चर्चा, विचार-विमर्श किया जाना चाहिए था।

निष्कर्ष

देश में किसी भी समुदाय को आरक्षण इसलिए दिया जाता है ताकि समाज के अन्य वर्गो की भाँति उनकी भी उन्नति सुनिश्चित की जा सके तथा संविधान की प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, आर्थिक, न्याय की अवधारणा की पूर्ति की जा सके। देश के सभी नागरिक आर्थिक रूप से संपन्न होंगे तो देश तेजी से विकास करेगा। मौजूदा समय में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को दिया जाने वाला आरक्षण एससी/एसटी तथा ओबीसी को दिये जाने वाले आरक्षण से अलग होगा जो एक सराहनीय कदम है। लेकिन इसके लिए यह भी आवश्यक है कि दी जा रही आरक्षण की समयावधि भी तय हो। साथ ही एक समयावधि के बाद इसकी समीक्षा भी की जानी चाहिए। ज्ञातव्य है कि संविधान में आरक्षण की सीमा 10 वर्ष ही निर्धारित की गई थी जिसको समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है लेकिन एससी/एसटी तथा ओबीसी की स्थिति में कुछ खास बदलाव नहीं आया है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए की लोग आरक्षण के आदी न हो जाएं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

■

4. साहित्यिक स्वतंत्रता विधेयक, 2018: एक परिचय

चर्चा का कारण

हाल ही में कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर ने देश में साहित्यिक स्वतंत्रता की गारंटी और संरक्षण के लिए 'साहित्यिक स्वतंत्रता विधेयक-2018' संसद में पेश किया। शशि थरूर के अनुसार, देश में साहित्यिक स्वतंत्रता बढ़ाने के उद्देश्य से लोकसभा में यह विधेयक लाया गया है। इस विधेयक में पुराने प्रावधानों को हटाने की कोशिश की गई है, जो लोकतंत्र की भावना के अनुरूप नहीं है, जैसे कि ईशनिंदा और अश्लीलता कानून। इस बिल में किताबों पर प्रतिबंध लगाने की सरकार की शक्ति पर काफी हद तक अंकुश लगाने की बात कही गई है।

पृष्ठभूमि

भारत में साहित्यिक पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाने की शुरूआत 1920 के दशक में अविभाजित भारत के शहर लाहौर में हुई, जिसमें एक आर्य समाजी हिंदू प्रकाशक ने मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद के निजी जीवन के बारे में एक विवादास्पद किताब प्रकाशित की थी। पैगम्बर मोहम्मद पर लिखी जाने वाली किताब के प्रकाशक राजपाल को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ मुकदमा चला, तब धर्म के अपमान से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस घटना के बाद भारतीय दंड संहिता में धर्म के अपमान के लिए धारा 295-ए को शामिल किया गया।

भारत में दो बड़े धर्म हिन्दू और इस्लाम के अनुयायी धर्म और धार्मिक पात्रों पर लिखी जाने वाली पुस्तकों, फिल्मों और कलाकृतियों को प्रतिबंधित करने के लिए ईश निंदा के कानून का इस्तेमाल करते रहे हैं।

भारत एक ऐसा देश है जहाँ हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध आदि बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, जो अपनी-अपनी संस्कृति और धर्म में विश्वास रखते हैं। यदि भारत में कोई भी ऐसी पुस्तक लिखी जाती है जिससे किसी धर्म का अपमान होता है तो इसका विरोध होना स्वाभाविक है। भारत में आधुनिकता अभी उतनी तेजी से नहीं आई है कि इस तरह के विचारधारा को लोग बर्दाश्त कर सकें। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन क्या इसकी कोई सीमा भी बांधी जानी चाहिए? क्या रचनात्मक आलोचना और अपमान के बीच कोई लकीर होनी चाहिए? धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने को लेकर भारत में भी समय-समय पर विवाद होता रहा है और कई पुस्तकों को प्रतिबंध का सामना करना पड़ा है।

फ्रीडम ऑफ लिटरेचर बिल क्या है?

- इस बिल में भारत सरकार द्वारा उन सभी कानूनों को हटाने की बात कही गई है, जो देश में किसी विशेष प्रकार के साहित्य को अलग-अलग मापदंडों के अनुसार प्रतिबंधित करते हैं। यानी लेखकों, पुस्तकों और उनके लेखन की स्वतंत्रता को बचाना है।
- इस विधेयक या बिल में भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code), दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure), सीमा शुल्क अधिनियम (Customs Act) और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम the Indecent Representation of Women (Prohibition) में प्रावधानों को संशोधित करने का प्रयास किया गया है, जो साहित्यिक और कलात्मक स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं।
- द फ्रीडम ऑफ लिटरेचर बिल, 2018 (The Freedom of Literature Bill, 2018) को पेश करने के पीछे का कारण यह है कि यदि सरकार को कोई भी किताब प्रतिबंधित करना हो तो उसके पीछे सरकार को उपयुक्त कारण

देना होगा। आज के समय में सरकार के पास ऐसे कई प्रावधान हैं जिसके तहत वो किसी भी किताब को प्रतिबंधित कर सकती है और उसके लिए उसे कोई कारण देना अनिवार्य नहीं है। उक्त बिल के अनुसार, किताबों पर प्रतिबंध लगाने के बायोग्राफिक कारणों का युक्तियुक्त तर्क प्रस्तुत करना चाहिए।

- इस बिल का फोकस कुछ धाराओं पर भी किया गया है। IPC की धारा 295A के तहत अगर आप जानबूझकर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं तो तीन साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही धारा 298 जिसके अनुसार धार्मिक शख्सियतों के खिलाफ कुछ गलत नहीं कहा जा सकता है और यदि आप कहते हैं तो इस पर भी सजा का प्रावधान है। यह बिल इसमें संशोधन करने पर बल देता है।
- इसके अलावा इस बिल में कस्टम्स एक्ट के बारे में भी जिक्र किया गया है क्योंकि सरकार को जब किसी भी किताब को प्रतिबंधित करना होता है तो भारत में उसकी प्रिंटिंग और बिक्री पर भी रोक लगा दी जाती है साथ ही साथ किताब का आयात भी नहीं किया जा सकता है।
- IPC की धारा 292 के अनुसार अश्लील या वलगर किताब लेखन एवं पेंटिंग्स को बेचने पर भी प्रतिबंध है। यह बिल इस पर भी संशोधन के बारे में जिक्र करता है। CrPC की धारा 95 के तहत कोई भी राज्य सरकार किसी भी किताब पर तब प्रतिबंधित लगा सकती है जब उसको लगता है कि इस किताब से सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, समुदायों के बीच में मुठभेड़ हो सकती है इत्यादि।

परिचय

साहित्य एक ऐसा माध्यम है जो लेखकों और पाठकों के बीच स्वतंत्रता को अभिव्यक्त करता है, इसको बनाये रखता है और उसकी सराहना करता है हालाँकि ऐसा देखा गया है कि जो संबंध आत्मा और शरीर का है, वहीं संबंध साहित्य और समाज का भी है। साहित्यकार अपनी रचना से समाज को दिशा प्रदान करता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है और दीपक भी और साहित्य के बिना समाज अधूरा होता है। साहित्य वैचारिक स्वतंत्रता के माध्यम से लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का एक बेहतर माध्यम है। लेखकों के लिए, उनके लेखन में रचनात्मकता हमेशा-स्वतंत्रता की सीमा का विस्तार करने में मदद करती है। साहित्य निर्माण की स्वतंत्र प्रकृति और इसकी प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है।

चूंकि साहित्य मानवीय आचरण को प्रभावित करता है तथा उनके अन्य विचारों को भी अपने कृत्यों से प्रभावित करता है। लेकिन इन्हीं साहित्यिक कृत्यों से कभी-कभी मानवीय भावनाएँ तथा देश की एकता और अखण्डता भी प्रभावित होती है, इसलिए सरकार भी समय-समय पर कुछ साहित्यिक रचनाओं पर प्रतिबंध लगाती है। क्या इस तरह के प्रतिबंध लगाये जाने चाहिए? अगर हाँ तो इस पर व्यापक विचार-विमर्श भी होना चाहिए। अगर किसी लेखक या चित्रकार या कार्टूनिष्ट के कृत्यों से वाकई में किसी की भावनाएँ आहत होती हैं तो उसे प्रतिबंधित करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि इन कृत्यों पर अनावश्यक प्रतिबंध न लगाए जाएं। यह जोर देकर कहा जाता है कि साहित्य को समाज और सरकार के समतुल्य विचारों से भी श्रेष्ठ मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। उचित होगा अगर हम नैतिकता और सरकार के हितों को ध्यान में रखकर साहित्य या कृति के सबल पक्ष और निर्बल पक्ष पर सीधे विचार करें। (साथ ही साहित्य के ऐतिहासिक पक्ष को भी ध्यान में रखना होगा।)

सरकारी और गैर सरकारी विधेयक क्या है?

सरकारी बिल या गवर्नमेंट बिल को संसद में केवल एक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जबकि गैर-सरकारी या प्राइवेट बिल को संसद के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। प्राइवेट बिल प्रस्तुत करने का उद्देश्य होता है सरकार का ध्यान एक खास विषय पर लाना। दोनों बिलों में मुख्य अंतर यह होता है कि जब संसद सत्र चल रहा हो तब गवर्नमेंट बिल को संसद में लोक सभा या राज्य सभा के किसी भी मंत्री द्वारा संसद के किसी भी सदन में किसी भी दिन पेश किया जा सकता है लेकिन प्राइवेट बिल को सिर्फ शुक्रवार को ही पेश किया जा सकता है बाकी के किसी भी दिन इसको पेश नहीं किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि अब तक 14 प्राइवेट बिल पास हो चुके हैं। इसमें से पाँच राज्य सभा में पेश किए गए थे और बाकि लोक सभा में पेश किए गए थे।

गैर-सरकारी या प्राइवेट बिल एक ऐसे कानून के लिए प्रस्तावित किया जाता है जो किसी खास व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या निगम के लिए लागू होता है। गैर-सरकारी बिल किसी व्यक्ति या संस्था को अन्य कानूनों से राहत दिला सकता है या विशेष लाभ एवं शक्तियाँ उपलब्ध करवा सकता है, जो वर्तमान कानून में वर्णित नहीं है। इसके अलावा किसी व्यक्ति या संस्था को कथित तौर पर गलत तरीके से होने वाली कानूनी कार्रवाई से भी बचा सकता है।

भारत में लगाये गए कुछ पुस्तकों पर प्रतिबंध

- यदि कोई लेखक अपनी किताब में जानबूझकर ऐसी चीजें डालता है जो किसी धर्म, समुदाय की भावनाओं को भड़का देती है तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार उस पुस्तक को देश में प्रतिबंधित कर सकती है।
- द सैटेनिक वर्सेस (सलमान रूश्दी): प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी की यह किताब 1988 में प्रकाशित हुई। मुस्लिम समुदाय ने इस किताब को पैगम्बर मोहम्मद को अपमानित करने वाला बताया और काफी रोष जताया जिससे यह पुस्तक भारत सहित कई अन्य देशों में प्रतिबंधित कर दी गई।
- लज्जा (तस्लीमा नसरीन): यह उपन्यास 1993 में पहली बार प्रकाशित हुआ। इस्लामी कट्टरपन और बर्बरता को दुनिया के सामने लाने के कारण इस उपन्यास को इस्लाम की छवि को खराब करने वाला घोषित कर लेखिका के खिलाफ मौलवियों ने सजा-ए-मौत के फतवे जारी किए।
- द हिन्दू : एन एलटरनेटिव हिस्ट्री: अमेरिकी लेखिका Wendy Doniger की यह किताब भारत में आलोचना का शिकार हुई। लेखिका के विचार में भारतीय मुख्यधारा का इतिहास पुरुष, ब्राह्मण और गोरे प्राच्यविदों द्वारा लिखा गया। Doniger ने महिलाओं, कुत्तों, घोड़ों और जातियों के दृष्टिकोण से हिंदू धर्म के इतिहास को चित्रित किया।
- Lady Chatterley's Lover (D.H. Lawrence): Lady Chatterley's Lover, डी एच लॉरेंस द्वारा 1928 में लिखी एक उपन्यास है। सुस्पष्ट यौन दृश्यों के कारण यह पुस्तक चर्चित और विवादित हुई। कहानी में प्रेमी एक श्रमिक वर्ग का पुरुष है और प्रेमिका एक कुलीन महिला है।
- Understanding Islam Through Hadis Religious Faith or Fanaticism?: इस किताब के लेखक रामस्वरूप हैं। वे ईस्लाम, ईसाईयत और साम्यवाद के आलोचक रहे हैं। यह पुस्तक सबसे पहले 1982 में अमेरिका में प्रकाशित हुई। इनके मित्र सीताराम गोयल ने 1987 में किताब को हिंदी में छापा।
- Great Soul: Mahatma Gandhi and His Struggle with India:- इस पुस्तक के लेखक पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेलीवेल्ड

हैं। इस पुस्तक के अनुसार महात्मा गांधी के जर्मन बॉडीबिल्डर हरमन कालेनेबेच के साथ यौन संबंध थे। इस पुस्तक पर 21 मार्च 2011 को प्रतिबंध लगा दिया गया।

- डीएन झा की किताब 'द मिथ ऑफ द होली काउ', और डेसमंड स्ट्वार्ट की 'अर्ली इस्लाम' प्रतिबंधित पुस्तकों में शामिल हैं।
- देश के अग्रणी पेंटर मकबूल फिदा हुसैन की बनाई गई हिंदू देवी-देवताओं की कुछ कलाकृतियों को कुछ हिंदू संगठनों ने हिंदू देवताओं का अपमान करार दिया। मकबूल फिदा हुसैन की पेंटिंग प्रदर्शनियों पर हमले किए गए और चरमपंथियों के हमले के अंदेशे से उन्होंने कतर की नागरिकता ले ली थी।

क्या है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता?

भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष, सहिष्णु और उदार समाज की गारंटी देता है। संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मनुष्य का एक सार्वभौमिक और प्राकृतिक अधिकार है। लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों का कहना है कि कोई भी राज्य और धर्म इस अधिकार को छीन नहीं सकता।

भारतीय संविधान में 'विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नागरिक स्वतंत्रताओं की आधार रेखा' कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) जिन छह मौलिक अधिकारों का प्रावधान करती है उनमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रथम स्थान है। अन्य मौलिक अधिकारों की ही तरह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी आत्यंतिक और अनियंत्रित नहीं है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त सीमाएँ इन बातों के आधार पर लगायी जा सकती हैं- (1) मानहानि, (2) न्यायालय की अवमानना, (3) शिष्टाचार या सदाचार, (4) राज्य की सुरक्षा, (5) दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, (6) अपराध के लिये उकसावा, (7) सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और (8) भारत की संप्रभुता और अखंडता। सुप्रीम कोर्ट ने विचार और अभिव्यक्ति के इस मूल अधिकार को 'लोकतंत्र के राजीनामे का मेहराब' कहा है क्योंकि लोकतंत्र की नींव ही असहमति के साहस और सहमति के विवेक पर निर्भर है।

आवश्यकता क्यों?

- सत्य तथा ज्ञान की खोज और उसके प्रसार के लिए अभिव्यक्ति की आजादी अत्यंत आवश्यक है।
- अभिव्यक्ति की आजादी इंसान को आत्म-विकास से ओतप्रोत और सम्मानजनक महसूस करने के लिए जरूरी है।
- अभिव्यक्ति की आजादी इंसान को अपनी सोच के अलावा राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक नजरिया रखने का भी अवसर प्रदान करती है, जिससे देश और समाज का विकास होता है। यह व्यक्ति को लोकतंत्र में भागीदारी लेने का अवसर भी उपलब्ध कराती है।

आगे की राह

- साहित्य समाज का दर्पण होता है इसलिए साहित्यकारों को उनकी रचना से वंचित नही किया जाना चाहिए। इससे न सिर्फ समाज बल्कि देश की प्रगति भी बलवति होती है।
- लेकिन साहित्य की स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध सरकार द्वारा यह सोचकर लगाया जाता है कि यदि कोई साहित्य देश की एकता और अखण्डता के लिए खतरा है तो साहित्यकारों को सरकार द्वारा लगाए गये प्रतिबंध को स्वीकार करना होगा क्योंकि यह राष्ट्रहित के लिए जरूरी है।
- इस पर पाठकों का कहना है कि किताब को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, अगर किसी को किताब पसंद नहीं आ रही है या किताब से असहमत हैं तो उसको न पढ़े क्योंकि किताबों को प्रतिबंधित करने का अर्थ हुआ लेखकों के विचारों को प्रतिबंधित करना। जिसका अर्थ है अभिव्यक्ति की आजादी (फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन) को रोकना और ये एक लोकतांत्रिक समाज की पहचान नहीं है।
- साहित्य पर जानबूझकर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसका अवलोकन होना चाहिए।
- साहित्य की स्वतंत्रता लोकतंत्र के साथ ही आती है लेकिन इसकी स्वतंत्रता को हमेशा से दबाए जाने की कोशिश की जाती रही है। साहित्य की स्वतंत्रता के लिए हर पीढ़ी को लड़ना पड़ता है। हाल के दिनों में कई साहित्यिक किताबों को प्रतिबंधित किया गया जिससे लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी पर कुठाराघात माना जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि साहित्यिक आजादी को पर्याप्त स्वतंत्रता दी जाय जिससे कि साहित्य लोकतंत्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

5. भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली: सुरक्षित पुल की महत्वपूर्ण कड़ी

चर्चा का कारण

हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली (IBMS) की औपचारिक शुरूआत की। आईबीएमएस को देश के सभी पुलों की एक सूची बनाने और उनकी संरचात्मक स्थिति के बारे में जानने के लिए विकसित किया जा रहा है ताकि इसके माध्यम से संरचना की महत्ता के आधार पर समय-समय पर इनकी मरम्मत और पुनर्निर्माण किया जा सके।

परिचय

4 अक्टूबर, 2016 को केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने आईबीएमएस की शुरूआत की थी। हालाँकि परिवहन क्षेत्र में बुनियादी ढ़ाँचे में एक प्रमुख घटक तत्व के रूप में पुलों का रखरखाव, यातायात की बढ़ती मात्रा और मौजूदा पुलों की बिगड़ती हालत एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का कहना है कि पुलों को लेकर कोई स्पष्ट डाटा नहीं है, इस कारण से पुलों की सही संख्या और स्थान को लेकर स्पष्टता नहीं है। पुलों की खराब हालत से परिवहन पर प्रतिकूल असर पड़ता है और अनेक अवसरों पर दुर्घटनाओं से जीवन को काफी क्षति पहुँचती है।

ज्ञातव्य है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम के तहत 1,72517 पुलों/संरचनाओं का निर्माण किया है। इन संरचनाओं में 1,34,229 पुलिया, 32,806 छोटे पुल, 3,677 बड़े पुल और 1,835 अतिरिक्त पुल शामिल हैं। आइबीएमएस के द्वारा सूची बनाते समय प्रत्येक पुल को अनूठी पहचान संख्या या राष्ट्रीय पहचान संख्या, राज्य आरटीओ जोन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य का राजमार्ग और जिले की सड़कों के आधार पर दी जाती है। फिर जीपीएस के माध्यम से अक्षांश, देशान्तर के संदर्भ में पुल के वास्तविक स्थान का पता किया जाता है और इसी के आधार पर पुल स्थान संख्या दी जाती है।

पुलों को ढ़ाँचागत रेटिंग संख्या भी दी जाती है। यह संख्या शून्य और 9 के स्केल पर पुल को दी जाती है। यह रेटिंग पुल के ढ़ाँचे से संबंधित घटकों पर विचार करने के बाद दी जाती है। पुलों को सामाजिक, आर्थिक पुल रेटिंग संख्या भी दी जाती है। इससे क्षेत्रीय सामाजिक-आर्थिक गतिविधि में पुल के योगदान का महत्व निर्धारित होगा।

सूची के आधार पर आईबीएमएस डाटा का विश्लेषण करेगा और उन पुलों की पहचान करेगा जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पुल की संचालन उपलब्धता में सुधार, अवधि में वृद्धि तथा मरम्मत कार्य को प्राथमिकता देने के लिए निरीक्षण कार्य किया जाएगा। डाटा से यह ज्ञात करने में मदद मिलेगी कि किस पुल की स्थिति कितनी गंभीर है और किसे फिर से बनाने की जरूरत है।

वर्तमान स्थिति

सरकार का आँकड़ा है कि देश भर में अब दैनिक आधार पर 30 किलोमीटर राजमार्गों का विकास हो रहा है। बढ़े हुए सड़क नेटवर्क का मतलब है कि सरकार द्वारा एक मजबूत सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पैदा किया जा रहा है। ऐसी कई प्रमुख परियोजनाओं के माध्यम से रोजगार के साथ ही साथ बेहतर कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आईबीएमएस में तेज गति से विकास किया जा रहा है, जो केन्द्र सरकार के 'मेक इन इंडिया' की अवधारणा को पुष्ट करता है।

आइबीएमएस द्विवार्षिक श्रृंखला के दूसरे संस्करण का शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2018 में हैदराबाद में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन में भारत और विश्व के प्रतिनिधि भाग लिये थे, जो चार क्षेत्रों जैसे कि अकादमिक, सार्वजनिक क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के पेशेवर आदि से संबंधित थे। इस सम्मेलन को दुनियाभर के शोधकर्ताओं, विद्वानों के द्वारा सराहा गया था क्योंकि इसमें पुल प्रबंधन संबंधी कई नीतिगत उपायों को लागू किया गया।

पुल खराब होने के कारण

पुलों के खराब होने या उसके गिरने के एक नहीं बल्कि कई कारण हैं, जिसे निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है।

- पुनर्निर्माण का मतलब सिर्फ बड़ी-बड़ी नदियों पर ही पुल बनाने से नहीं है बल्कि वैसे स्थानों पर जहाँ पानी के बहाव के कारण भी आवागमन बाधित हुआ हो, वहाँ भी पुल के निर्माण से है। चूंकि पहाड़ी व पठारी इलाकों में पानी के तेज बहाव के कारण छोटी-छोटी आवागमन की पुलें टूट जाती हैं जिससे एक क्षेत्र का जुड़ाव दूसरे क्षेत्र से बाधित हो जाता है।
- पुनर्निर्माण के समय अकसर यह देखा जाता है कि वहाँ कि स्थिति का सही तरीके से अवलोकन नहीं किया जाता है। दिल्ली में निजामुद्दीन पुल इसका बेहतर उदाहरण है। नदी प्रवाह एवं आस-पास के बसे शहरों की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जो बाद में पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण बनते हैं।
- निर्माण से पहले अपर्याप्त तैयारी तथा निर्माण के दौरान गुणवत्ता से समझौता एवं सख्त निगरानी का अभाव भी देश में पुलों के गिरने व उन्हें असक्षम बनाने के जिम्मेदार कारक हैं।
- देश के अंदर पुल का निर्माण दीर्घकालिक न करके अल्पकालिक सिद्धांत पर किया जाता है और यह अवधारणा पेश की जाती है कि एक समय बाद इसके समानान्तर दूसरा पुल बना दिया जाएगा लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। चूंकि लम्बे समय तक चलने वाले पुलों के निर्माण में पैसा अधिक लगता है इसलिए अल्पकालिक पुलों का निर्माण किया जाता है।
- पुलों के निर्माण के लिए बजट की कमी एवं भ्रष्टाचार के कारण पुलों के निर्माण व उसकी कार्यक्षमता में एक बड़ी चुनौती है।
- कई विशेषज्ञ पुलों के निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी को भी इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। उनका कहना है कि भारत में ज्ञान और पैसे की कमी नहीं है लेकिन जब इसके सही इस्तेमाल की बात आती है तो हम पीछे हो जाते हैं, जिसका एक बड़ा कारण भ्रष्टाचार है।

पुल से संबंधित कुछ प्रमुख दुर्घटनायें	
21 जुलाई, 2001	कदलुंडी रेल पुल दुर्घटना, (कदलुंडी नदी चेन्नई) 57 लोगों की मौत
10 सितम्बर, 2002	रफीगंज रेल पुल दुर्घटना, 130 लोगों की मौत
29 अक्टूबर, 2005	वेलागोंडा रेलवे ब्रिज दुर्घटना, 30 लोगों की मौत
14 दिसम्बर, 2006	भागलपुर फुट ब्रिज दुर्घटना, 20 लोगों की मौत
9 सितम्बर, 2007	हैदराबाद में फ्लाईओवर ब्रिज दुर्घटना, 20 लोगों की मौत
1 अक्टूबर, 2008	लखनऊ में निर्माणाधीन फ्लाईओवर दुर्घटना, 6 लोगों की मौत
25 सितम्बर, 2009	कोटा चंबल पुल ब्रिज दुर्घटना, 20 लोगों की मौत
सितम्बर, 2010	कोलकाता मझरहट फ्लाईओवर दुर्घटना, 20 लोगों की मौत
25 मई, 2012	पौड़ी गढ़वाल निर्माणाधीन पुल दुर्घटना, 6 लोगों की मौत
10 जून, 2014	सूरत में फ्लाईओवर दुर्घटना, 3 लोगों की मौत
25 अगस्त, 2015	नवादा में फ्लाईओवर ब्रिज दुर्घटना, 27 लोगों की मौत
31 मार्च, 2016	कोलकाता में विवेकानंद फ्लाईओवर ब्रिज दुर्घटना, 27 लोगों की मौत
2 अगस्त, 2016	महाराष्ट्र में सावित्री नदी पुल दुर्घटना, 28 लोगों की मौत
18 मई, 2017	गोवा में सांवेरडेम नदी पुल दुर्घटना, 2 लोगों की मौत
16 मई, 2018	वाराणसी में निर्माणाधीन फ्लाईओवर दुर्घटना 18, लोगों की मौत

- पुल के निर्माण होने पर सामग्री प्रबंधन की कोई जाँच नहीं होती है। कंक्रीट, स्टील और अन्य घटकों के अनुपात को बदल दिया जाता है तथा सही तरीके से इसकी सेंटरिंग नहीं की जाती है।
- उल्लेखनीय है कि आज से लगभग 200-250 वर्ष पहले अंग्रेजों के द्वारा बनाये गये पुल आज भी अपना काम कर रहे हैं लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा बनाये गये कई पुल या तो गिर गये या खराब हो चुके हैं। अतः इससे यह साबित होता है कि उनकी सोच और वैसी तकनीकी का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं जो पुलों के गिरने का एक बड़ा कारण है।

पुल निर्माण के लिए नयी सोच

- पुल निर्माण के दो प्रमुख पहलू हैं- एक वैचारिक सोच और दूसरा प्रौद्योगिकी। पुल निर्माण के लिए एक बेहतर सोच, सुरक्षा मानकों पर स्वस्थ बहस, भौगोलिक जानकार व निर्माण कार्य में दक्ष इंजीनियरों व श्रमिकों की आवश्यकता होती है। वहीं दूसरी तरफ बेहतर प्रौद्योगिकी, मौसम पूर्वानुमान के लिए आवश्यक तकनीक की आवश्यकता होती है। यद्यपि देश में कई पुलों का निर्माण हो रहा है फिर भी इन बातों पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
- बेहतर पुल निर्माण के लिए संसाधनों के नये रास्ते तलाशने और उनका उचित कार्यान्वयन करने की आवश्यकता है।
- पुल निर्माण में सार्वजनिक निजी भागीदारी को भी शामिल किया जा सकता है। यह कार्यप्रणाली और इसकी कार्यक्षमता को बेहतर बनायेगा।
- पुलों के रखरखाव के लिए एक बेहतर निरीक्षण प्रणाली की आवश्यकता है, जिससे समय-समय पर पुलों की स्थिति से रूबरू हो सकें।
- अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत हैं कि यदि पुलों का निरीक्षण सही तरीके से किया जाय और उचित रखरखाव का पालन किया जाय तो पुलों की आयु को लंबे समय तक बनाये रखा जा सकता है।
- उल्लेखनीय है कि आधुनिक उपग्रह प्रणालियाँ अब कम समय में मिलीमीटर स्तर तक की निगरानी कर सकती है। पुल की निगरानी के लिए इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

आगे की राह

- पुल लोगों के जुड़ाव को ही नहीं बल्कि उनके व्यापार को भी बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। भारत में कई पुल अभी भी अंग्रेजों के जमाने के हैं जो अपनी जिर्णावस्था के शिकार हैं। अत: सरकार को ऐसे पुलों पर ध्यान देना चाहिए और उनकी मरम्मत व पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए।
- पुल निर्माण के लिए संबंधित विभागों में समन्वय अति आवश्यक है जिससे कि धन और तकनीक की कमी न हो।
- कुशल राजमिस्त्री और इंजीनियरों के साथ-साथ निर्माण करते समय गुणवत्तापूर्ण सामग्री, उचित सुरक्षा तथा निर्माण मानकों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
- पुलों का निर्माण राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे पुलों के गुणवत्ता से समझौता हो जाता है।
- भारत में उपलब्ध पुलों का सही से निरीक्षण किया जाना चाहिए। साथ ही पुलों के बनने के समय, उसकी अवधि तथा उसकी वर्तमान स्थिति का अवलोकन किया जाना चाहिए।
- देश में हो रही पुल दुर्घटनाओं पर गहराई से विचार किये जाने की आवश्यकता है तथा उसके समाधान के लिए कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
- चूंकि भारत का भौगोलिक परिदृश्य कई असमानताओं से भरा है, इसलिए आवश्यकता है कि सभी राज्यों को ध्यान में रखते हुए पुल निर्माण की सामग्री और तकनीक अलग-अलग हो, जिससे कि बेहतर पुलों का निर्माण हो सके।
- पुलों के कुशलतापूर्वक रख-रखाव के लिए केन्द्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है।
- नये पुलों के निर्माण के साथ ही साथ आवश्यकता इस बात की है कि जो पुल पहले से बने हुए हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाय और उनके मरम्मत का हर संभव प्रयास किया जाय।
- जिन नदियों पर पुल बनाये गये हैं आवश्यकता इस बात की भी है कि उन नदियों को कचरामुक्त किया जाय जिससे उनमें गाद बनने से रूक सकें और पुलों पर पानी का प्रभाव कम हो सके।
- हमें सरकार को चाहिए कि पुलों के निर्माण के लिए विदेशी तकनीकी जैसे- इजरायल, फ्रांस , अमेरिका, ब्रिटेन आदि जैसे देशों से लेकर बेहतर पुल निर्माण की तरफ आगे बढ़ें। सस्ता और कामचलाऊ निर्माण के बजाय ठोस और टिकाऊ निर्माण कार्य पर ध्यान देना होगा जिससे कि जान और माल दोनों की सुरक्षा की जा सकें। साथ ही साथ देश के बेहतर और बुद्धिमान इंजीनियरों को देश की सेवा करने का अवसर प्रदान करना चाहिए जिससे कि वे देश में ही रहकर अपनी सम्पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल कर सकें।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

■

6. जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, 2019

चर्चा का कारण

हाल ही में 'जर्मनवाच' (German Watch), न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट (New Climate Institute) एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क (Climate Action Network) द्वारा संयुक्त रूप से 'जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक' (Climate Change Performance Index : CCPI) जारी किया गया। मानवीकृत मानदंडों के आधार पर यह सूचकांक 56 देशों के जलवायु संरक्षण के प्रदर्शन, मूल्यांकन एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है।

क्या है रिपोर्ट?

वर्ष 2019 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 76.28 अंकों के साथ स्वीडन ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। शीर्ष 3 स्थान रिक्त रखे जाने के कारण स्वीडन सूचकांक में चतुर्थ क्रम पर है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रथम तीन स्थानों पर कोई भी देश स्थान नहीं बना सका है, क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों की रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। इस सूचकांक में मोरक्को को पाँचवाँ (समग्र रूप से द्वितीय) एवं लिथुआनिया को छठा (क्रम में तृतीय) स्थान प्राप्त हुआ है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, 2019 में भारत को 11वां स्थान (स्कोर-62.93) प्राप्त हुआ। इस वर्ष के सूचकांक में भारत की स्थिति में गत वर्ष की तुलना में तीन स्थानों का सुधार हुआ है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 के सूचकांक में भारत का 14वां स्थान था।

विश्व के दो सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देश चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका सूचकांक में

क्रमशः 33वें तथा 59वें स्थान पर हैं। सूचकांक में सबसे नीचे सऊदी अरब (60 वां), संयुक्त राज्य अमेरिका (59वां) एवं ईरान (58वां) हैं, जिन्हें सबसे खराब (Very Poor) रेटिंग प्रदान की गई है। ब्रिक्स देशों में भारत को शीर्ष स्थान (11वां) प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ब्राजील को 22वां दक्षिण अफ्रीका को 39वां तथा रूस को 52वां स्थान प्राप्त हुआ है।

उत्तर अफ्रीकी देश मोरक्को (Morocco) ने पिछले पाँच वर्षों में नवीकरणीय तकनीकी की हिस्सेदारी में अत्यधिक वृद्धि करते हुए नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा को बढ़ाया है। ग्रिड के लिये दुनिया के सबसे बड़े सौर संयंत्र के कनेक्शन के साथ, मोरक्को 2020 तक 42% स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर है।

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) क्या है?

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) अंतर्राष्ट्रीय जलवायु रणनीति के बारे में स्पष्ट समझ विकसित करने और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिये बनाया गया एक महत्वपूर्ण उपकरण है। पहली बार 2005 में जारी किये जाने के बाद से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये विभिन्न देशों द्वारा किये गए प्रयासों की निगरानी करता है। इसका उद्देश्य उन देशों पर राजनीतिक और सामाजिक दबाव बढ़ाना है, जो अब तक जलवायु संरक्षण पर उचित कार्रवाई करने में विफल रहे हैं।

रैंकिंग परिणामों को चार श्रेणियों - 'ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन', 'नवीकरणीय ऊर्जा' 'ऊर्जा उपयोग' तथा 'जलवायु नीति' के अंतर्गत 14 संकेतकों पर देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर परिभाषित किया गया है।

वर्तमान स्थिति

गौरतलब है कि भारत ने जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने में अपने प्रयासों से अपनी रैंक में सुधार कर लिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय संघ समेत कुल 56 देश 90 फीसदी कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें पेरिस समझौते के तहत तापमान बढ़ोत्तरी को दो डिग्री नीचे रखने के उपायों का विश्लेषण किया गया है। इसमें मौजूदा कार्बन उत्सर्जन, हरित ऊर्जा के इस्तेमाल, प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के आँकड़ों को आधार बनाया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 56 में से 40 देशों के कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। इसके बावजूद यह अब भी लक्ष्य के हिसाब से काफी नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, जी-20 देशों के समूह में शामिल आठ देशों यथा जापान, तुर्की, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, अमेरिका तथा कोरिया का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। भारत में कोयला आधारित परियोजनाओं की मंजूरी से स्थिति भयावह होती जा रही है, इसलिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। देश में कोयला आधारित बिजली घर बंद करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। चिंता की बात तो यह है कि कोयले के इस्तेमाल से पैदा होने वाले बेहद महीन कणों की वजह से हुए प्रदूषण से समूची दुनिया में तकरीबन 16 फीसदी लोगों की मौत होती है। इसलिए पर्यावरण जैसे प्रमुख मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयास से ही कामयाबी की उम्मीद की जा सकती है।

धीमी प्रगति के कारण

बीते दिनों पोलैंड के कैटोविस शहर में 2 दिसम्बर से 14 दिसम्बर तक चला संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया। यह सम्मेलन जिसमें दुनिया के तकरीबन 200 देशों ने भाग लिया, का अधिकांश समय पेरिस सम्मेलन के लक्ष्यों को लागू करने में हुई बहस में ही बीता और अंतिम दिन तक कोई परिणाम सामने नहीं आ सका। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सम्मेलन में दुनिया के विकसित एवं विकासशील देश अधिकतर समय तक वित्त प्रवाह आदि मुद्दों को लेकर उत्पन्न गतिरोध दूर करने में ही लगे रहे। इसके बावजूद वह अपने उद्देश्य में नाकाम ही रहे जबकि इसमें कोई दो राय नहीं कि जलवायु परिवर्तन के चलते पैदा हुए दुष्प्रभावों को मानवता के सामने खड़े सबसे बड़े और भयावह संकट के रूप में देखा जा रहा है। यह सबसे बड़ा चिंतनीय विषय है कि यदि अब भी नहीं चेते तो हालात से निपटना टेढ़ी खीर होगी।

विडम्बना यह है कि अमेरिका और रूस आदि देश आईपीसीसी की रिपोर्ट को ही खारिज करते आये हैं। यह देश इन प्रयासों से अब भी दूरी बनाये हुए हैं। सम्मेलन में अमेरिकी प्रतिनिधियों ने यह साफ कर दिया है कि दुनिया जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल करती रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो यह बात बार-बार कहते रहे हैं कि पेरिस समझौते को ही खारिज कर देना चाहिए। पेरिस समझौते से अमेरिका को अलग कर चुके ट्रंप कहते हैं कि पहले चीन और जापान समेत संपूर्ण एशिया और अन्य देश उत्सर्जन कम करें। जाहिर है कि इस तरह के अमेरिकी रवैये से जलवायु परिवर्तन रोकने के प्रयासों को ही नुकसान पहुंचेगा। हालाँकि अमेरिका की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक एजेंसी 'नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फ्येरिक एडमिनिस्ट्रेशन' की रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन पर अंकुश के प्रयास नहीं किये तो उसे सदी के अंत तक अरबों-खरबों डॉलर की बहुत बड़ी क्षति का सामना करना पड़ेगा। जो अमेरिका के कई राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद से बहुत अधिक होगा। पूरी दुनिया पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में अधिकाधिक कटौती का दबाव है। आईपीसीसी की बीते महीने आई रिपोर्ट में जिस तरह तापमान में डेढ़ और दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का आकलन किया गया था, उसके बाद पूरी दुनिया में इसे डेढ़ डिग्री तक सीमित रखने की जरूरत महसूस की जा रही है।

सबसे बड़ी बात यह है कि पेरिस समझौते के तहत विकसित देशों ने 2020 तक विकासशील देशों को प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता देने पर सहमति प्रदान की थी लेकिन यह कितनी बड़ी विडम्बना है कि अभी तक विकसित देश इस मद में वर्ष 2016 के दौरान केवल 55 अरब डॉलर की राशि ही इकट्ठा कर सके हैं। यह राशि न केवल लक्ष्य से बहुत दूर थी बल्कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन की दिशा में राशि का मात्र एक चौथाई भाग ही दिया गया। यहीं नहीं कैटोविस के जलवायु वित्त के मसौदे में 2020 के बाद के जलवायु वित्त को लेकर कोई नये दीर्घावधि लक्ष्य पर सहमति बनी ही नहीं जबकि विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन सम्बंधी कार्यवाहियों की लागत कम से कम तकरीबन 100 अरब डॉलर से कहीं अधिक होगी। उस हालत में जबकि अकेले जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन सम्बंधी कार्यों में तकरीबन लागत 140 से 300 अरब डॉलर प्रतिवर्ष आने वाली है। इस मसौदे को केवल पिछले 100 अरब डॉलर के लक्ष्य तक ही सीमित रखा गया और विकसित देशों से उसी लक्ष्य को हासिल करने का आह्वान किया गया। साथ ही मसौदे में आशा के अनुरूप पेरिस समझौते के तहत विकसित देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु एवं संकल्प पूर्ति हेतु अपने देशों में बजटीय प्रावधान का उल्लेख न किया जाना और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से विस्थापित 12 करोड़ लोगों की क्षतिपूर्ति के सवाल पर कोई सहमति न होना समझ से परे है।

प्रभाव

सच तो यह है कि भारत समेत कई राष्ट्रों ने उत्सर्जन में कमी के जो लक्ष्य पूर्व में निर्धारित किये हैं, वह तापमान बढ़ोतरी को डेढ़ डिग्री तक सीमित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

- दरअसल जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरों को कम आँका जा रहा है जबकि हकीकत में अध्ययनों-शोधों ने साबित कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन की चपेट में आने वालों की तादाद में बीते चार सालों के दौरान हमारे देश में लगभग 200 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
- 2012 से 2016 के बीच यह तादाद चार करोड़ को पार कर गई है। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण तापमान में बढ़ोतरी और तबाही की बढ़ती घटनायें हैं। इसका असर सबसे ज्यादा कम आय वाले देशों पर पड़ रहा है। इसमें भारत सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में शीर्ष पर है। लांसेट की रिपोर्ट इसका प्रमाण है।
- रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के खतरों से होने वाली मौतों में हमारे देश में उच्च आय वाले देशों की तुलना में सात गुना ज्यादा मौतें होती हैं और घायल व विस्थापित होने वाले लोगों की तादाद हमारे यहाँ छह गुना ज्यादा है।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20 फीसदी हिस्सा जलवायु परिवर्तन के कारण खतरे में है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देश की आधी आबादी पर पड़ा है जबकि देश का 17 फीसदी आर्थिक उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 2.80 करोड़ हेक्टेयर गेहूँ की खेती में से 90 लाख हेक्टेयर खेती पर बढ़ते तापमान का दुष्प्रभाव पड़ा है।
- कृषि क्षेत्र की पैदावार में 4 से 5 फीसदी की कमी दर्ज की जा चुकी है। इससे भारत को प्रति वर्ष उसकी जीडीपी का 1.5 फीसदी का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसमें दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है। देश में जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं लेकिन वह नाकाफी है।
- दुनिया भर में बारिश की सालाना तय मात्रा की आधी बारिश अब महज 12 दिन में ही हो जाती है। मौजूदा हालातों के चलते यह घटकर इस सदी के अंत तक 11 दिन ही रह जायेगा। एकदम से कम समय में भारी बारिश होने से बाढ़ की प्रबल संभावना होती है जिससे फसलों की बर्बादी व जन-धन की हानि होती है। इससे गर्मी की अवधि बढ़ेगी व समुद्र का जलस्तर बढ़ने से अरब सागर और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ेगा, इससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन के साथ पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान होगा।
- गंगा, ब्रह्मपुत्र व महानदी के मुहाने के आसपास के लोगों के जीवन पर खतरा बढ़ेगा, सूखा पड़ेगा, मक्का, चावल, गेहूँ, आदि दूसरे अनाजों की पैदावार में कमी आयेगी। गेहूँ-चावल की गुणवत्ता और खाद्य-पदार्थों की उत्पादकता प्रभावित होगी, पशुधन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, पानी के स्रोतों में कमी आयेगी और मलेरिया, डेंगू जैसे कीटजनित रोगों में बेतहाशा वृद्धि होगी।

आगे की राह

संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि हम मानवता के समक्ष विनाश का पर्याय बनकर खड़े जलवायु परिवर्तन को रोकने की अपनी योजना के क्रियान्वयन से अभी बहुत दूर खड़े हैं। यदि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतरेस की बात मानें तो हम अभी अपेक्षा से बहुत कम प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में हमारी गति बहुत ही धीमी है जबकि हमें जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने की दिशा में तेजी से काम करना होगा। उन्होंने इसकी अहमियत का ध्यान दिलाते हुए कहा है कि इस अवसर को बेकार में गंवाना जलवायु परिवर्तन को और बढ़ाना है। यह न केवल अनैतिक बल्कि आत्मघाती कदम होगा। इस मुद्दे पर तत्काल कार्यवाही की जरूरत है।

असलियत यह है कि मौजूदा सदी के अंत तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करने के लक्ष्य को तभी पूरा किया जा सकता है जब जीवाश्म ईंधन से होने वाले उत्सर्जन को वर्ष 2030 तक आधा कर दिया जाये। वर्ष 2015 में हुए पेरिस सम्मेलन में भी वैश्विक तापमान दो डिग्री सेल्सियस से कम रखने का लक्ष्य रखा गया था। जबकि विभिन्न शोध और अध्ययन रिपोर्टों के अनुसार 2030 तक वैश्विक तापमान में एक डिग्री की बढ़ोतरी होगी। 2040 तक यह 1.5 डिग्री और 2065 तक दो डिग्री तक हो जायेगी। आईपीसीसी तक ने यह साफ कर दिया है कि यदि समय रहते रोकथाम के कारगर उपाय नहीं हुए तो वर्ष 2100 तक तापमान बढ़ोत्तरी चार डिग्री तक हो सकती है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

7. कश्मीर में शांति बहाली का प्रयास

चर्चा का कारण

हाल ही में जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि भारतीय सेना आतंकवाद रोधी अभियानों में लगी हुई है, जिसे कथित रूप से 'ऑपरेशन ऑल-आउट' कहा जा रहा है। हालाँकि राज्यपाल ने राजनीतिक दलों एवं अलगाववादियों द्वारा कहे गये शब्द ऑपरेशन ऑल-आउट को सीधे से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सेना द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का उद्देश्य राज्य में शांति बहाली को कायम करना है, जिससे राज्य में शांति स्थापित हो सके, साथ ही स्थानीय जनता विकास की मुख्यधारा में शामिल हो सके।

जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद की शुरूआत

जम्मू एवं कश्मीर में तीन राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र शामिल हैं-जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। कश्मीर घाटी को कश्मीर के दिल के रूप में देखा जाता है। कश्मीरी बोलने वाले ज्यादा लोग मुस्लिम हैं। बहरहाल, कश्मीरी-भाषी लोगों में अल्पसंख्यक हिन्दू भी शामिल हैं। जम्मू क्षेत्र पहाड़ी, तलहटी एवं मैदानी इलाके का मिश्रण है जहाँ हिन्दू, मुस्लिम और सिख यानी कई धर्म और भाषाओं के लोग रहते हैं। लद्दाख पर्वतीय इलाका है जहाँ बौद्ध एवं मुस्लिमों की आबादी है, लेकिन यह आबादी बहुत कम है।

जम्मू और कश्मीर राज्य भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा विवाद का विषय बना रहा है। इस कारण इन दोनों के बीच तीन बार युद्ध (1947,

1965 और 1999) हो चुके हैं। इसका कारण पाकिस्तान द्वारा इस क्षेत्र पर अपना दावा करना रहा है। 1947 के युद्ध के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तथा शेष भारत के पास बचे कश्मीर के बीच की लाइन को नियंत्रण रेखा (LOC) मान लिया गया है। आज भी इस नियंत्रण रेखा के पास तनाव बना रहता है।

1970-80 के दशक में सरकार ने आर्थिक सुधारों की शुरूआत तो की लेकिन घाटी के कई लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया। स्थानीय सरकारें भी लम्बे समय तक भ्रष्ट रहीं, जिससे स्थानीय लोग कई धाराओं में बँट गये। इसका परिणाम यह हुआ कि न तो उन्हें सरकारी नौकरियों में ठीक तरीके से प्रतिनिधित्व मिल सका और न ही वे विकास की राह पर आगे बढ़ सके। सिर्फ यही नहीं इनको राज्य विधानमण्डल व राष्ट्रीय राजनीति में भी ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका। इन्हीं परिस्थितियों का फायदा उठाकर घाटी में दो बड़े उग्रवादी संगठनों का उदय हुआ, जिसमें मुस्लिम यूनाइटेड फ्रन्ट (MUF) तथा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रन्ट (JKLF) प्रमुख थे।

उल्लेखनीय है कि कश्मीर घाटी के शिक्षित मुस्लिम युवा बेरोजगारों को जेकेएलएफ (JKLF) ने अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया तथा अस्सी के दशक में उग्रवादियों का प्रदर्शन शुरू हो गया। 1987 के राज्य विधानसभा चुनाव में एमयूएफ (MUF) के निराशाजनक परिणाम के बाद घाटी में राजनेताओं का अपहरण शुरू हो गया। इसी संदर्भ में उग्रवाद की आधिकारिक शुरूआत दिसम्बर 1989 से मानी जाती है जब भारत के तत्कालीन गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद का अपहरण हुआ था। भारत सरकार ने रुबिया को छुड़ाने के लिए आतंकवादियों की माँगें मान ली, जिससे कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में लगातार बढ़ोत्तरी हुई। इसके साथ ही 1990 में घाटी से कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की शुरूआत भी हुई।

उग्रवाद के चरण

- पहला- 1990 से 1996 तक का उग्रवाद, जो शहरी क्षेत्रों पर केन्द्रित था।
- दूसरा- 1996 से 2002 तक का उग्रवाद जो ग्रामीण क्षेत्रों में चला।
- तीसरा- 2002 के बाद से कम तीव्रता वाला उग्रवाद

पहले चरण के अंतर्गत कश्मीर के शहरी इलाकों विशेषकर श्रीनगर और अन्य छोटे शहरों में सबसे अधिक हिंसक घटनाएँ हुईं। इस हिंसक घटनाओं में लगभग एक लाख कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ दी और जम्मू और नई दिल्ली के आस-पास शिविरों में बस गये। हालाँकि 1990 के दशक के मध्य तक सुरक्षा बलों ने कश्मीर में हिंसा की घटनाओं को नियंत्रित किया जिससे उग्रवाद धीरे-धीरे कम हो गया।

दूसरा चरण 1996 के दशक से प्रारम्भ होता है जिसमें लश्कर-ए-तैयबा जैसे विदेशी समूहों ने उग्रवाद को कश्मीर में बढ़ाया। इस संगठन ने पुनः भारत के खिलाफ ''जिहाद'' का नारा दिया। अब उग्रवादी घाटी के ग्रामीण इलाकों में प्रवेश कर गये। नब्बे के दशक के उत्तरार्द्ध में जम्मू के डोडा, राजौरी, और पुंछ जिलों में भी कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया और उनका नरसंहार किया गया। साथ ही सुरक्षा बलों के खिलाफ आत्मघाती हमले हुए। वर्ष 2000 के शुरूआत में उग्रवादियों की यह एक नई रणनीति बन गयी।

तीसरे चरण में उग्रवाद में कमी दर्ज की गई जिसमें सुरक्षा बलों को छिटपुट घटनाओं का सामना करना पड़ा।

जम्मू-कश्मीर में छद्म युद्ध और उसकी कार्यप्रणाली

- पाकिस्तान से सटी सीमा पर लगातार हलचल से भारत के सामने खतरे और चुनौतियाँ बढ़ रही हैं। पाकिस्तान कश्मीर में परोक्ष युद्ध को समर्थन दे रहा है जबकि वहाँ खुद ही आतंकवादी घटनाओं में लगातार जानें जा रही हैं।
- आतंकवादियों को नियंत्रण रेखा पार करने में कठिनाई हो रही है इसलिए वे अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं।
- पाकिस्तान संघर्ष विराम उल्लंघन की आड़ में जम्मू-कश्मीर में छद्म युद्ध को बढ़ावा दे रहा है।
- पाकिस्तान में आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविर आज भी चल रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तान सरकार का या सेना का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। इन शिविरों में भारत विरोधी नारे एवं कश्मीर को भारत द्वारा पीड़ित बताया जा रहा है।
- पाकिस्तान द्वारा राज्य की धर्मनिरपेक्ष नींव पर हमला करके कश्मीर घाटी से हिन्दुओं का पलायन सुनिश्चित करने के लिए कट्टरपंथी इस्लामी गतिविधियों का समर्थन किया जा रहा है।
- प्रत्येक मंच चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो या जी-20 शिखर सम्मेलन हो, उसमें कश्मीर मुद्दे का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करना और भारत को मुसलमानों के उत्पीड़क के रूप में प्रस्तुत करना पाकिस्तान के एजेंडे में शामिल रहा है।
- भारत की छवि खराब करने के लिए पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से झूठी तस्वीरें पेश कर दुष्प्रचार करने में लगा रहता है।
- कश्मीर में फिलिस्तीनी तर्ज पर पथराव की योजना एवं उसका क्रियान्वयन करना।
- अलगाववादियों को अवैध पैसा पहुंचाकर, अशांति की गतिविधियों को सक्रिय करना।
- स्वतंत्रता की लड़ाई के नाम पर कम तीव्रता वाले युद्ध को उच्च तीव्रता वाले युद्ध में बदलना।

विद्रोह से संबंधित सरकारी आँकड़ा

अगस्त 2018 में जम्मू-कश्मीर के पुलिस विभाग द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसमें यह बताया गया कि पिछले एक दशक में विद्रोहियों की संख्या लगभग 200 है। यह रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करता है कि जम्मू और कश्मीर में विद्रोह की निरंतरता बनी हुई है।

वर्ष 2013 में उग्रवादियों की संख्या 78 दर्ज की गई जो 1990 के बाद से सबसे कम थी। पुलिस की वर्तमान रिपोर्ट में इस समय जम्मू और कश्मीर में विद्रोहियों की संख्या लगभग 327 बतायी गयी है जिसमें से अधिकांश 211 लोग स्थानीय हैं जबकि हिज-बुल-मुजाहिद्दीन (एचएम) और लश्कर-ए-तोएबा (एलईटी) के सदस्यों की अनुमानित संख्या क्रमशः 141 और 128 है। जैश-ए-मोहम्मद (JEM) ने भी इसी साल घाटी में अपना आधार मजबूत किया है। रिपोर्ट के अनुसार 2016 की शुरूआत में घाटी में लगभग 100 सक्रिय आतंकवादी थे, जो 2018 की शुरूआत में लगभग 150 हो गए।

रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2011 तक विद्रोह में 14634 नागरिक, 6007 सुरक्षा बल और 22535 आतंकवादी मारे गये। इसके साथ ही स्थानीय बुनियादी ढाँचे का भी विनाश हुआ है। "सैन्य रणनीतिकारों" का कहना है कि यदि कश्मीर से सैन्य गतिविधियों को हटाया गया तो घाटी पूरी तरह से हिंसा के चपेट में आ जायेगी।

चुनौतियाँ

- कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों को सशस्त्र बल अधिनियम के तहत विशेष अधिकार दिये

गये हैं, जिससे वे स्वतंत्रता के साथ काम कर सकें। परंतु कश्मीरी लोगों में बढ़ती उग्रवाद की प्रवृत्ति, कश्मीरी समस्या का राजनैतिक समाधान न होना तथा धर्म पर आधारित राजनीति आदि कारण यह दर्शाता हैं कि भारत जम्मू-कश्मीर में उग्रवादी गतिविधियों को समाप्त करने में अपेक्षाकृत सफलता नहीं दर्ज कर पाया है।

- कश्मीरी अल्पसंख्यकों को पाकिस्तान तथा क्षेत्रीय महाशक्तियों द्वारा समर्थन दिया जा रहा है।
- रिपोर्ट के अनुसार घाटी में जब भी मुठभेड़ की घटना होती है तो युवाओं में उग्रवाद की तरफ रुझान बढ़ जाता है।
- हाल की घटनाओं में पत्थरबाजों में युवा, महिलाएँ और बच्चें भी शामिल होने लगे हैं।
- अब स्थानीय लोगों द्वारा आतंकवादियों को खुला समर्थन विशेष रूप से मुठभेड़ के दौरान उनको भगाने में देखने को मिलता है।
- मुठभेड़ों के दौरान घाटी के कई स्थानीय लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस मुत्यु के कारण कई हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं जिससे वहाँ कर्फ्यू लगाना पड़ता है।
- राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में वहाँ विकास कार्यों में बाधाएँ बढ़ती जा रही हैं।

जम्मू-कश्मीर के लिए शांति की प्रक्रिया

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने जम्मू और कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए एक नई पहल की शुरूआत की थी, जिसमें भारत-पाकिस्तान वार्ता मुख्य थी। अटल बिहारी वाजपेयी के शासन काल में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर कई बातचीत हुईं। इन सबके अतिरिक्त कश्मीरी नेता जिनमें अलगाववादी भी शामिल थे। उन्होंने इन वार्ताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यूपीए शासनकाल में भी सरकार ने अलगाववादियों और स्थानीय नेताओं से शांति प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने के कई प्रयास किये थे।

भारत सरकार ने 2018 में 'सरकार के प्रतिनिधि' के तौर पर दिनेश्वर शर्मा को कश्मीर में वार्ता के लिए भेजा था। दिनेश्वर शर्मा ने सभी राजनीतिक पार्टियों और जम्मू कश्मीर के सभी पक्षों से बातचीत करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इस शांति प्रक्रिया में राज्य के युवा महत्वपूर्ण पक्षकार थे। इन प्रयासों से वहाँ के युवाओं को सही दिशा में गति मिली जिससे वह अपनी रचनात्मकता, बुद्धिमता और नवीन ऊर्जा एवं प्रतिभा का फलप्रद तरीके से इस्तेमाल करने लगे।

सरकार द्वारा किये गए अन्य प्रयास

- भारत सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर सीमा पार से घुसपैठ को रोकने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा पर तथा हर समय बदल रहे घुसपैठ के मार्गों के निकट बहु-स्तरीय तथा बहु-रूपात्मक तैनाती करना, सीमा पर बाड़ का निर्माण करना, सुरक्षा बलों के लिए उन्नति प्रौद्योगिकीय निगरानी, हथियार और उपकरणों का प्रावधान करना, बेहतर आसूचना और परिचालनात्मक समन्वय, आसूचना का सुचारू प्रवाह और राज्य के अंदर आतंकवादियों के विरूद्ध सक्रिय कार्रवाई करना शामिल है।
- राज्य की शांति भंग करने के उग्रवादियों के प्रयासों और क्षमताओं को निष्क्रिय करने के लिए सरकार ने विभिन्न आतंकवाद रोधी रणनीतियाँ अपनाई हैं।
- सरकार ने युवाओं को मुख्यधारा में लाने और उन्हें उग्रवाद से दूर रखने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की नीतियाँ को भी बढ़ावा दिया है।
- सीमा-पार के आतंकवाद से सीमाओं की रक्षा करने और उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए सभी सुरक्षा बलों द्वारा सक्रिय और समन्वित उपाय करना।
- यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाए और राज्य में लम्बे समय से जारी उग्रवाद के प्रभाव के कारण लोगों के सामने आ रही सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सिविल प्रशासन की बहाली को प्राथमिकता दी जाए।
- एक स्थाई शांति प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है और राज्य में हिंसा का त्याग करने वाले सभी वर्गों के लोगों को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जा रहे हैं।
- वैधानिक ढांचे के अंतर्गत वास्तविक शिकायतों को दूर करना।
- जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार को उच्च स्तरीय सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था प्रणाली स्थापित करने के लिए वर्ष 2017 में 500 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई है।
- राज्य सरकार की पहलों में उसकी सहायता करने के लिए, केंद्र सरकार आवश्यकतानुसार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल उपलब्ध करा रही है और राज्य पुलिस को सुदृढ़ बनाने में भी सहायता प्रदान कर रही है।

सुरक्षा संबंधी समस्या हेतु समाधान के प्रयास

संघ सरकार द्वारा त्रिस्तरीय नीति का पालन: आतंकी गतिविधियों को रोकने, उग्रपंथी समूहों को दबाने तथा सीमा पार घुसपैठ पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा बलों की पर्याप्त संख्या में तैनाती एवं इसके अतिरिक्त इसमें और भी कदम उठाये गयेः

- आर्म फोर्सेज स्पेशल पॉवर एक्ट, 1990 का लागू किया जाना। इससे 'अशांत क्षेत्र' घोषित होने वाले क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को विशिष्ट अधिकार मिल जाते हैं। खोज एवं गिरफ्तारी संबंधी विशेष शक्तियाँ सुरक्षा बलों को प्राप्त हो जाती हैं।
- दो एकीकृत हेडक्वार्टर: जम्मू और लद्दाख डिवीजन का गठन-काउण्टर विप्लववाद अभियानों में समन्वय करने के लिए पुलिस, CRPF, ITBP, BSF, IB के सर्वोच्च अधिकारियों की नियुक्ति।
- 'विशेष समूह का गठन': यह घुसपैठ रोकने तथा उग्रपंथी व आतंकवादियों को खदेड़ने की रणनीति का परीक्षण करेगा।
- आर्म्ड रिजर्व की चार कंपनियों का गठन करना।
- खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए 'जासूसी उपग्रह' का प्रक्षेपण तथा उसके सिग्नलों के विश्लेषण के लिए DIPAC (Defence related Image Processing Application Center) का गठन।
- सुरक्षा बलों तथा स्थानीय पुलिस बलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना।
- राज्य के आर्थिक विकास को त्वरित करना।
- सभी आतंकी एवं उग्रपंथी गुटों के साथ वार्ता का विकल्प खुला रखना तथा समर्पण करने वाले उग्रपंथियों का पुनर्वास की व्यवस्था करना।

विशेष उद्योग की पहल (एस.आई.आई.जे एंड के) 'उड़ान'

डॉ.सी.रंगराजन की अध्यक्षता में गठित विशेष समूह की सिफारिश के आधार पर, भारत सरकार ने भारत के विभिन्न कॉरपोरेटों और गृह मंत्रालय के बीच भागीदारी के रूप में जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष उद्योग की पहल योजना 'उड़ान' आरंभ की है। इस योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तरीके से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जम्मू एवं कश्मीर के उन बेरोजगार युवाओं की रोजगार क्षमता और कौशल को बढ़ाना है जो स्नातक, स्नातकोत्तर अथवा तीन वर्ष के इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक हैं।

उड़ान योजना के तहत, राज्य के 80,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित करने की प्रतिबद्धता

के साथ 109 अग्रणी कॉरपोरेटों ने एनएसडीसी के साथ भागीदारी की है, जिसमें संगठित खुदरा, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ, आईटी, आईटीईएस, खेल, अवसंरचना, दूर-संचार, पर्यटन, विनिर्माण, परिचिकित्सा और जीव विज्ञान क्षेत्र आदि शामिल हैं।

आगे की राह

- वर्तमान में उग्रवाद की शक्ति और संख्या का आकलन करना एक कठिन प्रक्रिया है क्योंकि आज इसके लड़ने का तरीका परंपरागत उग्रवाद से भिन्न है। आज उग्रवाद अलग-अलग तरीके अपनाकर हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। अतः हमें इन घटनाओं का सूक्ष्म विश्लेषण कर रणनीति बनानी होगी। सुरक्षा रणनीति के तहत घाटी के लोगों को खासकर युवाओं को सेना की तरफ आकर्षित करने तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों में उनको सेवा के लिए प्रेरित करना चाहिए जिससे वहाँ की स्थिति को बेहतर बनाया जा सके।
- कश्मीर में विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा बलों की मौजूदगी तो आवश्यक है साथ ही साथ जरूरत इस बात की है कि वहाँ के स्थानीय लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखकर कल्याणकारी योजनाओं का भी सही तरीके से क्रियान्वयन हो।
- समस्या का समाधान सिर्फ बल ही नहीं होता बल्कि जरूरत इस बात की है कि स्थानीय लोगों की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित की जाये।
- जम्मू-कश्मीर को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने भी अपने प्रयासों को बढ़ाया है इस बात को ध्यान में रखते हुए जम्मू-कश्मीर के लोगों को सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए तथा सरकार को भी घाटी के युवाओं को राजनीतिक उपेक्षा और अलगाव से बचाना चाहिए।
- इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सरकार की रणनीति दोतरफा होनी चाहिए। एक तरफ वह पाकिस्तान के साथ वार्ता करे तथा दूसरी तरफ घाटी के युवा लोगों को रोजगार दें। सरकार और कश्मीर घाटी के लोगों के बीच अविश्वसनीयता का एक बड़ा कारण यह भी है कि खराब संचार तथा मीडिया द्वारा उनकी वास्तविक कठिनाईयों को ठीक से पेश नहीं किया जाता। अतः आवश्यकता इस बात की है जम्मू-कश्मीर के लोगों तथा राज्य सरकार, भारत सरकार के बीच संचार विकसित कर वहाँ की मूल समस्या को खत्म किया जाये, जिससे कि घाटी में अमन व चयन की बहाली हो सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन-संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी

प्र. राजनीतिक सशक्तिकरण हेतु महिलाओं का प्रतिनिधित्व आवश्यक है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि संसद और विधानसभा में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ाई जानी चाहिए? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति क्यों बढ़ाई जाय
- राजनीति में महिलाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ
- भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकारी प्रयास
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स रिसर्च (UNU-WIDER) ने माना है कि महिलाओं का निर्वाचन क्षेत्रों में चुने जाने से अधिक आर्थिक विकास होता है। इस संगठन ने जिन मापदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया उनमें भ्रष्टाचार, दक्षता और कार्य करने की प्रेरणा प्रमुख थे।

परिचय

- आज महिलाएँ हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित कर रही हैं परंतु इसके बावजूद, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है तो मतदाता के रूप में पुरुषों के समान अधिकार तो उन्हें 1935 में ही दे दिया गया था। इसके लिए उन्हें दुनिया के दूसरे देशों की तरह लम्बा संघर्ष नहीं करना पड़ा।
- पश्चिमी देशों में मेरी वोल्स्टोनक्रॉफ्ट द्वारा 1792 में स्त्रियों के लिए मताधिकार की माँग सबसे पहले उठाई गयी थी, तब से इस अधिकार के लिए जो व्यापक संघर्ष शुरू हुआ, उसे 20वीं शताब्दी में सफलता हासिल हो सकी। कई देशों में तो आज भी महिलायें इस अधिकार से वंचित हैं।

राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति क्यों बढ़ाई जाय

- संसद और विधानमण्डलों में पर्याप्त संख्या में महिलाएँ होने पर राशन-पानी की कमी या दिन-प्रतिदिन शराब की बढ़ोतरी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा साधारण औरत में हिम्मत भी बढ़ेगी जिससे वह सांसद, विधायक, अफसर के यहाँ अपनी बात पहुँचा सकेगी।
- महिला प्रतिनिधि असमानता, लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा आदि मुद्दों को उठाकर स्थानीय शासन की प्रकृति व दिशा को परिवर्तित कर सकती हैं।

राजनीति में महिलाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ

- भारत में लोकतंत्र की स्थापना अपने-आप में मील का पत्थर साबित हुई जिसको साकार करने में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रथम लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने संसद में 22 सीटें प्राप्त की थीं जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में 61 महिलाएँ ही चुनी गईं। हालाँकि इतने लंबे अंतराल के बाद भी यह वृद्धि 36 प्रतिशत हीं रही जो उत्साहवर्द्धक नहीं कही जा सकती।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकारी प्रयास

- सरकार द्वारा 1993 में 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के बाद महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त हुई हैं।
- रचनात्मक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी बढ़ी है।
- 73वें संविधान संशोधन के पश्चात महिलाओं को ज्यादा फायदा मिल रहा है, क्योंकि पंचायत चुनावों में उनकी भागीदारी ज्यादा देखने को मिल रही है।

आगे की राह

- केवल महिला आरक्षण ही महिला सशक्तिकरण को संभव नहीं बना सकता। महिला प्रतिनिधि शिक्षा, सूचना एवं ज्ञान के माध्यम से ही अपने कार्यों एवं दायित्वों को संभाल सकती हैं। इस संदर्भ में मीडिया को भी अहम भूमिका निभाना चाहिए।
- पंचायती चुनावों में महिलाओं की भागीदारी अधिक-से-अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे कि उनकी राष्ट्रीय राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित की जा सकें। ■

नो डिटेंशन पॉलिसीः एक अबूझ पहेली

प्र. नो डिटेंशन पॉलिसी (No Detention Policy) से आप क्या समझते हैं? इस पॉलिसी के पक्ष और विपक्ष पर चर्चा करते हुए अपनी राय व्यक्त करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- नो डिटेंशन पॉलिसी क्या है?
- पक्ष में तर्क

- विपक्ष में तर्क
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में संसद ने बच्चों के लिए नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा विधेयक, 2019 को पारित कर दिया है। इसका उद्देश्य स्कूलों में 'फेल न करने की नीति' (नो डिटेंशन पॉलिसी) को समाप्त करना है।

नो डिटेंशन पॉलिसी क्या है?

- 'नो डिटेंशन पॉलिसी', शिक्षा के अधिकार अधिनियम (2009) का अहम हिस्सा है। इस नीति के तहत 1 से 8 कक्षा तक किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाता है।
- इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्रों की सफलता का मूल्यांकन केवल उनके द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर न किया जाए बल्कि इसमें उनके सर्वांगीण विकास को भी ध्यान में रखा जाए।

पक्ष में तर्क

- बच्चों को उसी कक्षा में रोकने के परिणामस्वरूप बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं (ड्रॉप आउट)। चूँकि जब किसी बच्चे को उसकी उम्र से कम उम्र के बच्चों के समूह में बैठना पड़ता है, तो वह परेशान होता है तथा दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक, 2014-2015 में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर लगभग 4% थी और बच्चों को परीक्षाओं के आधार पर फेल करने से स्कूल छोड़ने की दर में वृद्धि होगी।
- विशेषज्ञों के अनुसार, परीक्षा में फेल होने के बाद कक्षा दोहराने पर यह माना जाता है कि सारी गलती बच्चे की है और शिक्षण परिणामों को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों को नकार दिया जाता है।

विपक्ष में तर्क

- स्वत: अगली कक्षा में प्रवेश देने से बच्चों में सीखने और शिक्षकों में सिखाने का भाव कम हो जाता है।
- केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE, 2014), राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (2012) और आर्थिक सर्वेक्षण (2016-17) से पता चला है कि आरटीई एक्ट के लागू होने के बाद भी प्राथमिक शिक्षा में शिक्षण स्तर गिरा है।

आगे की राह

- आरटीई के अंतर्गत सतत तथा व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) प्राथमिक शिक्षा की मूल्यांकन प्रणाली है। मूल्यांकन प्रणाली को उचित तरीके से प्रयोग करने से सिखाने और सीखने की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है तथा उसमें नए प्रयोग भी किए जा सकते हैं।
- अनेक विशेषज्ञ निकायों, जैसे केब समिति (2014), नई शिक्षा नीति की विकास संबंधी समिति (2016), भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) (2017) इत्यादि ने यह स्पष्ट किया था कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली इतनी साधन संपन्न नहीं है कि आरटीई एक्ट को पूरी तरह से लागू किया जा सके। इसमें शिक्षकों, स्कूल की जिम्मेदारी, मूल्यांकन की प्रकृति और उम्र के हिसाब से शिक्षा से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। अत: इन सब में सुधार का प्रयास न सिर्फ सरकारी स्तर पर बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी किया जाना चाहिए। ■

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण: एक अवलोकन

प्र. हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा दिया गया आरक्षण संबंधी प्रावधान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त करने में कहाँ तक कारगर साबित हो पाएगा? सम्यक् विवेचना कीजिए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- विधेयक से संबंधित मुख्य बिंदु
- पृष्ठभूमि
- पक्ष में तर्क
- विपक्ष में तर्क
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय समिति ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है। सरकार ने इसे मूर्त रूप देने के लिए लोकसभा में 124वां संविधान संशोधन पेश किया, जिसे लोकसभा एवं राज्यसभा ने दो तिहाई बहुमत से पास कर दिया, बाद में राष्ट्रपति ने भी इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है।

विधेयक से संबंधित मुख्य बिंदु

- जिनकी सालाना आय आठ लाख रूपये या उससे कम हो।
- इसके अलावा जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि हो।
- साथ ही ऐसे परिवार जिनके पास एक हजार वर्ग फीट या उससे कम का फ्लैट हो।
- अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र अर्थात नगरीय क्षेत्र में 100 गज से कम का फ्लैट हो।
- गैर-अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में 200 गज या उससे कम का फ्लैट हो।

पृष्ठभूमि

- भारत में आरक्षण की शुरूआत 1882 में हंटर आयोग के गठन के साथ हुई थी। उस समय विख्यात समाज सुधारक महात्मा ज्योति राव फूले ने सभी के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की माँग की थी।
- 1901 में महाराष्ट्र के रियासत कोल्हापुर में शाहू महाराज द्वारा आरक्षण की शुरूआत की गई। यह अधिसूचना भारत में दलित वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी आदेश था।
- 1909 और 1919 में भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान किया गया।

पक्ष में तर्क

- यह विधेयक देश में समान नागरिक और समान आरक्षण की अवधारणा को मजबूत करेगा।
- इससे जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था पर रोक लगेगी तथा सभी को आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण मिलेगा।
- अगर आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाता है तो इससे सामाजिक वैमनस्यता में कमी आएगी।

विपक्ष में तर्क

- वर्तमान विधेयक में आरक्षण दिये जाने की कोई समय सीमा तय नही किये जाने से लोग आरक्षण प्राप्त करने के आदी हो जाएंगे।
- वर्तमान समय में निर्धारित 10% का आरक्षण देने के लिए सरकार के पास आँकड़े मौजूद नहीं हैं। ज्ञातव्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि सरकारी नौकरियों के प्रमोशन में आरक्षण किस आधार पर दिया जाए इसका स्पष्ट आँकड़ा भी होना चाहिए।

निष्कर्ष

- देश में किसी भी समुदाय को आरक्षण इसलिए दिया जाता है ताकि समाज के अन्य वर्गों की भाँति उनकी भी उन्नति सुनिश्चित की जा सके तथा संविधान की प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, आर्थिक, न्याय की अवधारणा की पूर्ति की जा सके। देश के सभी नागरिक आर्थिक रूप से संपन्न होंगे तो देश तेजी से विकास करेगा। ■

साहित्यिक स्वतंत्रता विधेयक, 2018: एक परिचय

प्र. साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य की स्वतंत्रता मानव और उसके समाज के स्वतंत्रता से जुड़ी हुई होती है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। साहित्यिक स्वतंत्रता की औचित्यता को बताते हुए अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- फ्रीडम ऑफ लिटरेचर बिल क्या है?
- परिचय
- आवश्यकता क्यों
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर ने देश में साहित्यिक स्वतंत्रता की गारंटी और संरक्षण के लिए 'साहित्यिक स्वतंत्रता विधेयक-2018' संसद में पेश किया। शशि थरूर के अनुसार, देश में साहित्यिक स्वतंत्रता बढ़ाने के उद्देश्य से लोकसभा में यह विधेयक लाया गया है। इस विधेयक में पुराने प्रावधानों को हटाने की कोशिश की गई है, जो लोकतंत्र की भावना के अनुरूप नहीं है, जैसे कि ईशनिंदा और अश्लीलता कानून। इस बिल में किताबों पर प्रतिबंध लगाने की सरकार की शक्ति पर काफी हद तक अंकुश लगाने की बात कही गई है।

फ्रीडम ऑफ लिटरेचर बिल क्या है?

- इस बिल में भारत सरकार द्वारा उन सभी कानूनों को हटाने की बात कही गई है, जो देश में किसी विशेष प्रकार के साहित्य को अलग-अलग मापदंडों के अनुसार प्रतिबंधित करते हैं। यानी लेखकों, पुस्तकों और उनके लेखन की स्वतंत्रता को बचाना है।
- इस विधेयक या बिल में भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code), दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure), सीमा शुल्क अधिनियम (Customs Act) और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम the Indecent Representation of Women (Prohibition) में प्रावधानों को संशोधित करने का प्रयास किया गया है, जो साहित्यिक और कलात्मक स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं।

परिचय

- साहित्य एक ऐसा माध्यम है जो लेखकों और पाठकों के बीच स्वतंत्रता को अभिव्यक्त करता है, इसको बनाये रखता है और उसकी सराहना करता है हालाँकि ऐसा देखा गया है कि जो संबंध आत्मा और शरीर का है, वहीं संबंध साहित्य और समाज का भी है। साहित्यकार अपनी रचना से समाज को दिशा प्रदान करता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है और दीपक भी और साहित्य के बिना समाज अधूरा होता है। साहित्य वैचारिक स्वतंत्रता के माध्यम से लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का एक बेहतर माध्यम है। लेखकों के लिए, उनके लेखन में रचनात्मकता हमेशा-स्वतंत्रता की सीमा का विस्तार करने में मदद करती है। साहित्य निर्माण की स्वतंत्र प्रकृति और इसकी प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है।

आवश्यकता क्यों?

- सत्य तथा ज्ञान की खोज और उसके प्रसार के लिए अभिव्यक्ति की आजादी अत्यंत आवश्यक है।
- अभिव्यक्ति की आजादी इंसान को आत्म-विकास से ओतप्रोत और सम्मानजनक महसूस करने के लिए जरूरी है।
- अभिव्यक्ति की आजादी इंसान को अपनी सोच के अलावा राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक नजरिया रखने का भी अवसर प्रदान करती है, जिससे देश और समाज का विकास होता है। यह व्यक्ति को लोकतंत्र में भागीदारी लेने का अवसर भी उपलब्ध कराती है।

आगे की राह

- साहित्य समाज का दर्पण होता है इसलिए साहित्यकारों को उनकी रचना से वंचित नही किया जाना चाहिए। इससे न सिर्फ समाज बल्कि देश की प्रगति भी बलवति होती है।
- लेकिन साहित्य की स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध सरकार द्वारा यह सोचकर लगाया जाता है कि यदि कोई साहित्य देश की एकता और अखण्डता के लिए खतरा है तो साहित्यकारों को सरकार द्वारा लगाए गये प्रतिबंध को स्वीकार करना होगा क्योंकि यह राष्ट्रहित के लिए जरूरी है। ■

भारतीय पुल प्रबंधन प्रणालीः सुरक्षित पुल की महत्वपूर्ण कड़ी

प्र. भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली क्या है? वर्तमान में इसकी बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किये जाने वाले प्रयासों की चर्चा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- वर्तमान स्थिति
- पुल खराब होने के कारण
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली (IBMS) की औपचारिक शुरूआत की। आईबीएमएस को देश के सभी पुलों की एक सूची बनाने और उनकी संरचात्मक स्थिति के बारे में जानने के लिए विकसित किया जा रहा है ताकि इसके माध्यम से संरचना की महत्ता के आधार पर समय-समय पर इनकी मरम्मत और पुनर्निर्माण किया जा सके।

परिचय

- 4 अक्टूबर, 2016 को केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने आईबीएमएस की शुरूआत की थी। हालाँकि परिवहन क्षेत्र में बुनियादी ढ़ाँचे में एक प्रमुख घटक तत्व के रूप में पुलों का रखरखाव, यातायात की बढ़ती मात्रा और मौजूदा पुलों की बिगड़ती हालत एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का कहना है कि पुलों को लेकर कोई स्पष्ट डाटा नहीं है, इस कारण से पुलों की सही संख्या और स्थान को लेकर स्पष्टता नहीं है। पुलों की खराब हालत से परिवहन पर प्रतिकूल असर पड़ता है और अनेक अवसरों पर दुर्घटनाओं से जीवन को काफी क्षति पहुँचती है।

वर्तमान स्थिति

- सरकार का आँकड़ा है कि देश भर में अब दैनिक आधार पर 30 किलोमीटर राजमार्गों का विकास हो रहा है। बढ़े हुए सड़क नेटवर्क का मतलब है कि सरकार द्वारा एक मजबूत सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पैदा किया जा रहा है। ऐसी कई प्रमुख परियोजनाओं के माध्यम से रोजगार के साथ ही साथ बेहतर कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आईबीएमएस में तेज गति से विकास किया जा रहा है, जो केन्द्र सरकार के 'मेक इन इंडिया' की अवधारणा को पुष्ट करता है।

पुल खराब होने के कारण

- पुनर्निर्माण का मतलब सिर्फ बड़ी-बड़ी नदियों पर ही पुल बनाने से नहीं है बल्कि वैसे स्थानों पर जहाँ पानी के बहाव के कारण भी आवागमन बाधित हुआ हो, वहाँ भी पुल के निर्माण से है। चूंकि पहाड़ी व पठारी इलाकों में पानी के तेज बहाव के कारण छोटी-छोटी आवागमन की पुलें टूट जाती हैं जिससे एक क्षेत्र का जुड़ाव दूसरे क्षेत्र से बाधित हो जाता है।
- पुनर्निर्माण के समय अकसर यह देखा जाता है कि वहाँ कि स्थिति का सही तरीके से अवलोकन नहीं किया जाता है। दिल्ली में निजामुद्दीन पुल इसका बेहतर उदाहरण है। नदी प्रवाह एवं आस-पास के बसे शहरों की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जो बाद में पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण बनते हैं।

आगे की राह

- पुल लोगों के जुड़ाव को ही नहीं बल्कि उनके व्यापार को भी बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। भारत में कई पुल अभी भी अंग्रेजों के जमाने के हैं जो अपनी जिर्णावस्था के शिकार हैं। अतः सरकार को ऐसे पुलों पर ध्यान देना चाहिए और उनकी मरम्मत व पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए।
- पुल निर्माण के लिए संबंधित विभागों में समन्वय अति आवश्यक है जिससे कि धन और तकनीक की कमी न हो।
- कुशल राजमिस्त्री और इंजीनियरों के साथ-साथ निर्माण करते समय गुणवत्तापूर्ण सामग्री, उचित सुरक्षा तथा निर्माण मानकों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ■

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, 2019

प्र. पेरिस समझौता के उचित कार्यान्वयन नहीं होने से, जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्या दिन-प्रतिदिन भयावह होती जा रही है। इस संदर्भ में 'जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक' द्वारा जारी रिपोर्ट के आलोक में सम्यक विवेचना कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- क्या है रिपोर्ट
- वर्तमान स्थिति
- धीमि प्रगति के कारण
- प्रभाव
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में 'जर्मनवाच' (German Watch), न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट (New Climate Institute) एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क (Climate Action Network) द्वारा संयुक्त रूप से 'जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक' (Climate Change Performance Index : CCPI) जारी किया गया। मानवीकृत मानदंडों के आधार पर यह सूचकांक 56 देशों के जलवायु संरक्षण के प्रदर्शन, मूल्यांकन एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है।

क्या है रिपोर्ट

- वर्ष 2019 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 76.28 अंकों के साथ स्वीडन ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। शीर्ष 3 स्थान रिक्त रखे जाने के कारण स्वीडन सूचकांक में चतुर्थ क्रम पर है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रथम तीन स्थानों पर कोई भी देश स्थान नहीं बना सका है, क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों की रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं।
- इस सूचकांक में मोरक्को को पाँचवाँ (समग्र रूप से द्वितीय) एवं लिथुआनिया को छठा (क्रम में तृतीय) स्थान प्राप्त हुआ है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, 2019 में भारत को 11वां स्थान

(स्कोर-62.93) प्राप्त हुआ। इस वर्ष के सूचकांक में भारत की स्थिति में गत वर्ष की तुलना में तीन स्थानों का सुधार हुआ है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 के सूचकांक में भारत का 14वां स्थान था।

वर्तमान स्थिति

- गौरतलब है कि भारत ने जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने में अपने प्रयासों से अपनी रैंक में सुधार कर लिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय संघ समेत कुल 56 देश 90 फीसदी कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें पेरिस समझौते के तहत तापमान बढ़ोत्तरी को दो डिग्री नीचे रखने के उपायों का विश्लेषण किया गया है। इसमें मौजूदा कार्बन उत्सर्जन, हरित ऊर्जा के इस्तेमाल, प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के आँकड़ों को आधार बनाया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 56 में से 40 देशों के कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है।

धीमि प्रगति के कारण

- बीते दिनों पोलैंड के कैटोविस शहर में 2 दिसम्बर से 14 दिसम्बर तक चला संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया। यह सम्मेलन जिसमें दुनिया के तकरीबन 200 देशों ने भाग लिया, का अधिकांश समय पेरिस सम्मेलन के लक्ष्यों को लागू करने में हुई बहस में ही बीता और अंतिम दिन तक कोई परिणाम सामने नहीं आ सका।
- सबसे बड़ी बात यह है कि इस सम्मेलन में दुनिया के विकसित एवं विकासशील देश अधिकतर समय तक वित्त प्रवाह आदि मुद्दों को लेकर उत्पन्न गतिरोध दूर करने में ही लगे रहे। इसके बावजूद वह अपने उद्देश्य में नाकाम ही रहे जबकि इसमें कोई दो राय नहीं कि जलवायु परिवर्तन के चलते पैदा हुए दुष्प्रभावों को मानवता के सामने खड़े सबसे बड़े और भयावह संकट के रूप में देखा जा रहा है। यह सबसे बड़ा चिंतनीय विषय है कि यदि अब भी नहीं चेते तो हालात से निपटना टेढ़ी खीर होगी।

प्रभाव

- दरअसल जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरों को कम आँका जा रहा है जबकि हकीकत में अध्ययनों-शोधों ने साबित कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन की चपेट में आने वालों की तादाद में बीते चार सालों के दौरान हमारे देश में लगभग 200 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
- 2012 से 2016 के बीच यह तादाद चार करोड़ को पार कर गई है। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण तापमान में बढ़ोतरी और तबाही की बढ़ती घटनायें हैं। इसका असर सबसे ज्यादा कम आय वाले देशों पर पड़ रहा है। इसमें भारत सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में शीर्ष पर है। लांसेट की रिपोर्ट इसका प्रमाण है।

आगे की राह

- संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि हम मानवता के समक्ष विनाश का पर्याय बनकर खड़े जलवायु परिवर्तन को रोकने की अपनी योजना के क्रियान्वयन से अभी बहुत दूर खड़े हैं। यदि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतरेस की बात मानें तो हम अभी अपेक्षा से बहुत कम प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में हमारी गति बहुत ही धीमी है जबकि हमें जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने की दिशा में तेजी से काम करना होगा। उन्होंने इसकी अहमियत का ध्यान दिलाते हुए कहा है कि इस अवसर को बेकार में गंवाना जलवायु परिवर्तन को और बढ़ाना है। यह न केवल अनैतिक बल्कि आत्मघाती कदम होगा। इस मुद्दे पर तत्काल कार्यवाही की जरूरत है। ■

कश्मीर में शांति बहाली का प्रयास

प्र. जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद की समाप्ति तथा शांति बहाली के लिए सेना द्वारा कई प्रयास किये जा रहे हैं, इस संदर्भ में 'ऑपरेशन ऑल आउट' चर्चा में है। हालाँकि राज्यपाल द्वारा इस ऑपरेशन को सिरे से खारिज किया गया है। उनका कहना है कि यह सिर्फ सामान्य नागरिकों द्वारा दिया जा रहा एक नाम है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? चर्चा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद की शुरूआत
- उग्रवाद के चरण
- चुनौतियाँ
- सरकारी प्रयास
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि भारतीय सेना आतंकवाद रोधी अभियानों में लगी हुई है, जिसे कथित रूप से 'ऑपरेशन ऑल-आउट' कहा जा रहा है। हालाँकि राज्यपाल ने राजनीतिक दलों एवं अलगाववादियों द्वारा कहे गये शब्द ऑपरेशन ऑल-आउट को सीधे से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सेना द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का उद्देश्य राज्य में शांति बहाली को कायम करना है, जिससे राज्य में शांति स्थापित हो सके, साथ ही स्थानीय जनता विकास की मुख्यधारा में शामिल हो सके।

जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद की शुरूआत

- 1970-80 के दशक में सरकार ने आर्थिक सुधारों की शुरूआत तो की लेकिन घाटी के कई लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया। स्थानीय सरकारें भी लम्बे समय तक भ्रष्ट रहीं, जिससे स्थानीय लोग कई धाराओं में बँट गये।
- इसका परिणाम यह हुआ कि न तो उन्हें सरकारी नौकरियों में ठीक तरीके से प्रतिनिधित्व मिल सका और न ही वे विकास की राह पर आगे बढ़ सके। सिर्फ यही नहीं इनको राज्य विधानमण्डल व राष्ट्रीय राजनीति में भी ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका। इन्हीं परिस्थितियों का फायदा उठाकर घाटी में दो बड़े उग्रवादी संगठनों का उदय हुआ, जिसमें मुस्लिम यूनाइटेड फ्रन्ट (MUF) तथा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रन्ट (JKLF) प्रमुख थे।

उग्रवाद के चरण

- पहला- 1990 से 1996 तक का उग्रवाद, जो शहरी क्षेत्रों पर केन्द्रित था।

- दूसरा- 1996 से 2002 तक का उग्रवाद जो ग्रामीण क्षेत्रों में चला।
- तीसरा- 2002 के बाद से कम तीव्रता वाला उग्रवाद

चुनौतियाँ

- कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों को सशस्त्र बल अधिनियम के तहत विशेष अधिकार दिये गये हैं, जिससे वे स्वतंत्रता के साथ काम कर सकें।
- परंतु कश्मीरी लोगों में बढ़ती उग्रवाद की प्रवृत्ति, कश्मीरी समस्या का राजनैतिक समाधान न होना तथा धर्म पर आधारित राजनीति आदि कारण यह दर्शाता हैं कि भारत जम्मू-कश्मीर में उग्रवादी गतिविधियों को समाप्त करने में अपेक्षाकृत सफलता नहीं दर्ज कर पाया है।
- कश्मीरी अल्पसंख्यकों को पाकिस्तान तथा क्षेत्रीय महाशक्तियों द्वारा समर्थन दिया जा रहा है।
- रिपोर्ट के अनुसार घाटी में जब भी मुठभेड़ की घटना होती है तो युवाओं में उग्रवाद की तरफ रुझान बढ़ जाता है।

सरकारी प्रयास

- राज्य की शांति भंग करने के उग्रवादियों के प्रयासों और क्षमताओं को निष्क्रिय करने के लिए सरकार ने विभिन्न आतंकवाद रोधी रणनीतियाँ अपनाई हैं। सरकार ने युवाओं को मुख्यधारा में लाने और उन्हें उग्रवाद से दूर रखने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की नीतियाँ को भी बढ़ावा दिया है।

आगे की राह

- कश्मीर में विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा बलों की मौजूदगी तो आवश्यक है साथ ही साथ जरूरत इस बात की है कि वहाँ के स्थानीय लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखकर कल्याणकारी योजनाओं का भी सही तरीके से क्रियान्वयन हो।
- समस्या का समाधान सिर्फ बल ही नहीं होता बल्कि जरूरत इस बात की है कि स्थानीय लोगों की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित की जाये। ■

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें

राष्ट्रीय

1. सिंचाई परियोजनाओं में देरी से लागत में उछालः सीएजी रिपोर्ट

हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2008 और 2017 के बीच त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) के तहत लागू की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी से इन परियोजनाओं की लागत बढ़कर 1.20 लाख करोड़ हो गई है।

कैग (CAG) रिपोर्ट की मुख्य बातें

- 2008 और 2017 के बीच भारत की केवल 35% सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया था।
- इस समय अवधि के दौरान स्वीकृत 201 व्रहद और मध्यम (एम एंड एम) परियोजनाओं में से केवल 62 को पूरा किया गया।
- वहीं मंजूर की गई 11,291 लघु सिंचाई (एमआई) योजनाओं में से केवल 8,014 पूरी हुई।
- कैग द्वारा सर्वेक्षण की गई परियोजनाओं में से कुछ परियोजनाओं में तो 18 साल से अधिक की देरी हुई है।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) के बारे में

- AIBP को 1996 में राज्यों को ऋण सहायता देने के लिए एक केंद्रीय योजना के रूप में शुरू किया गया था ताकि अधूरी पड़ी प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में से कुछ को पूरा करने में मदद मिल सके
- इसके अंतर्गत केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय कि जिम्मेदारी होती है कि वह कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करें।
- वहीं राज्य सरकारें सिंचाई परियोजनाओं और योजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन से जुड़ी होती हैं। ■

2. आईआईटी मद्रास ने प्रयोगशाला में 'स्पेस फ्यूल' तैयार किया

आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा प्रयोगशाला में स्पेस फ्यूल तैयार किये जाने में सफलता हासिल की गई है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह फ्यूल अंतरग्रहीय परिस्थितियों को सिमुलेट करके प्रयोगशाला में बनाया गया है। विज्ञान पत्रिका प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज (PNAS) द्वारा हाल ही में इस शोध को प्रकाशित किया गया है।

शोधकर्ताओं द्वारा यह ईंधन भारत के लिए जैविक ईंधन के एक स्वच्छ तथा सतत विकल्प के रूप में पेश किया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस शोध से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अगली पीढ़ी के लिए उर्जा स्त्रोत में परिवर्तित किया जा सकता है। यह भी संभव है कि इससे ग्रीन हाउस गैस तथा ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी।

पृष्ठभूमि

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मद्रास तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। यह भारत सरकार के सहयोग से स्थापित तीसरा आईआईटी है। करीब 250 एकड़ में फैला यह इंस्टीट्यूट देशभर में ना सिर्फ बेहतरीन रिसर्च सेंटर के रूप में जाना जाता है, बल्कि शिक्षण और इंडस्ट्रियल कंस्लटेंसी के लिए भी जाना जाता है।

प्रयोगशाला में किया गया 'स्पेस फ्यूल' शोध

- आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने मीथेन युक्त क्लेथरेट हाइड्रेट का निर्माण उच्च निर्वात (वायुमंडलीय दाब से 1000 अरब गुना कम) में किया, इसका तापमान –263 डिग्री सेल्सियस था।
- शोधकर्ताओं का मानना है कि मीथेन और अमोनिया के मॉलिक्यूल अन्तरिक्ष में एक अलग ही स्वरुप में होते हैं।
- बेहद निम्न वायुदाब तथा अत्यधिक शीत तापमान में हाइड्रेट की खोज अप्रत्याशित थी।

लाभ

शोधकर्ताओं का कहना है कि मीथेन के हाइड्रेट को भविष्य का ईंधन माना जाता है तथा क्लेथरेट हाइड्रेट ठोस क्रिस्टलिन होते हैं। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को बंद करने पर जिस प्रकार हाइड्रेट प्राप्त होता है उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी किया गया तथा इससे भी हाइड्रेट का उत्पादन हुआ। माना जा रहा है कि यह खोज जलवायु परिवर्तन की समस्या का सामना करने के लिए कोई ठोस उपाय सुझा सकती है। परिणामस्वरूप वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग ठोस हाइड्रेट के निर्माण के लिए किया जा सकता है। ■

3. रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए नियमों में ढील दी गयी

हाल ही में केन्द्र सरकार ने रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए नियमों में ढील दी है। नए नियमों के अनुसार हवाई रक्षा तथा युद्धक पोत के रक्षा उपकरणों के उद्योग (विकास व नियमन) अधिनियम के अंतर्गत कवर किया जायेगा तथा उन्हें वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

केन्द्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत औद्योगिक नीति व संवर्द्धन विभाग (DIPP) ने उन रक्षा उपकरणों की सूची जारी है जिनके लिए निर्माता को उद्योग (विकास व नियमन) अधिनियम, 1951 (IDRA) तथा आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

नए नियमों से इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा तथा नए निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इससे रक्षा उपकरणों के निर्माण के स्वदेशीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत घरेलू निजी क्षेत्र की भागीदारी की बात की जा रही है जिसे एसपी मॉडल (SP Model) नाम दिया गया है। इसका एक अन्य नाम सामरिक भागीदारी मॉडल भी रखा गया है।

SP मॉडल का उद्देश्य- रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना और सशस्त्र बलों की भविष्य की जरूरतों के लिये जटिल हथियार प्रणाली के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिये निजी क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं का निर्माण करना।

रक्षा अधिग्रहण परिषद् (Defence Acquisition Council- DAC)- यह रक्षा खरीद प्रक्रिया के समग्र मार्गदर्शन के लिये रक्षा मंत्री के अधीन गठित परिषद् (DAC) है।

फास्ट पेट्रोल वेसल (Fast Petrol Vessel)- एक गश्ती नौका (जिसे गश्ती शिल्प, गश्ती जहाज के रूप में भी जाना जाता है) एक अपेक्षाकृत छोटा नौसेना पोत है जिसे आमतौर पर तटीय रक्षा कार्यों के लिये डिजाइन किया जाता है। ■

4. सात शहरों को ODF++ की प्रमाणिकता

हाल ही में स्वच्छ भारत शहरी मिशन ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सात शहरों को ODF++ प्रमाणित किया। सात शहरों में इंदौर, खारगोन, साहगंज, उज्जैन, भिलाई, राजनांदगांव और अंबिकापुर हैं।

- गौरतलब है कि बुनियादी ओडीएफ प्रोटोकॉल के तहत लाभ हासिल करने एवं सरकार के नए विस्तारित प्रोटोकॉल के तहत अर्हता प्राप्त करने वाले ये पहले शहर हैं।
- ओडीएफ खुले में शौच मुक्त प्रोटोकॉल का एक विस्तार है। इसका मतलब है कि इन शहरों में सभी तरह के मलमूत्र का निर्वहन से पहले वैज्ञानिक रूप से इनका निस्तारण किया जाता है।
- यह क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त हैं, साथ ही कम से कम 25% सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय उत्कृष्ट स्थिति में हैं।
- शहरी कार्य मंत्रालय 500 शहरों और कस्बों के लिए अपनी AMRUT योजना के तहत मल कीचड़ प्रबंधन पर एक उप-मिशन स्थापित कर रहा है।

SBM ODF ++

एक शहर को एसबीएम ओडीएफ++ के रूप में अधिसूचित/घोषित तब किया जाता है, जब किसी भी समय, एक भी व्यक्ति खुले में शौच करते हुए नहीं पाया जाता है, या सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय कार्यात्मक और अच्छी तरह से बनाए गये हों तथा मल कीचड़/सेप्टेज और सीवेज को सुरक्षित रूप से प्रबंधित और उपचारित किया जाता हो। ■

5. आंध्र प्रदेश ने दूसरी सबसे बड़ी रॉक आर्ट ट्रावेल का खुलासा किया

- हाल ही में आंध्र प्रदेश ने दूसरी सबसे बड़ी रॉक आर्ट ट्रावेल का खुलासा किया है। आंध्र प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोग्लिफ्स साइट, जिसमें लगभग 80 पेट्रोग्लाइज हैं, कुर्नूल जिले के मेकाला बेन्ची में खोजा गया है।
- मेकाला बेन्ची में नवपाषाण काल से लेकर मेगालिथिक काल तक कार्बन डेटिंग कि साक्ष्य मिले हैं जबकि कंदनाथी नक्काशी प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक की स्थिति को दर्शाती है।
- ये पेट्रोग्लिफ्स या रॉक नक्काशियाँ, दक्षिण भारत में नवपाषाण बस्तियों का एक प्रमुख स्थल को प्रमाणित करती है।
- दो शिलाखंड, जिन्हें स्थानीय रूप से 'बूडिडा कोंडा' (राख के रंग की पहाड़ी) तथा अनाम ग्रेनाइट पहाड़ी के रूप में जाना जाता है, इसमें ज्यादातर मानव आकृतियाँ, हाथी, बाघ जैसे जानवरों और ताम्र चित्रों के अलावा बैल या बैल-सवारी की तस्वीरें हैं। ।
- बूडिडा कोंडा की ग्रेनाइट तलहटी में मौजूदा पुरातत्व स्थल, नवपाषाण काल में बसा था।
- कुर्नूल जिल में स्थित कन्दनायी में 200 नक्काशियों के साक्ष्य मिले हैं।
- वर्तमान समय में गोल्लास और कुरुबा (चराई समुदाय), जो इस क्षेत्र में प्रमुख हैं, का संबंध नवपाषाण काल से माना जा सकता है ऐसा साक्ष्यों के आधार पर कहा जा रहा है।

पेट्रोग्लिफ्स क्या है

पेट्रोग्लिफ्स शक्तिशाली सांस्कृतिक प्रतीक हैं जो आसपास के जनजातियों के जटिल समाजों और धर्मों को दर्शाते हैं। ■

6. हड़प्पा स्थल पर प्राचीन युगल की कब्र की खोज

- हाल ही में पुणे के डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च इंस्टिट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय) के पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान एक युवा जोड़े का कंकाल मिला। मौत के वक्त दोनों की उम्र लगभग 21 से 35 साल के बीच होने का अनुमान है।
- यह कंकाल हरयिाणा के राखीगढ़ी में हड़प्पाकालीन सभ्यता से संबंधित 4,500 साल पुराना कंकाल बताया जा रहा है।
- इसकी खुदाई और विश्लेषण का कार्य यूनिवर्सिटी के पुरातत्व विभाग और इंस्टीट्यूट ऑफ फारेंसकि साइंस तथा सोल नेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन द्वारा किया गया।
- पुरातत्वविदों के अनुसार, जिस तरह से युगल के कंकाल दफन मिले हैं उससे साफ है कि दोनों के बीच प्रेम था। जिन लोगों ने दोनों को दफनाया होगा, वे चाहते थे कि दोनों के बीच मरने के बाद भी प्यार बना रहे। उन्होंने कहा कि, कपल को दफनाने का ऐसा मामला प्राचीन सभ्यताओं में दुर्लभ नहीं है।
- युगल की कब्र में मिट्टी के बर्तनों और एक झालरवाली अकीक की गुरियां भी मिली हैं, जो शायद महिला की ज्वैलरी का हिस्सा रही होंगी।

इस तरह दफनाने का पहला मामला

- यह पहली बार है जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान किसी युगल की कब्र मिली है। हैरानी की बात यह है कि अब तक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कई कब्रिस्तानों की खुदाई की जा चुकी है, लेकिन आज तक किसी भी युगल के इस तरह दफनाने का मामला सामने नहीं आया था।
- हरियाणा का राखीगढ़ी दिल्ली से 150 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित है। पुरातत्वविदों ने बताया खुदाई के दौरान मिले साक्ष्यों से पता चलता है कि जोड़े को एक ही समय में दफनाया गया है क्योंकि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि पहले किसी एक को, फिर दूसरे को दफनाया गया हो। ■

7. महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 'वेब वंडर वुमेन' अभियान लाँच किया

- केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने हाल ही में ऑनलाइन अभियान 'www. web.wonderwomen' लांच किया है। इस अभियान का उद्देश्य उन महिलाओं को खोजना और उनके असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देना है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का सार्थक एजेंडा चला रही हैं।
- इस अभियान के माध्यम से मंत्रालय का उद्देश्य विश्व भर में कार्य कर रही भारतीय महिला दिग्गजों की दृढ़ता को मान्यता देना है, जिन्होंने समाज में परिवर्तन के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से सार्थक अभियान चलाया है। यह अभियान इन मेधावी महिलाओं के प्रयासों को मान्यता देगा।

मुख्य तथ्यः

- इस अभियान में निर्धारित मानक के अनुसार पूरे विश्व से नामांकन के माध्यम से प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जा रही हैं।
- विश्व में कहीं भी कार्य कर रहीं या बसी हुई भारतीय मूल की महिलाएँ नामांकन की पात्र हैं।
- चयनित प्रविष्टियों को ट्वीटर पर सार्वजनिक वोटिंग के लिए खोला जाएगा और निर्णायकों के पैनल द्वारा फाइनल में पहुँचने वालों का चयन किया जाएगा।
- स्वास्थ्य, मीडिया, साहित्य, कला, खेल, पर्यावरण संरक्षण और फैशन सहित अनेक श्रेणियों में नामांकन आमंत्रित किए गए हैं।
- नामांकन 31 जनवरी 2019 तक होगा और 6 मार्च को विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। ■

अंतर्राष्ट्रीय

1. नासा के सैटेलाईट TESS ने पृथ्वी से तीन गुना बड़ा ग्रह खोजा

नासा के सैटेलाईट ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट (TESS) ने सौरमंडल के बाहर एक नए ग्रह की खोज की है। TESS द्वारा खोजा गया यह तीसरा ग्रह है। वैज्ञानिकों द्वारा जारी जानकारी के अनुसार घने वायुमंडल के चलते इस ग्रह पर जीवन की संभावना हो सकती है। इस नए ग्रह की खोज करने वाली टीम की अगुवाई मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) के इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रॉफिजिक्स एंड स्पेस रिसर्च की प्रोफेसर डायना ड्रैगॉमिर ने की है। उनका मानना है कि यह ग्रह सूर्य जैसे चमकदार तारे का चक्कर लगा रहा यह अब तक का सबसे ठंडा छोटा ग्रह है।

नये ग्रह के बारे में जानकारी

- यह ग्रह पृथ्वी से 53 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस ग्रह को एचडी 21749बी नाम दिया गया है।
- यह रेटीकुलम तारामंडल के सूर्य के समान

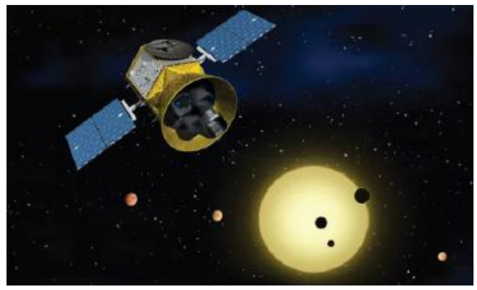

चमकीले ड्वार्फ (बौने) तारे का चक्कर लगा रहा है।
- तारे से नजदीक होने के बाद भी इस ग्रह की सतह का तापमान 300 डिग्री फेरनहाइट ही है।
- एचडी 21749बी को अपने तारे की परिक्रमा पूरी करने में 36 दिन लगते हैं।
- गर्म तारे की परिक्रमा कर रहा एचडी 21749बी अब तक का सबसे ठंडा ग्रह है।
- नासा का TESS मिशन तीन महीने में 3 ग्रह और 6 सुपरनोवा की खोज कर चुका है।

ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट (TESS)

केपलर यान के बाद नासा ने एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए टीईएसएस (TESS) को अप्रैल 2018 में लॉन्च किया था।

- अपने दो साल के अभियान में टीईएसएस (TESS) 30 से 300 प्रकाश वर्ष दूर स्थित ग्रहों और चमकीले तारों का अध्ययन कर रहा है।
- मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) द्वारा विकसित उपग्रह का लक्ष्य हजारों ऐसे ग्रहों की तलाश करना है जो हमारे सौर मंडल से बाहर हैं।
- यह अंतरिक्ष यान एक फ्रिज के आकार का है और जो कि चार कैमरों द्वारा सुसज्जित है। टीईएसएस (TESS) लगभग दो साल के लिए मिशन पर है और लगभग पूरे आकाश को खंगालेगा। ■

2. डेंगू से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाएगी नई दवा

अमेरिकी वैज्ञानिक एक ऐसी दवा बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे मच्छरों के जन्म पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। इससे डेंगू समेत मच्छरों से पनपने वाली कई बीमारियों से छुटकारा मिल पाएगा। दरअसल, वैज्ञानिकों ने मादा मच्छरों के लिए एक ऐसा प्रोटीन खोजा है, जिसकी मदद से मच्छरों की आबादी को कम किया जा सकेगा।

परीक्षण के दौरान जब वैज्ञानिकों ने इस प्रोटीन को बनने से रोका तो मादा मच्छरों ने डिफेक्टिव शेल्स वाले अंडे दिए, जिनकी वजह से भ्रूण अंदर ही मर गए। वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि इस नई खोज से आने वाले पांच सालों में कीटनाशकों की एक नई खेप तैयार की जा सकेगी। गौरतलब है कि 2016 में लगभग 216 मिलियन लोग इस बीमारी से संक्रमित हुए, जिनमें से 4 लाख 45 हजार लोगों की मौत हो गई।

यूएनओ (UNO) की राय

संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कहा कि उन्होंने मलेरिया और अन्य जानलेवा बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए एक 'मच्छर जन्म नियंत्रण' दवा विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया, जिससे साल में सैकड़ों हजारों लोगों की मौत हो जाती थी। एरिजोना विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने मादा मच्छरों के लिए एक अनोखा प्रोटीन खोजा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, मच्छर दुनिया के सबसे घातक कीड़ों में से एक हैं। उनके अनुसार मलेरिया के खिलाफ वैश्विक पहल बहुत धीमा है जिससे कि यह बिमारी तेज गति से अपना पॉव पसार रही है। मुख्य रूप से उप-सहारा अफ्रीका में शिशुओं और छोटे बच्चों को ज्यादा प्रभावित किया। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, मच्छरों से फैलने वाली अन्य बीमारियों में जीका, चिकनगुनिया, पीला बुखार, वेस्ट नाइल वायरस और डेंगू शामिल हैं, जो हाल के दशकों में 30 गुना बढ़ गया है।

मलेरिया क्या है

मलेरिया मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु शरीर में चला जाता है और वह रोगी के शरीर में कई गुना वृद्धि (मल्टीप्लाई) कर लेता है। यह जीवाणु लीवर और रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करके रोगी को बीमार करता है। समय पर इलाज न होने की स्थिति में यह मर्ज जानलेवा हो सकता है।

■

3. फारस की खाड़ी क्षेत्रीय संवाद मंच

हाल ही में ईरान ने नई दिल्ली में आयोजित रायसीना संवाद सम्मेलन में फारस की खाड़ी संवाद मंच का प्रस्ताव रखा। इस संवाद का मुख्य विषय बदलते विश्व में, संबंधों की अस्थिरता और परिणामों की अनिश्चितता पर केन्द्रित है। सम्मेलन का शीर्षक 'ए वर्ल्ड दी आर्डर न्यूजियोमेट्रीज, फ्लूइड पार्टनरशिप, अनसर्टेन रिजल्टस' रखा गया है।

प्रस्तावित संवाद मंच में निम्न बातों को शामिल किया जाएगा

ऐसे फोरम में प्रवेश आम तौर पर मान्यता प्राप्त सिद्धांतों और साझा उद्देश्यों को स्वीकार करने पर आधारित होगा।

- फोरम को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में लागू करना चाहिए और इसे लागू करने के लिए बेहतर कार्यनीति बनाना चाहिए।
- मंच का एजेंडा सभी पारंपरिक सीमाओं के पार विभिन्न सदस्य देशों के लोगों को जोड़ने के लिए होगा।
- सदस्य देशों को विश्वास निर्माण के उपायों का एक सेट का पालन करना होगा।
- इन उपायों में नेविगेशन की स्वतंत्रता, ऊर्जा के मुक्त प्रवाह का आश्वासन और खाड़ी के नाजुक समुद्री पारिस्थितिकी की सुरक्षा शामिल हो सकेगी।

गल्फ सहकारी संघ (GCC)

- जीसीसी एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक संघ है जिसमें इराक को छोड़कर फारस की खाड़ी के सभी अरब राज्य शामिल हैं।
- इसके सदस्य राज्य बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं।
- जीसीसी के चार्टर पर 25 मई 1981 को हस्ताक्षर किए गए थे।

रायसीना डायलॉग

- भारत के विदेश मंत्रालय का मुख्यालय रायसीना पहाड़ी (साउथ ब्लॉक), नई दिल्ली में स्थित है, इसी के नाम पर इसे रायसीना डायलॉग के रूप में जाना जाता है। इसका आयोजन नई दिल्ली में प्रतिवर्ष किया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2016 में हुई थी।
- यह भू-राजनीतिक एवं भू-आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक वार्षिक सम्मेलन है जिसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय और ओआरएफ (Observer Research Foundation -ORF) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
- यह एक बहु-हितधारक, क्रॉस-सेक्टरल बैठक है जिसमें नीति-निर्माताओं एवं निर्णयकर्त्ताओं, विभिन्न राष्ट्रों के हितधारकों, राजनेताओं, पत्रकारों, उच्चाधिकारियों तथा उद्योग एवं व्यापार जगत के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है जो कि एक मंच पर अपने विचार साझा करते हैं।
- इसके अंतर्गत न केवल विभिन्न देशों के विदेश, रक्षा और वित्त मंत्रियों को शामिल किया गया है, बल्कि उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों, नीति-निर्माताओं, व्यापार और उद्योग जगत के अग्रणी व्यक्तियों तथा मीडिया एवं अकादमिक सदस्यों को भी शामिल किया जाता है।
- ओआरएस नई दिल्ली स्थित एक स्वतंत्र थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। यह भारतीय महासागरीय क्षेत्र में भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर आधारित सम्मेलन है। ■

4. भारत CITES से शीशम हटाने की मांग करता है

- हाल ही में भारत ने लुप्तप्राय पौधों और जानवरों की रक्षा के लिए बहुपक्षीय संधि, वन्य जीवों और वनस्पतियों (CITES) की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर परिशिष्ट-II से शीशम (डालबर्गिया सिसो) को हटाने का प्रस्ताव किया है।
- यह प्रस्ताव भारत ने इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड ऑन वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना (CITES) में दिया है।
- यह प्रजाति वर्तमान में CITES के परिशिष्ट-II का हिस्सा है। इस परिशिष्ट में उल्लेखित प्रजातियाँ विलुप्त हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन उनके असंगत उपयोग से बचने के लिए इस संधि द्वारा व्यापार को नियंत्रित किया जाता है।
- शीशम के अलावा, भारत ने छोटे पंजे वाले जानवरों तथा भारत कछुओं को परिशिष्ट-II से परिशिष्ट-I में स्थानांतरित करने का भी प्रस्ताव दिया है, जिससे प्रजातियों को और अधिक सुरक्षा मिल सके।
- शीशम की समस्या के समाधान के लिए भारत ने CITES के 18वें सम्मेलन, जो 23 मई 2019 से 3 जून तक कोलंबो में होना, पर अपना प्रस्ताव रखेगा।
- इनके कारण अन्य प्रजातियों पर बुरा असर पड़ा रहा है और वे समाप्त होने के कगार पर है।

आवश्यकता क्यों?

ये प्रजाति बहुत तेज दर से बढ़ती हैं और अपनी मूल सीमा के बाहर भी फैलने की क्षमता रखती है, यहाँ तक कि यह दुनिया के कुछ हिस्सों में आक्रामक तरीके से बढ़ी हैं। निकट भविष्य में परिशिष्ट-I में यदि इन प्रजातियों को सामिल किया जाता है तो इनके व्यापार पर भी रोक लग सकता है जिससे कि इनके फैलाव पर रोक लेगा।

CITES के बारे में

यह विश्व के देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्थानीय प्रजातियों के अस्तित्व के लिए खतरा नहीं है। इसके तीन परिशिष्ट हैं:

- परिशिष्ट-I में विलुप्त होने वाली प्रजाति का उल्लेख है। परिशिष्ट-I इन प्रजातियों को केवल असाधारण परिस्थितियों में व्यापार की अनुमति है।
- परिशिष्ट-II में वे प्रजातियाँ शामिल हैं जिन्हें विलुप्त होने का खतरा नहीं है, लेकिन उनके अस्तित्व के साथ असंगत उपयोग से बचने के लिए व्यापार को नियंत्रित किया जाना चाहिए।
- परिशिष्ट-III में ऐसी प्रजातियाँ शामिल हैं जो कम से कम एक देश में संरक्षित हैं, जिन्होंने अन्य CITES दशों से व्यापार को नियंत्रित करने में सहायता के लिए कहा है। ■

5. ध्रुवीय भँवर (Polar Vortex)

हाल ही में मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि इस बार जनवरी और फरवरी में अमेरिका के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में साथ ही अधिकांश उत्तरी यूरोप में और एशिया के कुछ भागों में भयंकर ठण्ड पड़ेगी। इसका कारण ध्रुवीय भँवर (Polar Vortex) बताया जा रहा है।

विदित हो कि 2004 में भी अमेरिका में मौसम बहुत ठंडा था और 2018 के फरवरी-मार्च में साइबेरिया से यह ध्रुवीय भँवर चलकर पश्चिमी यूरोप और इंग्लैंड तक पहुँचा था और तबाही मचाई थी। इस ठंडे मौसम को उस समय 'Beast from the East' का नाम दिया गया था।

ध्रुवीय भँवर (Polar Vortex) क्या है?

- ध्रुवीय भँवर ध्रुवों के ऊपर बनने वाला निम्न-दबाव का एक चक्राकार शंकु होता है जो शरद काल में सबसे प्रबल रहता है। इसका कारण ध्रुवीय क्षेत्रों और अमेरिका तथा यूरोप जैसे मध्य-अक्षांशीय क्षेत्रों के बीच बढता हुआ तापान्तर होता है।
- ध्रुवीय भँवर समताप मंडल में चक्कर मारता है। विदित हो कि समताप मंडल वायुमंडल की वह परत है जो भूमि से 10-48 किमी. ऊपर होता है और जिसके नीचे क्षोभमंडल होती है जहाँ जलवायु से सम्बंधित घटनाएँ सर्वाधिक होती हैं।
- जब यह भँवर सबसे अधिक शक्तिशाली होता है तो साधारणतः यह एक ऐसी दीवार बना देता है जो मध्य- अक्षांशीय क्षेत्रों को ठंडी आर्कटिक हवाओं से बचाती है।
- परन्तु, कई बार ऐसे होता है कि ध्रुवीय भँवर (पोलर वर्टेक्स) छिन्न-भिन्न होकर कमजोर हो जाता है, इससे निचले वायुमंडल से ऊपर की ओर उठती हुई तरंग ऊर्जा के कारण होता है। ऐसा होने पर समताप मंडल तेजी से कुछ ही दिनों में गर्म हो जाता है।
- इस गर्मी के कारण ध्रुवीय भँवर और भी कमजोर हो जाती है और यह ध्रुवों से दक्षिण की ओर खिसक जाता है। कभी-कभी तो यह भँवर कई छोटे-छोटे भँवरों में बँट जाता है। इन छोटे भँवरों को "बहन भँवर (Sister Vortex)" कहते हैं।

प्रभाव

- वायुमंडल में ऊपर ध्रुवीय भँवर के टुकड़े होने पर पूर्वी अमेरिका के साथ-साथ उत्तरी और पश्चिमी यूरोप में तापमान में गिरावट आ जाती है और वहाँ विकट सर्दी का मौसम छा जाता है।
- समताप मंडल के अचानक गर्म हो जाने से आर्कटिक भी गर्म हो जाता है। आर्कटिक गर्म हो जाने से उत्तरी गोलार्द्ध के मध्य-अक्षांशीय क्षेत्रों (पूर्वी अमेरिका सहित) में कड़ाके की ठण्ड पड़ती है। ■

6. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स-2019

हाल ही में इंटरनेशनल सर्वे कंपनी हेनली एंड पार्टनर्स ने विश्वभर के पासपोर्ट की रैंकिंग की सूची जारी की है। इसमें जापान के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट बताया गया है, जबकि भारत का पासपोर्ट 81वें नंबर पर है।

- रैंकिंग का आधार यह माना गया कि किसी देश का पासपोर्ट कितने अन्य देशों में बिना वीजा के प्रवेश दिला सकता है।
- जापान दुनिया में सबसे अधिक देशों में बिना वीजा के प्रवेश दिलाता है। वर्ष 2019 में ही म्यांमार ने बिना वीजा के जापानियों के प्रवेश को मान्यता दी है, जिसके बाद जापानी पासपोर्ट दुनिया के 190 देशों में वीजा-फ्री एंट्री दिलाने के लिए मान्य हो गया है।
- जापान ने सिंगापुर को पीछे छोड़ दिया है, जिसका पासपोर्ट 189 देशों में बिना वीजा प्रवेश दिलाता है। जर्मनी (188) तीसरे नंबर पर है।
- भारत का पासपोर्ट 60 देशों में वीजा-फ्री एंट्री दिलाता है। हालांकि पिछले साल की तुलना में भारत की रैंकिंग 6 पायदान सुधरी है, लेकिन 5 साल में देश की रैंकिंग 5 पायदान नीचे आई है। जैसे कि 2014 में 76, 2015 में 88, 2016 में 85, 2017 में 87, 2018 में 81 स्थान हासिल किया।
- पिछले साल भारत 87वें नंबर पर था। हेनली एंड पार्टनर्स 2006 से ये पासपोर्ट रैंकिंग जारी कर रहा है। 2006 में भारत 71वें नंबर पर था। अब तक 10 रैंक की गिरावट आ चुकी है। 2015 में भारत की रैंकिंग सबसे खराब 88वें पायदान पर रही थी।
- पासपोर्ट रैंकिंग को इस आधार पर अहम माना जाता है कि ये किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थिति भी दर्शाता है।
- इस लिस्ट में अमेरिका और ब्रिटेन का पासपोर्ट संयुक्त रूप से 5वें नंबर पर है। दोनों देशों का पासपोर्ट 186-186 देशों में मान्य है।
- चीन 71वें और रूस 47वें स्थान पर है।
- पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 104वें और बांग्लादेश 100वें स्थान पर है। पिछले साल पाक 102वें स्थान पर था।
- रिपोर्ट के मुताबिक- 2006 से अब तक संयुक्त अरब अमीरात के पासपोर्ट ने सबसे ज्यादा सुधार दिखाया है।2006 में यूएई का पासपोर्ट 62वें स्थान पर था। अब ये 21वें पायदान पर है। पासपोर्ट रैंकिंग 2006 से जारी की जा रही है, तब भारत 71वें पायदान पर था। ■

7. फ्लेयर्ड लॉर्ड का एज़्टेक मंदिर

हाल ही में मेक्सिको के पुरातत्वविदों एज्टेक साम्राज्य के एक फ्लेयड लॉर्ड नामक देवता का मंदिर मिला है, जिनके उपासक बलि के शिकार लोगों की खाल पहना करते थे।

- साक्ष्यों के अनुसार पुजारियों ने मंदिर के दो वृत्ताकार वेदियों में से एक पर लोगों की बलि चढ़ते थे, फिर उन्हें दूसरे पर फेंक दिया करते थे और खुद फिर उनकी त्वचा को अपने शरीर से लपेट लिया।
- इतिहासकार लंबे समय से मानते हैं कि Xipe Totec (भड़के हुए देवता) की पूजा कई लोगों द्वारा की जाती थी।
- स्थल पर उजागर हुई कलाकृतियों में Xipe Totec की तीन पत्थर की मूर्तियां मिली हैं: वही चमड़ी वाले सिर और एक धड़ भी मिला है जिसकी पीठ पर देवता द्वारा पहने गए बलि की खाल का साक्ष्य मिला है।
- Xipe Totec की खोपड़ी लगभग 70 सेंटीमीटर लंबी है और इसका वजन 200 किलोग्राम (440 पाउंड) है।
- इतिहासकारों का कहना है कि इस मंदिर का उपयोग वर्ष 1000 से लगभग 1260 तक किया जाता था।
- प्राप्त साक्ष्य के अनुसार बलि के लिए लाए गये लोगों को या तो कुल्हाडी जैसे तेज हथियारों से या फिर तीर-धनुष से मारा जाता था। इसके बाद Xipe Totec का महिमामंडित करने के लिए इनका उपयोग किया गया।

■

सात ब्रेन बूस्टर्स

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम

चर्चा का कारण

1.1 केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 10 जनवरी 2019 को प्रदूषण से निपटने के लिए 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी)' नाम से एक योजना लाँच की है। इसके तहत शहरों में प्रदूषण से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

1.2 केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हर्षवर्धन ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत की मौजूदगी में इंदिरा गाँधी पर्यावरण भवन में इस कार्यक्रम की शुरूआत की।

1.3 इसमें खास बात यह है कि प्रदूषण में कमी का आकलन 2017 में हवा की गुणवत्ता के आधार पर होगा। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सरकार ने इससे निपटने के लिए एक देशव्यापी योजना बनाई है।

उद्देश्य

2.1 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का उद्देश्य वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उसे कम करने के लिए बड़े पैमाने पर काम करना है।

2.2 साथ ही पूरे देश में वायु की गुणवत्ता निगरानी को बेहतर बनाया जायेगा और वायु प्रदूषण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना भी इस कार्यक्रम का एक हिस्सा है।

2.3 इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2024 तक वायु में पीएम 2.5 और पीएम 10 प्रदूषकों के स्तर में 20 से 30 प्रतिशत तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्य तथ्य

3.1 इस कार्यक्रम का आशय केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों के सम्मिलित प्रयास से प्रदूषण के सभी कारकों पर फोकस करना है।

3.2 इसमें शहरों का चयन विश्व स्वास्थ्य संगठन और प्रदूषण के बढ़े स्तर को लेकर जारी होने वाली रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।

3.3 वहीं इस योजना के तहत शहरों में निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने की बात कही गई है। अभी सिर्फ 70 शहरों में ही वायु प्रदूषण को जाँचने की व्यवस्था है। इनमें से कुछ शहरों में इसका आकलन मैनुअल तरीके से ही किया जाता है।

3.4 केन्द्र सरकार के स्तर पर पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अगुआई वाली समिति शहरों की कार्य योजना को लागू करने की निगरानी करेगी।

शामिल शहर

4.1 फिलहाल इस कार्यक्रम के पहले चरण में दिल्ली सहित देश के 102 उन प्रदूषित शहरों को शामिल किया गया है, जो पिछले कुछ सालों से प्रदूषण की सबसे ज्यादा चपेट में है। इनमें उत्तर प्रदेश के भी 15 शहरों को शामिल किया गया है।

4.2 इन 102 शहरों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चंडीगढ़, भोपाल, सूरत, अहमदाबाद, नागपुर, जम्मू, श्रीनगर, धनबाद, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, गुवाहाटी, लखनऊ, कानपुर, रायपुर, इंदौर, सागर, उज्जैन, ग्वालियर, अमरावती, औरंगाबाद, कोल्हापुर, नासिक, पुणे, भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, लुधियाना, अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, आगरा, इलाहाबाद, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, झाँसी, नोएडा, रायबरेली, वाराणसी, पटना और गया आदि शामिल हैं।

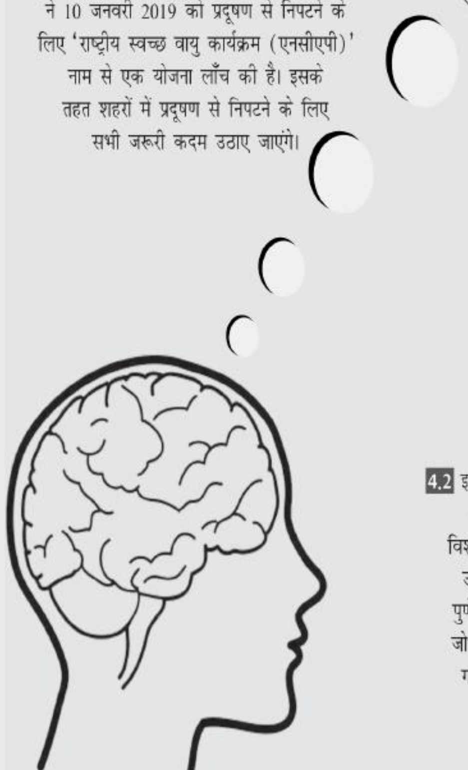

असम के 6 समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में असम में छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) घोषित करने के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया गया।

1.2 इन समुदायों में कोच राजमोगशी, ताई अहोम, चुटिया, मुटॉक, मोरन और चाय जनजाति (आदिवासी) शामिल हैं।

मुद्दा क्या है

2.1 इसकी तात्कालिक वजह नागरिकता (संशोधन) बिल, 2016 है, जिसके तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मुहैया कराने का प्रावधान है।

2.2 1985 के असम समझौते में नागरिकता प्रदान करने के लिए कटऑफ तिथि 24 मार्च 1971 थी। नागरिकता बिल में इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2014 कर दिया गया था।

बदलाव का विरोध क्यों?

3.1 असम में अवैध शरणार्थियों की पहचान धार्मिक आधार पर नहीं हुई है और वहाँ के ज्यादातर लोग चाहते हैं कि बांग्लादेश से आए शरणार्थी (मुस्लिम और हिंदू दोनों) जो संयोग से बंगाली भी बोलते हैं, उन्हें हटाया जाना चाहिए।

3.2 असम के लोगों को डर है कि बांग्लादेश से आए अवैध शरणार्थी उनकी संस्कृति और पहचान के लिए खतरा हैं।

संविधान में उल्लेख

4.1 'अनुसूचित जनजातियाँ' शब्द भारत के संविधान में उल्लेखित है। अनुच्छेद 366 (25) ने अनुसूचित जनजातियों को "ऐसी आदिवासी जाति या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासी जातियों और आदिवासी समुदायों का भाग या उनके समूह के रूप में, जिन्हें इस संविधान के उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियाँ माना गया है" परिभाषित किया है।

4.2 अनुच्छेद 342 के अनुसार राष्ट्रपति, किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के विषय में, और जहाँ वह राज्य है, राज्यपाल से सलाह के बाद सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, आदिवासी जाति या आदिवासी समुदायों या आदिवासी जातियों या आदिवासी समुदायों के भागों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकते हैं, जो उस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश, जैसा भी मामला हो, के संबंध में अनुसूचित जनजातियाँ माने जाएंगे।

4.3 अनुच्छेद 371 में राज्य के मूल निवासियों को संसद और विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान है।

4.4 ये छह समुदाय शैक्षिक और आर्थिक रूप से उन्नत और संख्या में अधिक हैं। यह कदम असम के मौजूदा आदिवासी लोगों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को प्रभावित करेगा।

एसटी सूची में शामिल करने के लिए मानदंड

5.1 अनुसूचित जनजाति के रूप में समुदाय के विनिर्देशन के लिए वर्तमान में दिए गए मानदंड आदिम लक्षणों, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, तथा पिछड़ापन हैं।

5.2 भारत सरकार ने अपने आदेशों में इन्हें शामिल किए जाने, संबंधी सभी तौर-तरीकों को मंजूरी देने की बात की है।

5.3 तदनुसार, केवल उन प्रस्तावों को जो संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों द्वारा अनुशंसित और न्यायोचित हैं, को आगे संशोधित कर लागू किया जा सकता है।

5.4 इसके बाद, इसे भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) द्वारा कानून में संशोधन के लिए विचार करने हेतु दिया जाएगा।

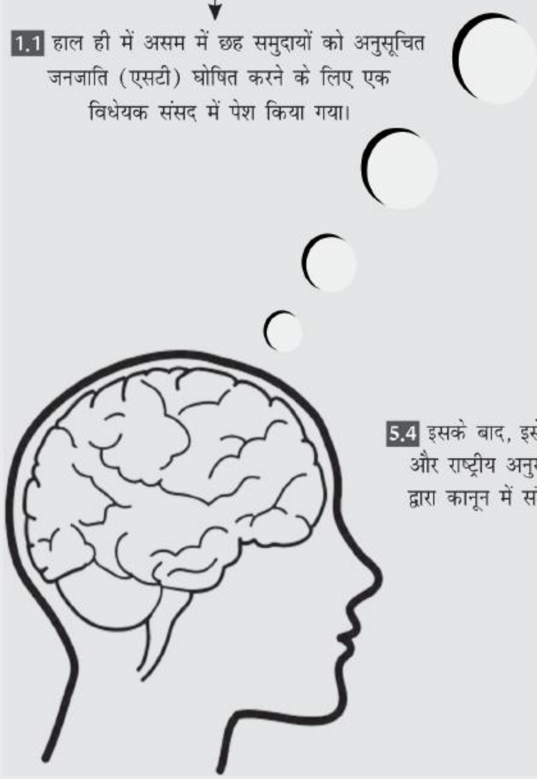

आरबीआई का टोकेनाइजेशन पर नए दिशा-निर्देश

चर्चा का कारण

1.1 भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड पेमेंट सेवा को और सुरक्षित बनाने के लिए टोकेनाइजेशन सर्विस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं।

1.2 इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का कहना है कि आरबीआई के नए निर्देश से डिजिटल पेमेंट सेवा के लिए नए रास्ते खोलेंगे। टोकेनाइजेशन से कार्ड पेमेंट आसान और सुरक्षित हो जाएगा।

क्या है

2.1 इसके तहत कार्ड के वास्तविक ब्योरे को एक यूनिक कोड टोकन से बदल दिया जाता है।

2.2 पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलों, क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड से संपर्क रहित भुगतान के लिए कार्ड के वास्तविक ब्योरे के स्थान पर टोकन का इस्तेमाल किया जाता है।

RBI की दलील

3.1 केंद्रीय बैंक ने कहा कि टोकन कार्ड से लेन-देन की सुविधा फिलहाल मोबाइल फोन और टैबलेट के जरिए उपलब्ध होगी, इससे प्राप्त अनुभव के आधार पर बाद में इसका विस्तार अन्य उपकरणों तक किया जाएगा।

3.2 रिजर्व बैंक की विज्ञप्ति में कहा गया है कि कार्ड के टोकनीकरण और टोकन व्यवस्था से हटाने का काम केवल अधिकृत कार्ड नेटवर्क द्वारा ही किया जाएगा। इसमें मूल प्राथमिक खाता नंबर (पीएएन) की रिकवरी भी प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क से ही हो सकेगी।

3.3 ग्राहक को इस सेवा का लाभ उठाने के लिये कोई शुल्क नहीं देना होगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि कार्ड के लिये टोकन सेवाएँ शुरू करने से पहले प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क प्रणाली को एक निश्चित अवधि में लेखापरीक्षा के लिये प्रणाली स्थापित करनी होगी।

3.4 यह ऑडिट साल में कम से कम एक बार होना चाहिए। केन्द्रीय बैंक ने कहा है कि किसी कार्ड को टोकन व्यवस्था के लिए पंजीकृत करने का काम उपभोक्ता की विशिष्ट सहमति के बाद ही किया जाना चाहिए।

क्या यह सर्विस अनिवार्य होगी?

4.1 टोकन सर्विस ग्राहकों के इच्छा पर निर्भर करेगी। यूजर्स को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

4.2 इस सर्विस के लिए उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया जा सकेगा और न ही बैंक/कार्ड प्रदाता कंपनियों की ओर से अनिवार्यत: इसे लागू किया जा सकेगा।

4.3 ग्राहकों के पास खुद को कॉन्टैक्टलेस, क्यूआर कोड या इन-ऐप परचेज जैसी किसी भी सर्विस के लिए रजिस्टर और डी-रजिस्टर करने का अधिकार होगा।

लाभ

5.1 यह संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा करता है और भुगतान प्रक्रिया के दौरान कार्ड भुगतान को आंतरिक और बाहरी खतरों से सुरक्षित बनाता है।

5.2 टोकन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के लेनदेन में अद्वितीय सुरक्षा प्रदान करता है (चिप सक्षम कार्ड के साथ)।

5.3 धोखाधड़ी या चोरी के मामले में ग्राहकों के लिए टोकेनाइजेशन बहुत उपयोगी है।

5.4 यह इस तथ्य के कारण काम करता है कि टोकन का उपयोग करने वाले विभिन्न प्लेटफार्मों पर एक ही कार्ड भुगतान के लिए कई टोकन जारी किए जाते हैं।

5.5 यह ऑनलाइन व्यवसायों को डेटा कैप्चर से लेकर स्टोरेज तक, उनकी डेटा सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद करता है।

5.6 टोकन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह व्यापारियों के लिए सुरक्षा उल्लंघनों के प्रभाव को कम करता है।

मानव तस्करी पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

चर्चा का कारण

1.1 संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनियाभर में मानव तस्करी भयानक रूप ले चुकी है और इससे पीड़ित तकरीबन हर तीसरा शख्स बच्चा हैं।

1.2 यूएन की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, यूरोप के कई हिस्सों तथा भारत सहित कई दक्षिण एशियाई देशों के तस्करी पीड़ितों का पता चला है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव तस्करी अब 'भयावह रूप' ले चुकी है।

रिपोर्ट से संबंधित मुख्य तथ्य

2.1 इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पश्चिमी और दक्षिणी यूरोप में पीड़ितों की तस्करी बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान समेत कई दक्षिण एशियाई देशों से हुई है और दुनियाभर के करीब 40 देशों में दक्षिण एशियाई तस्करी पीड़ितों का पता चला है।

2.2 रिपोर्ट के अनुसार, तस्करी के शिकार हुए लोगों में 30 फीसदी बच्चे शामिल हैं, जिनमें लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कहीं अधिक है।

2.3 रिपोर्ट के अनुसार, नॉर्डिक देशों, नीदरलैंड और ब्रिटेन में भी अफगानिस्तान से तस्करी कर लाये गये कई पीड़ितों का पता लगाया गया है।

2.4 रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशियाई देशों से ही ज्यादातर लोगों का तस्करी कर दुनिया के बाकी हिस्सों में ले जाया जाता है।

2.5 दुनियाभर में नशीली दवाओं और अपराध की निगरानी करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनओडीसी) की 'ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स 2018' 142 देशों से ली गई जानकारी पर आधारित है, जिसमें तस्करी के तौर तरीकों की जाँच-पड़ताल की गई है।

यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनओडीसी)

3.1 यूएनओडीसी की स्थापना वर्ष 1997 में संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय अपराध रोकथाम केन्द्र को मिलाकर संयुक्त राष्ट्र सुधारों के तहत की गई थी।

3.2 इस कार्यालय का अधिकार क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र समझौतों में निहित है, जैसे- व्यक्तियों की तस्करी के बारे में, थल, जल और वायु के रास्ते प्रवासियों की तस्करी के बारे में तथा अपराधों की रोकथाम और दंड न्याय संबंधी संयुक्त राष्ट्र मानकों के संबंध में।

3.3 इन समझौतों की मदद से यूएनओडीसी, सदस्य देशों को अवैध मादक पदार्थों, अपराध एवं आतंकवाद के मुद्दों का समाधान देने में मदद करता है।

संयुक्त राष्ट्र के बारे में

4.1 संयुक्त राष्ट्र (यूएन) एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने, अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति है।

4.2 संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ हुई थी।

4.3 वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 देश हैं। इस संस्था की संरचना में आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय शामिल हैं।

आगे की राह

5.1 सदस्य देशों द्वारा समस्याओं से निपटने में की गयी प्रगति की निगरानी और सेक्स, उम्र व शोषण के शिकार लोगों की संख्या की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है।

5.2 पीड़ितों की रक्षा करने और अपराधियों को सजा दिलाने तथा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी देशों का समर्थन हासिल करने एवं तकनीकी सहायता और आपसी सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता है।

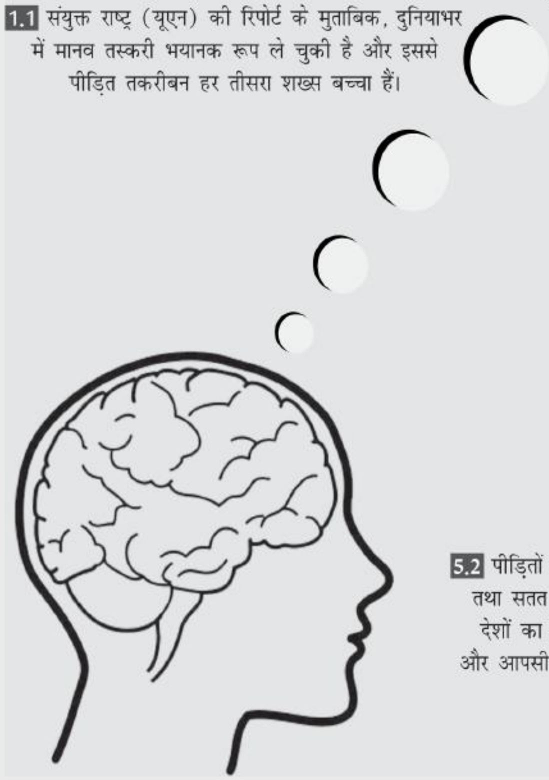

यूनिवर्सल बेसिक इनकम

चर्चा का कारण

1.1 सिक्किम देश का पहला ऐसा राज्य है, जहाँ यूनिवर्सल बेसिक इनकम की योजना शुरू करने की बात की जा रही है। सत्तारूढ़ पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने घोषणा की है कि वो भविष्य में ये स्कीम लागू करने की मंशा रखती है और इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों में इसे अपने मेनिफेस्टो में भी रखेगी।

1.2 इसी तर्ज पर केंद्र भी इस योजना को लागू करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है।

1.3 इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि सरकार गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को सब्सिडी की बजाय अब हर महीने 2,500 की रकम देने पर विचार कर रही है।

क्या है यूनिवर्सल बेसिक इनकम

2.1 दरअसल, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश के हर नागरिक को एक निश्चित रकम देने की गारंटी सरकार की होती है।

2.2 इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह योजना लागू होती है तो सरकार को देश के हर वयस्क नागरिक को एक निश्चित रकम एक निश्चित अंतराल पर देनी होगी।

2.3 इस योजना के तहत मिलने वाले पैसे के साथ कोई शर्त भी जुड़ी नहीं होती। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे नागरिक आमदनी, बेसिक इनकम गारंटी, अनकंडीशनल बेसिक इनकम आदि।

इतिहास

3.1 यूबीआई का सुझाव सबसे पहले लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गॉय स्टैंडिंग ने दिया था जिनकी अगुआई में मध्य प्रदेश के इंदौर के पास 8 गाँवों में पाँच साल के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया।

3.2 भारत में यह अवधारणा चर्चा में इसलिये रही क्योंकि वर्ष 2016-17 के भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में यूबीआई को एक अध्याय के रूप में शामिल कर इसके विविध पक्षों पर चर्चा की गई है।

लाभ

4.1 यूबीआई का सबसे बड़ा लाभ है इसका यूनिवर्सल या सार्वजनिक होना, अर्थात् किसी वर्ग विशेष को या किसी जरूरतमंद वर्ग समूह को अलग से चिह्नित या लक्षित न करके सभी को एक न्यूनतम धनराशि उपलब्ध कराना।

4.2 साथ ही मौसमी व प्रच्छन्न बेरोजगारी, आपदा, रोगावस्था, नि:शक्तता एवं नियोक्ता द्वारा शोषण की अवस्था में व्यक्ति रोजगार के अभाव में भी अपना जीवनयापन कर सकेगा।

4.3 प्रणाली क्षरण (System Leakage) की समस्या कम होगी एवं जैम (JAM) प्रणाली (जनधन, आधार, मोबाइल) के उपयोग से लाभार्थी तक सीधे पहुँचा जा सकेगा।

4.4 धन के आवंटन, निगरानी व भ्रष्टाचार पर अंकुश के अनावश्यक दायित्व से नौकरशाही मुक्त होगी, जिससे विकास के अन्य कार्यों को गति मिलेगी।

खाते में कैसे आएगा पैसा?

5.1 यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना को लागू करने के लिए आधार नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा। योजना में शामिल होने वाले नागरिक के बैंक खाते को आधार नंबर से लिंक किया जाएगा और फिर सरकार की ओर से दिए जाने वाले पैसे को सीधे उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

5.2 अभी तक घरेलू गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी खाते में ट्रांसफर होती थी, लेकिन हो सकता है कि इस स्कीम के लागू होने के बाद हर तरह की सब्सिडी बंद कर दी जाए।

आवश्यकता क्यों?

6.1 प्रत्येक व्यक्ति को एक न्यूनतम आय की गारंटी प्रदान करने का यह विचार, निश्चित तौर पर संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए गरिमामय जीवन जीने के अधिकार को वास्तविकता प्रदान करेगा।

6.2 सरकार द्वारा नियत राशि दिये जाने से गरीबी और गरीबी के कगार पर खड़े लोग उपभोग के एक निश्चित स्तर को प्राप्त कर सकेंगे और इस तरह वे अपनी आर्थिक दशा सुधारने में सक्षम हो सकेंगे।

6.3 भारतीय अर्थव्यवस्था में जहाँ असंगठित क्षेत्र में 90% कामगार हों, बहुत से लोग नि:शक्त व भिक्षावृत्ति से जुड़ें हों, देश के कई भागों में लोग हर वर्ष प्राकृतिक आपदा से त्रस्त हों एवं विभिन्न प्रकार की अनियोजित विकासात्मक गतिविधि के कारण पलायन को मजबूर हों, उन्हें इस अवधारणा के क्रियान्वयन से आर्थिक असुरक्षा के भय से मुक्ति मिलेगी।

6.4 कल्याणकारी व्यय के उपयोग की जिम्मेदारी अब नागरिकों पर भी होगी एवं लेटलतीफी, अफसरशाही, लाभों के मनमाने वितरण आदि की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी।

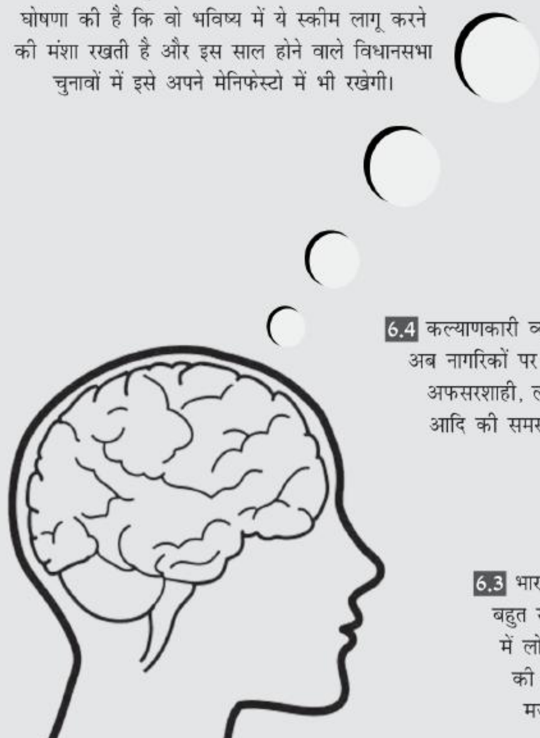

भारत-नॉर्वे संबंध

चर्चा का कारण

1.1 नॉर्वे की प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग और उनके भारतीय समकक्ष नरेन्द्र मोदी ने 8 जनवरी, 2019 को नई दिल्ली में एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी किया।

1.2 इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और नॉर्वे ने कई मुद्दों पर सहमति जताते हुए एक साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है।

यात्रा की मुख्य बातें

2.1 नॉर्वे की प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में नॉर्वेजियन दूतावास का उद्घाटन किया, जो अक्षय ऊर्जा से पूरी तरह रोशन होगी जिससे कि यह दिल्ली में अक्षय ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला ग्रीन बिल्डिंग दूतावास बन जाएगा।

2.2 दोनों देशों ने भारत-नॉर्वे महासागर वार्ता और 'ब्लू इकोनॉमी' पर संयुक्त कार्य बल की स्थापना पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

2.3 दोनों देशों ने सुरक्षा, आतंकवाद, उच्च शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार, ऊर्जा, जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा की।

2.4 दोनों देश वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में सहयोग करने और विभिन्न परिवर्तनकारी खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं।

2.5 दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।

2.6 नॉर्वे ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया है।

2.7 नॉर्वे ने आर्कटिक क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जाहिर की है क्योंकि भारत के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों ही जगह मजबूत अनुसंधान केन्द्र स्थापित हैं।

द्विपक्षीय संबंध

3.1 नॉर्वे भारत को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाले विश्व के कुछ प्रमुख देशों में से एक था।

3.2 नवंबर 2018 में, नॉर्वे ने मुम्बई में भारत-नॉर्वे के व्यापारिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की थी। उल्लेखनीय है कि नॉर्वे ने पहला दूतावास 1952 में स्थापित किया था।

3.3 भारत का पाँच नॉर्डिक देशों (डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन) के साथ एक मजबूत द्विपक्षीय संबंध है। अभी 2018 में ही स्टॉकहोम में पहला भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ।

3.4 नॉर्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव (NIPI) की स्थापना 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत गुणवत्तापूर्ण बाल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए की गई थी।

3.5 2017 में, दोनों देशों ने NIPI की अवधि को 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया। ज्ञातव्य है कि नॉर्वे में टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कई प्रमुख भारतीय कंपनियाँ भी मौजूद हैं।

3.6 भारत के ध्रुवीय अनुसंधान केन्द्र 'हिमाद्री' का उद्घाटन जुलाई, 2008 में स्लावबार्ड के न्यालेसुण्ड में किया गया था।

3.7 भारत ने नॉर्वे के साथ 1986 में ही दोहरे कराधान से बचाव के समझौते (DTAA) पर हस्ताक्षर किये थे, जिन्हें 2011 में संशोधित किया गया।

3.8 दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 1.2 बिलियन डॉलर का है।

3.9 भारत और यूरोपीय मुफ्त व्यापार संघ (EFTA) देश (स्विट्जरलैण्ड, नॉर्वे, आइसलैण्ड, आदि) आधिकारिक तौर पर व्यापार और आर्थिक भागीदार समझौते (TEPA) पर कार्य कर रहे हैं। हालाँकि नॉर्वे, यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है।

आगे की राह

4.1 नॉर्वे की क्षमता विश्व स्तर पर नौवहन, बंदरगाह प्रबंधन, मछली पकड़ने, रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में जानी जाती है। इससे भारत को लाभ होगा।

4.2 भारत मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज, स्वच्छ भारत अभियान और सागरमाला परियोजना जैसे कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए नॉर्वे की भागीदारी चाहता है।

4.3 सागरीय अर्थव्यवस्था में नॉर्वे का विशाल अनुभव, भारत को समुद्री उद्योग में मदद कर सकता है।

एसएससी के लिए वैधानिकता

परिचय

2.1 एसएससी का कार्य भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इत्यादि (सीएजी) के कार्यालयों में गैर तकनीकीय समूह 'ख' और 'ग' के अराजपत्रित पदों में भर्ती करना है।

2.2 आयोग नीतियाँ तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें परीक्षाओं की एवं अन्य प्रक्रियाओं की योजना बनाना शामिल है ताकि परीक्षाओं और चयन प्रणाली को सुव्यवस्थित रूप से चलाया जा सके।

2.3 इसे पहले 'अधीनस्थ सेवा आयोग' कहा जाता था। इसका पुनर्नामकरण 1977 में कर्मचारी चयन आयोग के रूप में किया गया।

2.4 एसएससी को इसलिए बनाया गया था ताकि यूपीएससी के बोझ को थोड़ा कम किया जा सके। 2008-2009 में 9.44 लाख उम्मीदवारों को एसएससी के जरिये मौका मिला, जबकि 2016-17 में 2 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों को।

चर्चा का कारण

1.1 एक संसदीय स्थायी समिति (PSC) ने सिफारिश की है कि केन्द्र सरकार को देश के सबसे बड़े भर्ती एजेंसियों में से एक कर्मचारी चयन आयोग (SSC) को वैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए।

1.2 संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और सभी राज्य लोक सेवा आयोगों को संवैधानिक या कानूनी दर्जा प्राप्त है। SSC एकमात्र ऐसा संगठन है जो बहुत बड़े पैमाने पर समान कार्य करता है लेकिन वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है।

वैधानिक स्थिति क्या है?

3.1 वैधानिक निकाय वे अतिरिक्त संवैधानिक निकाय हैं जो भारत की संसद में पारित अधिनियम द्वारा बनाये जाते हैं, जैसे कि- आरटीई (RTE), आधार (AADHAAR) अधिनियम आदि।

3.2 एक वैधानिक निकाय वह है जो किसी कानून से अपने अस्तित्व और अधिकार को प्राप्त करता है।

3.3 वैधानिक स्थिति के अलावा, संविधान में दो अन्य स्थितियाँ मौजूद हैं- संवैधानिक और कार्यकारी।

3.4 संवैधानिक निकाय जैसे-चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग आदि संविधान से अपने अधिकार प्राप्त करते हैं।

3.5 कार्यकारी निकाय अपने अधिकार कार्यकारी आदेश के माध्यम से प्राप्त करते हैं अर्थात संघ या राज्य के मंत्रालय के आदेश से।

आवश्यकता क्यों?

4.1 एसएससी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तहत एक 'संलग्न निकाय' बना हुआ है। इसे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है।

4.2 वर्तमान में एसएससी के कई पद खाली हैं तथा वह अपनी कुल स्वीकृत पदों के 75% कर्मचारियों के साथ ही कार्य कर रहा है अर्थात 25% पद खाली हैं।

4.3 इसके कार्यों और इसके पास उपलब्ध संसाधनों के बीच एक गंभीर खाई विद्यमान है।

4.4 यदि एसएससी को वैधानिक दर्जा दिया जाय, तो यह दर्जा इसे अधिक कार्यात्मक स्वायत्ता में योगदान देगा।

4.5 यह भर्ती प्रक्रिया में एसएससी द्वारा समग्र प्रदर्शन और परिणामों के वितरण में निर्णय लेने और दक्षता को भी बढ़ाएगा।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम

प्र. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का उद्देश्य वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उसे कम करने के लिए बड़े पैमाने पर काम करना है।
2. इस कार्यक्रम के तहत 2024 तक हवा में पीएम 2.5 (Pm.2.5) और पीएम 10 प्रदूषकों के स्तर में 20 से 30 प्रतिशत तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है।
3. इस कार्यक्रम के तहत पहले चरण में दिल्ली सहित देश के उन 202 प्रदूषित शहरों को शामिल किया गया है, जो पिछले कुछ सालों से प्रदूषण की सबसे ज्यादा चपेट में है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 1 व 3 (d) केवल 3

उत्तरः (d)

व्याख्याः राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत पहले चरण में दिल्ली सहित देश के 102 (न कि 202) प्रदूषित शहरों को शामिल किया गया है, जो पिछले कुछ सालों से प्रदूषण की सबसे ज्यादा चपेट में हैं। इस तरह कथन 3 गलत है। इसके अलावा दिए गए कथन सत्य हैं, इसलिए उत्तर (d) होगा। ■

2. असम के 6 समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गलत कथन का चयन करें-

(a) हाल ही में असम से आठ समुदायों को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया गया।

(b) इस विधेयक का विरोध इस आधार पर हो रहा है कि असम के लोगों को डर है कि बांग्लादेश से आए अवैध शरणार्थी उनकी संस्कृति और भाषाई पहचान के लिए खतरा है।

(c) अनुसूचित जनजातियों के संबंध में अनुच्छेद 366 (25) में तथा अनुच्छेद 342 के तहत विस्तृत रूप में दिया गया है।

(d) अनुच्छेद 371 में राज्य के मूल निवासियों को संसद और विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान है।

उत्तरः (a)

व्याख्याः हाल ही में असम में छह (न कि आठ) समुदायों को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया गया। प्रस्तावित समुदाय में कोच राजबोंगथी ताई, अहोम, चुटिया, मुतौक, मोरन और चाय जनजाति शामिल हैं। इस तरह कथन (a) गलत है। ■

3. आरबीआई का टोकेनाइजेशन पर नये दिशा निर्देश

प्र. आरबीआई (RBI) का टोकेनाइजेशन पर नए दिशा निर्देश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. केन्द्रीय बैंक ने कहा कि टोकन कार्ड से लेन-देन की सुविधा फिलहाल मोबाइल फोन और टैबलेट के जरिए उपलब्ध होगी।
2. टोकन सर्विस ग्राहकों के इच्छा पर निर्भर करेगी एवं यूजर्स को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
3. टोकेनाइजेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के लेनदेन में अद्वितीय सुरक्षा प्रदान करता है।
4. यह ऑनलाइन व्यवसायों को डेटा कैप्चर से लेकर स्टोरेज तक, उनकी डेटा सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 3 (b) केवल 2 व 4
(c) केवल 2 व 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (d)

व्याख्याः भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड पेमेंट सेवा को और सुरक्षित बनाने के लिए टोकेनाइजेशन सर्विस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किये हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नए दिशा निर्देश डिजिटल पेमेंट सेवा के लिए नये रास्ते खोलेंगे। इस संदर्भ में दिए गए सभी कथन सही हैं, इसलिए उत्तर (d) होगा। ■

4. मानव तस्करी पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार तस्करी के शिकार हुये लोगों में 30 फीसदी बच्चे शामिल हैं, जिनमें लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कहीं अधिक है।
2. यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एण्ड क्राइम (यूएनओडीसी) की स्थापना

वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय अपराध रोकथाम केन्द्र को मिलाकर किया गया था।

3. संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी।
4. वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 देश शामिल हैं।

नीचे दिए गये कूट की सहायता से गलत कथन का चयन करें।

(a) केवल 1 व 2 (b) केवल 1 व 3
(c) केवल 2 व 4 (d) केवल 2

उत्तरः (d)

व्याख्याः यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एण्ड क्राइम (यूएनओडीसी) की स्थापना वर्ष 1997 (न कि 1999) में संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय अपराध रोकथाम केन्द्र को मिलाकर किया गया था। इस तरह कथन 2 गलत है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनियाभर में मानव तस्करी भयानक रूप ले चुकी है और इससे पीड़ित तकरीबन हर तीसरा शख्स बच्चा है। ■

5. यूनिवर्सल बेसिक इनकम

प्र. यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश के हर नागरिक को एक निश्चित रकम देने की गारंटी सरकार की होती है।
2. यूबीआई का सुझाव सबसे पहले लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गॉय स्टैंडिंग ने दिया था।
3. वर्ष 2016-17 के भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में यूबीआई को एक अध्याय के रूप में शामिल किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/ हैं?

(a) केवल 1 व 3 (b) केवल 2 व 3
(c) केवल 1 व 2 (d) 1, 2 व 3

उत्तरः (d)

व्याख्याः सिक्किम देश का पहला ऐसा राज्य है, जहाँ यूनिवर्सल बेसिक इनकम की योजना शुरू करने की बात की जा रही है। इसी तर्ज पर केन्द्र भी इस योजना को लागू करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। दरअसल, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश के हर नागरिक को एक निश्चित रकम देने की गारंटी सरकार की होती है। इस संदर्भ में दिए गये सभी कथन सही हैं, इसलिए उत्तर (d) होगा। ■

6. भारत-नॉर्वे संबंध

प्र. भारत- नॉर्वे संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. नॉर्वे ने आर्कटिक क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की है।
2. नॉर्वे, भारत को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला विश्व के प्रमुख देशों में से एक था।
3. भारत और नॉर्वे ने एनआईपीआई (NIPI) की अवधि को 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया है।
4. भारत और नॉर्वे ने दोहरे कराधान से बचाव के समझौते (DTAA) को 2011 में संशोधित किया।
5. नॉर्वे यूरोपीय संघ (EU) का सदस्य देश है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1, 2, 3 और 4 (b) केवल 2, 3 और 5
(c) केवल 3, 4 और 5 (d) केवल 1 और 5

उत्तरः (a)

व्याख्याः नॉर्वे ने आर्कटिक क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की है क्योंकि भारत के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों ही जगह मजबूत अनुसंधान केन्द्र स्थापित हैं। नॉर्वे भारत को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला विश्व के प्रमुख देशों में से एक था। नॉर्वे इंडिया पार्टनशिप इनिशिएटिव (NIPI) की स्थापना 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत गुणवत्तापूर्ण बाल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए की गई थी। 2017 में , दोनों देशों ने एनआईपीआई की अवधि को 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया है। भारत ने नॉर्वे के साथ 1986 में ही दोहरे कराधान से बचाव के समझौते (DTAA) पर हस्ताक्षर किये थे, जिन्हें 2011 में संशोधित किया गया। इसीलिए 1, 2, 3 और 4 सही है, परंतु 5वाँ कथन गलत है क्योंकि नॉर्वे यूरोपीय संघ का सदस्य देश नहीं है। ■

7. एसएससी के लिए वैधानिकता

प्र. दिए गये कथनों में गलत कथन का चयन करें-

(a) एसएससी एकमात्र ऐसा संगठन है जो बहुत बड़े पैमाने पर समान कार्य करता है, लेकिन वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है।

(b) एसएससी को पहले 'अधीनस्थ सेवा आयोग' कहा जाता था। इसका पुनर्नामकरण 1995 में 'कर्मचारी चयन आयोग' के रूप में किया गया।

(c) 2008-2009 में 9.44 लाख उम्मीदवारों को एसएससी के जरिये मौका मिला, जबकि 2016-17 में 2 करोड़ से अधिक को।

(d) वैधानिक निकाय के अतिरिक्त संवैधानिक निकाय हैं जो भारत की संसद में पारित अधिनियम द्वारा बनाये जाते हैं, जैसे कि आरटीआई (RTI) आधार (Aadhaar) अधिनियम आदि।

उत्तरः (b)

व्याख्याः एसएससी को पहले 'अधीनस्थ सेवा आयोग' कहा जाता था। इसका पुनर्नामकरण 1997 में कर्मचारी चयन आयोग के रूप में किया गया। अतः कथन (b) गलत है। उल्लेखनीय है कि एक संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्र को देश के सबसे बड़े भर्ती एजेन्सियों में से एक 'कर्मचारी चयन आयोग' को वैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. केन्द्र सरकार ने कौन-सी योजना के तहत 4,684 करोड़ रुपये की लागत से जम्मू-कश्मीर के सांबा, पुलवामा व गुजरात के राजकोट में 1-1 एम्स के निर्माण को मंजूरी दे दी है।

   -प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

2. ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने सत्ताधारी 'डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी' के किस नेता को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है।

   -सु सेंग-चांग

3. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस पशु रोग से निपटने के लिए एलिजा किट लॉन्च किया है।

   -संक्रामक अनीमिया

4. कौन-सा देश अफ्रीका कम ऑफ नेशंस-2019 की मेजबानी करेगा।

   -मिस्र

5. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रिंट मीडिया को दिए जाने वाले सरकारी विज्ञापनों की दरों में कितने प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है।

   -25%

6. पहली भारत-मध्य एशिया वार्ता का आयोजन किस देश में किया गया।

   -उज्बेकिस्तान

7. प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाने वाला दिवस है।

   -विश्व हिंदी दिवस

सात महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र-II

1. खांगचेन्ज़ोंगा बायोस्फियर रिजर्व

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सिक्किम के खांगचेन्ज़ोंगा बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व (WNBR) में शामिल किया गया है।
- विदित हो कि खांगचेन्ज़ोंगा के शामिल होने के साथ, अंतर्राष्ट्रीय रूप से नामित डब्ल्यूएनबीआर की संख्या 11 हो गई है, जिसमें 7 बायोस्फीयर रिजर्व घरेलू बायोस्फीयर रिजर्व हैं।
- सिक्किम का खांगचेन्ज़ोंगा बायोस्फीयर रिजर्व (केबीआर), देश सबसे ऊँचा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है।
- इस बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व (डब्ल्यूएनबीआर) में शामिल किया गया है तथा इस बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र (केबीआर) में भारतीय हिमालय की सबसे ऊँची चोटी कंचनजंगा स्थित है।
- खांगचेन्ज़ोंगा राष्ट्रीय उद्यान (केएनपी), जिसमें केबीआर का मुख्य क्षेत्र शामिल है, को 17 जुलाई, 2016 को भारत की पहली "मिश्रित विश्व धरोहर स्थल" के रूप में शामिल किया गया था।
- इस रिजर्व का कुछ भाग अल्पाइन जोन में स्थित है और शेष भाग हिमालयी गीले समशीतोष्ण और उप उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती जंगल हैं।
- खांगचेन्ज़ोंगा बायोस्फीयर रिजर्व विश्व के 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से एक है। इस रिवर्ज में पहाड़, चोटियाँ, झीलों, गुफाओं, चट्टानों, स्तूप (मंदिर) और गर्म झरनों के साथ उच्च प्रजाति विविधता है।
- सिक्किम वन विभाग के अनुसार, केबीआर में फूल पौधों की 4,500 प्रजातियाँ हैं।
- बायोस्फीयर रिजर्व में फर्न की 362 प्रजातियों को भी सूचीबद्ध किया गया है।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित कई प्रजातियाँ केबीआर में पायी जाती हैं। इसमें रेड पांडा, हिम तेंदुए, हिमालयी ब्लैक बीयर, मस्क हिरण, ग्रेट तिब्बती भेड़, नीली भेड़, बोरल और बार्किंग हिरण तथा जड़ी-बूटियों की प्रजातियाँ शामिल हैं।
- रिजर्व में पक्षियों की 500 से अधिक प्रजातियाँ और उप प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं।

2. बांदीपुर टाइगर रिजर्व

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केंद्र ने कहा है कि वह बांदीपुर टाइगर रिजर्व में एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण की परियोजना को नहीं अपनाएगा।
- यह फैसला कर्नाटक सरकार द्वारा एशियाई हाथियों, बाघों और अन्य वन्यजीव जानवरों को संभावित नुकसान का हवाला देते हुए, सुप्रीम कोर्ट के कदम का विरोध करने के तीन दिन बाद आया है।
- बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को भारत के सबसे खूबसूरत और बेहतरीन प्रबंधन वाले राष्ट्रीय उद्यानों में से एक माना जाता है।
- यह कर्नाटक के पश्चिमी घाट के पहाड़ों के बीच में स्थित है।
- इस उदयान का निर्माण मैसूर साम्राज्य के राजा ने 1931 में 90 वर्ग किमी (35 वर्ग मील) में एक अभ्यारण्य बनवाया था और उसका नाम वेणुगोपाल वन्यजीव उद्यान रखा था।
- वेणुगोपाल वन्यजीव उद्यान में वर्ष 1973 में करीब 800 वर्ग किमी (310 वर्ग मील) को शामिल कर प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बांदीपुर टाइगर रिजर्व बनाया गया था।
- यह 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एक बाघ आरक्षित के रूप में स्थापित किया गया था।
- यह भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल रिजर्व (Biosphere Reserve) बनाता है जिसे 'नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व' के नाम से जाना जाता है।
- इस उद्यान में शुष्क पर्णपाती वन, नम पर्णपाती वन और झाड़ियों की कई प्रजातियाँ हैं।
- उद्यान के उत्तर में काबिनी नदी और दक्षिण में मोयर नदी है जबकि नुगु नदी उद्यान के बीच से गुजरती है।

- यह गौर (एक प्रकार का बैल), सांभर, चीतल, पिसूरी, चार सींगों वाला काला हिरण, जंगली कुत्ते, जंगली सुअर, सियार, स्लोथ बीयर, तेंदुआ, मालाबार गिलहरी, साही और काले-रोएँ वाले खरगोश का प्राकृतिक निवास स्थान है।
- बांदीपुर में पेड़ों की अच्छी-खासी संख्या पायी जाती है। इसमें- शीशम, विशाल बांसों का समूह, चंदन, सागौन, भारतीय-लॉरेल, विजयसार, क्लंपिंग बैंबू और ग्रेविया टिलिएफोलिया शामिल हैं।

3. गिर राष्ट्रीय उद्यान

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में गुजरात गिर के जंगल में तीन शेरों की ट्रेन से कटकर मौत हो गयी। यह घटना अमरेली जिले में गिर (पूर्व) वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले बोरला गांव में हुई।
- इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) ने कहा है कि भारत में शेरों कि ऐसी एकमात्र जीवित प्रतिनिधि हैं जो पूरे दक्षिण-पश्चिम एशिया में पाए जाते हैं।
- गिर राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों की जीवित आबादी का अंतिम आश्रय स्थल है।
- सरकार ने एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए 18 सितंबर 1965 को आदेश पारित कर सासन गिर के काफी हिस्से को वन्यजीव अभयारण्य बनाने की घोषणा की थी।
- बतौर वन्यजीव अभ्यारण्य सासन गिर 1412 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला है जिसमें से 258 किमी का क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान के प्रमुख क्षेत्र को कवर करता है।
- यह उद्यान 1412 वर्ग किमी (पर्णपाती वन) के क्षेत्र में है। इसमें अर्द्ध- सदाबहार और सदाबहार वनस्पति, बबूल, झाड़ियों वाले जंगल, घास के मैदान और चट्टानी पहाड़ें हैं।
- उद्यान का ज्यादातर हिस्सा बीहड़ पहाड़ियों वाला है जिसमें ऊँची चोटियाँ और घनी वन घाटियाँ, चौड़े घास के मैदान वाले पठार और छोटे-छोटे टीले हैं।
- इसे 1975 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
- गिर के जंगल जूनागढ़ के नवाबों के शिकार खेलने की जगह थी लेकिन जब शेरों की आबादी बहुत तेजी से कम हो गई तब नवाब सर मोहम्मद रसूल खानजी बाबी ने वर्ष 1900 में गिर को 'संरक्षित' क्षेत्र घोषित कर दिया।
- मई 2015 में एशियाई शेरों की 14वीं जनगणना की गई। वर्ष 2015 में इनकी आबादी 523 थी (वर्ष 2010 में की गई पिछली जनगणना की तुलना में लगभग 27% अधिक)। वर्ष 2010 में आबादी 411 और 2005 में 359 थी।
- गिर में 523 शेर और 300 तेंदुए हैं जो इसे भारत में 'बड़ी बिल्ली' का प्रमुख स्थान बनाता है।
- मांसाहारी पशुओं में मुख्य रूप से एशियाई शेर, भारतीय तेंदुए, भारतीय नाग, जंगली बिल्ली, पट्टीदार हायना, सुनहरे सियार, भारतीय नेवले, भारतीय कस्तूरी बिलाव और बिज्जू (honey badgers) शामिल हैं।
- रेगिस्तानी बिल्ली और जंगल जैसे धब्बों वाली बिल्लियाँ भी कभी-कभी देखी जाती हैं।
- गिर के मुख्य शाकाहारी पशुओं में चीतल, नीलगाय, सांभर, चौसिंगा, चिंकारा और जंगली सूअर हैं।
- आस-पास के इलाके से आने वाले काले हिरण कभी-कभी अभ्यारण्य में दिख जाते हैं।
- गिर में मगरमच्छ (marsh crocodile) की आबादी बहुत अधिक है। यह अभयारण्य में दर्ज किए गए सरीसृपों और उभयचर की 40 प्रजातियों में से एक हैं।
- उद्यान के चेकलिस्ट में पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियाँ हैं। अभयारण्य के घास के मैदानों में खरमोर (Lesser Florican) और सारस क्रेन (Sarus Crane) जैसी दुर्लभ प्रजाती के पक्षियों को देखा गया है।

4. कीबुल लामिजाओ राष्ट्रीय उद्यान

चर्चा में क्यों?

- हाल के एक अध्ययन में, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के शोधकर्ताओं ने पूर्वोत्तर भारत में हॉग हिरण की एक नई उप-प्रजाति की खोज की है, जिसके बारे में पहले सोचा गया था कि यह केवल दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है।
- किबुल लामिजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है । यह 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला एक हरा-भरा संरक्षित वन-क्षेत्र है, जिसकी प्रसिद्धि विशेष रूप से संगाई (मृगशृण) के संरक्षण के कारण है। कीबुल लामिजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान है।
- सन 2004 में इस दुर्लभ प्राणी की संख्या इस वन में केवल 100 थी, जो सन 2013 तक बढ़कर 204 हो गई।
- इस वन को मार्च 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया।
- इस वन में संगाई के अलावा संरक्षित विभिन्न प्रकार के हॉग डियर, वाइपर, कोबरा, करैत, अजगर, केविट कैट इत्यादि प्राणियों के अनेक प्रकार देखे जा सकते हैं।

- वनस्पति और इलाके के अलावा, पार्क का एक महत्वपूर्ण आकर्षण लोकटक झील (6, 475 हेक्टेयर) है, जो ताजे पानी की झील है; जिसका एक बड़ा हिस्सा पार्क के भीतर पड़ता है।
- कीबुल लामिजाओ में जलाशयों और तालाबों के जल के सतह पर तैरती हुई जलकुंभी मौजूद हैं।
- इसके अलावा यहाँ कृत्रिम रूप से लगाए गए पेड़ों में लिरसिआ हेक्सैन्ड्रा, लैटीफोलिआ, सिंगुट इत्यादि पेड़-पौधों की उपस्थिति है।
- झील की जैव विविधता की समृद्ध को देखते हुए इसे 1990 में RAMSAR कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के एक आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया है।
- यहाँ के आस-पास खेतों में अनेक प्रकार के धान की भी खेती की जाती है। इसके अलावा स्थानीय पेड़-पौधों में कोरेक्स, लिहार पोलीगोनम परफोलैटम इत्यादि प्रमुख हैं। हाँल के दिनों में किये गए एक सर्वे के अनुसार इस वन में लगभग 14 प्रकार के पशुओं को संरक्षण दिया गया है।
- राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने के बाद से लेकर अब तक वन विभाग ने इसके विकास और विस्तार के अनेक प्रयास किये हैं जिसके फलस्वरूप यहाँ संरक्षित संगाई हिरन, मृग, सुअर इत्यादि पशुओं की संख्या में व्यापक वृद्धि हुई है।

5. मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर आने वाले चक्रवात गाजा और ओखी ने रामेश्वरम, तंजोरिन और कन्याकुमारी के तटीय इलाके एवं मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान के पास पाए जाने वाले संकटग्रस्त ओलिव रिडले कछुओं के आवास पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
- संरक्षित समुद्री क्षेत्र, समुद्र का वह क्षेत्र होता है जहाँ मानव गतिविधियों का नियंत्रण राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और जीवमंडल रिजर्व की तरह नियंत्रित किया जाता है।
- यह क्षेत्र न केवल भारत, बल्कि एशिया का समुद्री जीवमंडल रिजर्व होने के नाते विविध समुद्री आबादी और पौधों से भरी हुई है।
- इसे 1980 में एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1989 में, राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया।
- यह भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है।
- यह तमिलनाडु राज्य के रमानाथपुरम और तूतीकोरिन जिलों में स्थित है।
- मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु के दक्षिणपूर्वी सिरे पर स्थित है जो रामेश्वरम कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
- इस क्षेत्र को 1986 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया।
- यह 10500 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 21 द्वीप हैं। चूंकि सभी 21 द्वीप मरीन नेशनल पार्क क्षेत्र में आते हैं, इसलिए पर्यटन और अन्य संबंधित गतिविधियों की अनुमति नहीं है।
- इस अभयारण्य में निवास करने वाले पौधों और जानवरों की कुल प्रजातियाँ लगभग 3600 हैं।
- इस क्षेत्र में समुंद्री गायों, समुंद्री एनीमोन, समुंद्री ककड़ी, समुंद्री घोड़ा और डॉल्फिन पाए जाते हैं।
- यहाँ 11 समुंद्री घास की प्रजातियाँ पायी जाती हैं जिसमे एनहलस अकोरिडस घास सबसे प्रचलित है।
- पार्क में तट के आसपास के वातावरण में मैदान, कीचड़, समुद्र तट और जंगल शामिल हैं। इसमें कोरल रीफ, समुद्री शैवाल समुदाय, समुद्री घास और मैंग्रोव जैसे समुद्री घटक भी शामिल हैं।
- यह पार्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र हिंद महासागर का एक हिस्सा है।

6. एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में मुन्नार के ऊपरी इलाकों में जनवरी महीने की शुरुआत में ही तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो गया है, जिसके चलते इस क्षेत्र में तापमान एक दशक के बाद घटकर -4 डिग्री सेल्सियस हो गया है।
- ज्ञातव्य है कि शीत लहर ने न केवल मुन्नार में चाय के बागानों को प्रभावित किया है बल्कि नीलगिरि के प्राकृतिक आवास एराविकुलम नेशनल पार्क (ईएनपी) के घास के मैदानों को भी प्रभावित किया है।
- एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य के इडुक्की जिले में दक्षिणी-पश्चिमी घाट में कन्नन देवन पहाड़ियों में स्थित है।
- इस उद्यान में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, आनायमुडी (2695 मीटर) स्थित है।
- लक्कम जल प्रपात इस क्षेत्र में है।
- इस उद्यान में मुख्य रूप से घास के मैदान, झाड़ी भूमि और शोला वन पाए जाते हैं।
- उद्यान में लुप्त प्राय प्राणी 'नीलगिरि ताहर' के लिए जाना जाता है।

- 97 वर्ग कि.मी. में फैला इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान तितलियों, जानवरों और पक्षियों के अनेक दुर्लभ प्रजातियों का बसेरा है।
- यहाँ ट्रैकिंग के लिए भी सर्वोत्तम स्थान है।
- इसे 1978 में एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था।
- नीलकुरिंजी के फूल खिलने से पहाड़ों की ढ़ाल नीली चादर से ढ़क जाती हैं, तब यह उद्यान ग्रीष्मकालीन पर्यटन स्थल बन जाता है।
- नीलकुरिंजी का पौधा पश्चिमी घाट का स्थानीय पौधा है, जिस पर बारह वर्षो में एक बार फूल खिलता है
- यह उद्यान चाय के बगान और साथ ही लहरदार पर्वतों पर धुन्ध की चादर का एक विस्तृत नजारा देखने को मिलता है।
- एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है।

7. नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में कर्नाटक के नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के पास एक जंगली हाथी को मार दिया गया। ऐसी घटनायें लगातार बढ़ रही और इन्हें मानव-पशु संघर्षो के रूप में देखा जा रहा है।
- नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के कोडागु और मैसूर जिले में 643 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
- यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के पाँच प्रमुख नेशनल पार्कों में से एक है।
- इस राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गाँधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है।
- इस उद्यान का नामकरण 'नगा' और 'होल' शब्दों को मिलकर हुआ है। 'नगा' से तात्पर्य है 'सांप' और 'होल' का अर्थ है 'नदी' या 'धारा'।
- इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1955 में गेम्स सैंक्चुरी के रूप में हुई थी।
- सन 1974 में मैसूर के जंगलों को इसमें शामिल कर इसका क्षेत्र बढ़ा दिया गया। वर्ष 1988 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया।
- इस उद्यान का जल स्त्रोत काफी समृद्ध है, जिसमें कबीनी नदी के अलावा लक्ष्मनतीर्था नदी, सरती होल, नागरहोल, चार बारहमासी धाराएँ, 47 मौसमी धाराएँ, चार छोटी बारहमासी झील, कृत्रिम झील और कबीनी जलाशय आदि शामिल हैं।
- उद्यान में शांत जंगल, गर्म बुलबुले वाला बहता पानी और मन को मोहने वाली तरह-तरह की झीलें हैं।
- नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बीच में कबीनी जलाशय है।
- नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ हर तरफ घास फैली हुई है।
- यहाँ का जंगल टीक ओर यूकेलिप्टस के पेड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पाए जाने वाले मुख्य पेड़ व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण शीशम, सागौन, चंदन और ओक हैं। सूखे पर्णपाती वन के पेड़ों की प्रजातियों में भारतीय कीनो का पेड़, शीशम और एक्सलवुड शामिल हैं। अन्य पेड़ों की प्रजातियाँ जो जंगलों में देखी जाती हैं वे हैं कदम, कपास के पेड़, श्लीचरेट्रिजुग और फिकस की कुछ प्रजातियाँ।
- इस राष्ट्रीय उद्यान में विभिन्न प्रकार के जीव-जंतु पाए जाते हैं।
- यह राष्ट्रीय उद्यान उन जगहों में गिना जाता है, जहाँ एशियाई हाथी पाए जाते हैं। यहाँ हाथियों के बड़े-बड़े झुंड आसानी से दिखाई देते हैं।
- मानसून से पहले की वर्षा में यहाँ बड़ी संख्या में रंग-बिरंगे पक्षी भी दिखाई देते हैं।
- यहाँ चीता, सांभर, चीतल, हाथी, भालू, जंगली सांड, तेंदुआ, हिरन और तमाम तरह के स्तनपायी जानवरों के अलावा करीब 250 प्रजाति के पक्षियों कि उपस्थिति है।

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. मानव तस्करी से आप क्या समझते हैं? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के ड्रग्स एवं क्राइम ऑफिस (UNODC) द्वारा जारी रिपोर्ट में पाया गया कि भारत एवं बांग्लादेश से मानव तस्करी अधिक संख्या में यूरोपीय देशों में की गई। वे कौन से कारक हैं जो इस तरह के अपराध को बढ़ावा देते हैं? समीक्षा कीजिए।

2. प्लास्टिक कचड़ा किस तरह वर्तमान एवं भावी पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है? क्या आपको लगता है कि भारत द्वारा 2022 तक प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की प्रतिबद्धता का क्रियान्वयन हो पाएगा? युक्तियुक्त विवेचना करें।

3. बहुविषयक साइबर फिजिकल प्रणालियों के राष्ट्रीय मिशन (NM-ICPS) से आप क्या समझते हैं? इस मिशन की आवश्यकताओं का जिक्र करते हुए इसके संभावित लाभों को बताइए।

4. कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप क्या समझते हैं? यह समाज के वंचित, शोषित व्यक्तियों को कहाँ तक लाभान्वित कर सकती है? टिप्पणी कीजिए।

5. 'भारत में महिलाओं के आंदोलन ने निम्नतर सामाजिक स्तर की महिलाओं के मुद्दों को संबोधित नहीं किया है।' इस पर अपने विचार दें।

6. हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया 'टोकेनाइजेशन सेवा' क्या है? यह किस तरह ग्राहकों के हितों की रक्षा कर पाने में सक्षम हो पाएगा। समीक्षा कीजिए।

7. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि प्रयागराज में कुंभ मेला का आयोजन हमारी सनातन संस्कृति का नूमाइंदी करता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Dhyeya Student Portal

EDGE for IAS

FREE REGISTRATION

ध्येय IAS (most trusted since 2003) संस्थान ने सिविल सेवा परीक्षा की वर्तमान मांगों को समझते हुए अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी माध्यम, विशेषकर **ग्रामीण पृष्ठभूमि** के अभ्यर्थियों को लाभान्वित करने हेतु, ''ध्येय स्टुडेन्ट पोर्टल'' के रूप में एक ई-प्लेटफार्म का प्रारंभ किया है।

''ध्येय स्टुडेंट पोर्टल'', अंग्रेजी एवं विशेषकर हिन्दी में, **प्रतिदिन उत्तर लेखन अभ्यास** एवं उनका **मूल्यांकन** तथा **निबंध लेखन** व **समसामयिक मुद्दों** पर सटीक सामग्री उपलब्ध करवाने के साथ-साथ उनकी चर्चा के लिए एक प्रभावी प्लेटफार्म उपलब्ध करवाता है।

ON LINE TEST :	DAILY Q & A CHECKING
VIDEOS:	ARTICLE ANALYSIS
CURRENT AFFAIRS:	ESSAY
DISCUSSION	AND MUCH MORE

अन्य संस्थानों एवं ई-पोर्टलों की अपेक्षा ध्येय पोर्टल की विशिष्टता–

IAS/PCS परीक्षाओं में सफलता हेतु अपेक्षित मानदण्ड		**ध्येय स्टुडेन्ट पोर्टल**	**अन्य पोर्टल एवं साइट्स**
● उत्तर लेखन अभ्यास (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✗
	अंग्रेजी	✓	✓
● उत्तर का मूल्याकंन (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✗
	अंग्रेजी	✓	✓(कुछ साइट्स)
● मॉडल उत्तर (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✗
	अंग्रेजी	✓	✗
समसामयिक घटनाएं/मुद्दे ● विश्लेषण व प्रश्नोत्तर (दैनिक एवं साप्ताहिक)	हिन्दी	✓	✓(कुछ साइट्स)
	अंग्रेजी	✓	✓
निबंध-लेखन और Ethics case study ● अभ्यास एवं मूल्यांकन (पाक्षिक)	हिन्दी	✓	✗
	अंग्रेजी	✓	✗

For details Login www.Dhyeyaias.com ⟶ Students Portal Login

Toll Free: 18004194445, 9205274741/42/43/44

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

UPPCS Mains Test Series 2018

02 Dec. — **Test-1 - (12:00Noon-3:00pm)**
Modern India, India After Independence, World History, History of Uttar Pradesh

09 Dec. — **Test-2 - (12:00Noon-3:00pm)**
Social Issues, Art & Culture , Uttar Pradesh (Social Issues, Art & Culture)

16 Dec. — **Test-3 - (12:00Noon-3:00pm)**
World Geography, Indian Geography, Geography of Uttar Pradesh

23 Dec. — **Test-4 - (12:00Noon-3:00pm)**
Indian Polity, Constitution, In special reference of Uttar Pradesh

30 Dec. — **Test-5 - (12:00Noon-3:00pm)**
Governance and Public Policy, International Relation In Special Reference of Uttar Pradesh

06 Jan. — **Test-6 - (12:00Noon-3:00pm)**
Indian Economy, Internal Security in Special Reference of Uttar Pradesh

13 Jan. — **Test-7 - (12:00Noon-3:00pm)**
Science & Tech., Disaster Management, Ecology & Environment

20 Jan. — **Test-8 - (12:00Noon-3:00pm)**
Ethics (Paper-I)
Ethics and Human Interface, Attitude, E.I. and Thinkers with Case Study

27 Jan. — **Test-9 - (12:00Noon-3:00pm)**
Ethics (Paper-II)
Aptitude and Value of Civil Services, Ethics in P.A., Probity in Govt. with Case Study

03 Feb. — **Test-10 - (12:00Noon-3:00pm)**
General Studies (Paper-I) Full Test
Test-11 - (3:30pm-6:30pm)
Hindi Full Test

10 Feb. — **Test-12 - (12:00Noon-3:00pm)**
General Studies (Paper-II) Full Test
Test-13 - (3:30pm-6:30pm)
Essay

17 Feb. — **Test-14 - (12:00Noon-3:00pm)**
General Studies (Paper-III) Full Test
Test-15 - (3:30pm-6:30pm)
Hindi Full Test

24 Feb. — **Test-16 - (12:00Noon-3:00pm)**
General Studies (Paper-IV) Full Test
Test-17 - (3:30pm-6:30pm)
Essay

635, Ground Floor, Main Road,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi

011-49274400 | dhyeyaias.com

Registration Starts

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 50

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर
Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS **के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए** **9205336039** **पर** **"Hi Dhyeya IAS"** **लिख कर मैसेज करें**

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400